वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

SW-01

Social Work: Concept, Meaning and Philosophy

समाज कार्य :अवधारणा, अर्थ एवं दर्शन

अनुक्रमणिका

इकाई संख्या व	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
इकाई **1**	समाज कार्य का अर्थ	1-9
इकाई 2	समाज कार्य की परिभाषायें	10-14
इकाई 3	समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाये	15-20
इकाई 4	समाज कार्य : उद्देश्य एवं विशेषताएं	21-29
इकाई 5	समाज कार्य एवं अन्य सामाजिक विज्ञान	30-36
इकाई 6	समाज कार्य के मौलिक मूल्य	37-40
इकाई 7	समाज कार्य: प्रारूप एवं सिद्धांत	41-48
इकाई 8	समाज कार्य :अंगभूत एवं प्रविधियाँ	49-58
इकाई 9	समाज कार्य के प्रकार्य	59-64
इकाई 10	सामाजिक कार्यकर्ता :भूमिका एवं निपुणतायें	65-73
इकाई 11	समाज कार्य के सम्प्रदाय :निदानात्मक	74-80
इकाई 12	समाज कार्य के सम्प्रदाय :प्रकार्यात्मक	81-85
इकाई 13	समाज कार्य दर्शन: हरबर्ट बिस्नो	86-93
इकाई 14	समाज कार्य दर्शन: गांधीवादी दर्शन	94-98

इकाई-1

समाज कार्य का अर्थ

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य (Objectives)

1.1 प्रस्तावना (Preface)

1.2 भूमिका (Introduction)

1.3 समाज कार्य का अर्थ (Meaning of Social Work)

1.4 सारांश (Summary)

1.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for practice)

1.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के अर्थ से परिचित हो सकेंगे।
2. समाज कार्य की कार्य प्रणालियों का वर्णन कर सकेंगे।
३. समाज में समाज कार्य की भूमिका से परिचित हो सकेंगे |

1.1 प्रस्तावना (Preface)

मानव समाज में समस्याएं सदैव से विद्यमान रही हैं। व्यक्ति अपने समाज के कमजोर सदस्यों की सहायता करने का प्रयत्न भी हमेशा से करता आया है इसी क्रम में व्यावसायिक समाज कार्य का विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। समाज कार्य के अन्तर्गत व्यक्ति की समस्याओं का इस प्रकार से समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के योग्य हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में व्यक्ति का मार्ग दर्शन करते हुए उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने का कार्य करता है।

1.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य एक नवीन व्यवसायिक सेवा है जिसमें एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान व्यवसायिक ढंग से किया जाता है। समाज कार्य में मनोसामाजिक समस्याओं के

समाधान में भी व्यवसायिक ज्ञान एवं निपुणताओं का उपयोग किया जाता है। यह समस्त कार्य समाज कार्य की विशिष्ट कार्य प्रणालियों के द्वारा किया जाता है जिनमें मानवीय व्यवहार के ज्ञान का उपयोग किया जाता है।

1.3 समाज कार्य का अर्थ (Meaning of Social Work)

मानव समाज विभिन्न प्रकार की सस्याओं से ग्रसित रहती है। ये समस्याएं विभिन्न स्वरूपों में मानव समाज में पूर्व काल से ही चली आ रही है। गरीबी , बेरोजगारी, बीमारी एवं निराश्रितता आदि समस्याएं ऐसी हैं जिससे मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है और उसको कुसमायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।मानव समाज की समस्याओं का स्वरूप भौतिक और मनो-सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। वैसे तो प्रत्येक समस्या स्वयं में अलग एवं विशिष्ट होती है किन्तु समस्याएं आपस में अंतर्संबंधित होती हैं और एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण भी बन सकती हैं । आज का युग विशेषीकरण का युग है जिसमें प्रत्येक समस्या को एक विशिष्ट समस्या मानकर उसका समाधान किया जाता है। विशेषीकरण के इस युग में हर समस्या के निदान और उपचार हेतु उस समस्या में अंतर्निहित तत्वों का भी ज्ञान प्राप्त करके ही उसका समाधान करना आवश्यक है । किन्तु वर्तमान समाज आधुनिक होने के साथ-साथ जटिल भी होता जा रहा है परिणामस्वरूप समस्याओं का स्वरूप भी दिन प्रतिदिन जटिल हो रहा है | समस्याओं के स्वरूप की जटिलता ने निदान और उपचार को भी काफी जटिल बना दिया है। आज की समस्यायें मात्र आर्थिक प्रकृति की ही नहीं हैं बल्कि अधिकांश समस्यायें मनुष्य के आपसी सम्बन्धों में निर्वाह से सम्बन्धित है जिनका स्वरूप अधिकाशतः मनोवैज्ञानिक है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक समस्याओं का समाधान और उपचार भौतिक साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान और उपचार मनो-सामाजिक साधनों और माध्यमों द्वारा। इसीलिए आज के युग में व्यक्ति या समाज की समस्याओं का निदान और उपचार समस्या के विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और मनो-सामाजिक समस्याओं के निदान और समाधान में विशेषज्ञों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को भी स्वीकार किया जाने लगा है। मनुष्य की अधिकांश समस्यायें भौतिक ही रही हैं। इन्हीं भौतिक समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति पर मनो-सामाजिक रूप से पडता है। मानव इतिहास के सभी युगों में समाज में वृद्ध, दुर्बल, अपंग ,असहाय, निर्धन और निराश्रित व्यक्ति रहे हैं। साथ ही ऐसी बहुत सी समस्यायें भी विद्यमान रही हैं जिन्हें सुलझाने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। मनुष्य जब आदिम अवस्था में था तो अपने समूह के कमजोर, वृद्ध, बीमार और अपंग सदस्यों को शिकार या खेती के लिए अनुपयोगी मानते हुए उनका त्याग कर देता था या उनकी हत्या उपस्थित प्रमुख चुनौतियों में से एक हैं किन्तु आधुनिक युग में इन समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्यायें भी प्रमुख होती जा रही हैं। जैसे-चिन्ता, तनाव, अवसाद, दुश्चिन्ता आदि।

वर्तमान में समाजिक- मनोविज्ञान के विकास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की समस्याओं में मनोसामाजिक समस्याओं का विशेष योगदान है और इनका समाधान किया जाना आवश्यक है जिससे व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ सन्तुलन स्थपित किया जा सके। इसी कारण वर्तमान में किसी भी समस्या के समाधान में उसके मनोसमाजिक पहलुओं को समाहित करते हुए उनके सर्वांगीण समाधान का प्रत्यन करना चाहिए। आज के समय में इसीलिए समस्याओं को हल करने में जहां भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है वहीं मनोसामाजिक संसाधनों का प्रयोग भी प्रमुखता से किया जाता है। यह स्थापित सत्य है कि समाज की प्रत्येक मनोसामाजिक समस्या का सम्बन्ध भौतिक, भौतिकवादी एवं मनोसामाजिक स्थितियों से होता है। इसलिए समस्या जब मनोसामाजिक प्रतीत होती है तो उसी आधार पर इसकी पद्धतियों के अनुसार इसका समाधान करना होता है। इन परिस्थितियों में भी मनोसामाजिक कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य एक सहायक के रूप में कार्य करते हुए समस्या के भौतिक और मानसिक पक्षों को समझकर उसका समाधान करना है।

समाज कार्य एक ऐसी ही व्यावसायिक सेवा है जिसके अन्तर्गत मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान का कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित विशिष्ट कार्य प्रणालियों द्वारा किया जाता है। हालांकि समाज कार्य व्यवसाय का विकास हुए लगभग एक शताब्दी का समय हो चुका है किन्तु अन्य व्यवसायों की तुलना में अभी भी यह अपेक्षाकृत नवीन व्यवसाय है। हालांकि समाज कार्य कोई नवीन कार्य नहीं है मनुष्य पुराने समय से ही दीन दुखियों की, समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों की सहायता करता आया है किन्तु व्यवसायिक और विशेषज्ञता पूर्ण ढंग से सहायता कार्य करना तो उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही शुरू हुआ, जिसका प्रारम्भिक स्वरूप दान था। समय के साथ समाज कार्य ने व्यक्ति के पर्यावरणीय कुसमायोजन को कम करने एवं उसके सुसमायोजन को स्थापित करने के लिए उन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना प्रारम्भ किया जिनसे व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ सन्तुलन प्रभावित होता है। ऐसी समस्याओं में मनोसामाजिक समस्याओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाने में जिस प्रक्रिया का प्रयोग होता है वह मानवशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार ही वैज्ञानिक पद्धति एवं चरणों पर आधारित होती है। इसके लिए व्यावसायिक समाज कार्य द्वारा मानव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों की तकनीकों एवं पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। समाज कार्य व्यवसाय एक मूल्य आधारित व्यावसायिक सेवा है जिसमें मानवीय गरिमा पर अत्याधिक बल दिया जाता है इसलिए वर्तमान समाज कार्य व्यवसाय में कार्यकर्ता द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है उससे व्यक्ति की समस्या का स्थायी समाधान किया जाने के साथ ही इस बात पर का भी ध्यान रखा जाता है कि उस पर किसी प्रकार का अनैतिक एहसान या कृपा न हो। समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति को स्वयं सक्षम माना जाता है। इसलिए यह भी प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति की क्षमताओं का ही विकास एवं प्रयोग करके उसकी समस्या का समाधान किया जाये तथा उसे आत्मनिर्भर बनाया जाय। व्यक्ति को ये सहायता एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा किसी सामाजिक संस्था के तत्वाधान में दी जाती है। व्यक्ति को सहायता करने में संस्थाओं का योगदान अभूतपूर्व होता है। संस्थायें विभिन्न प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति की संवेगात्मक, शारीरिक, सुरक्षात्मक , अहम् सन्तुष्टि एवं विकासात्मक आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें सेवार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य किया जाता है। व्यक्ति सदैव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। अतः वह अपनी जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकता, उन्हीं समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना समाज कार्य का वास्तविक कार्य है। वास्तव में समाज कार्य द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जाता है जो व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। इसके द्वारा सुविधा वंचित व्यक्ति, परिवार तथा समूह अपनी असन्तुष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत एवं सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर सकते है। वस्तुतः समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने या इन्हें पुर्नस्थापित करने के लिए और अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में सहायता प्रदान करने वाली व्यवसायिक सेवा है। यह व्यक्ति (सेवार्थी) के आर्थिक समृद्धि और उन्नति के लिए भी कार्य करता है। इसका सम्बन्ध मानव व्यवहार एवं सम्बन्धों से है। यह व्यक्ति और उसके पर्यावरण में समायोजन स्थापित करता है। समायोजन एक दोहरी प्रक्रिया है। इसमें केवल व्यक्ति में ही परिवर्तन नहीं लाया जाता बल्कि उसके पर्यावरण में भी परिवर्तन लाया जाता है। यह व्यक्ति की अवांछित दशाओं को परिवर्तित करने का भी प्रयास करता हैं। यह एक मानवीय सेवा है जो सामाजिक शोषण, सामाजिक अन्याय और भेदभाव का विरोधी है। समाज कार्य के विकास के दौरान इस बात पर ही बल दिया जाता रहा है कि किसी समस्या का निदान और समाधान समायोजन से ही संभव है।

वर्तमान में यह माना जाने लगा है कि समाज कार्य का लक्ष्य इच्छित परिवर्तन भी है। इच्छित भावी परिवर्तन से समायोजन जनतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति और इसी पर समाज कार्य की स्थापना के कारण महत्वपूर्ण हो गयी है। समाज

कार्य जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवार्थी को उसी के प्रयासों से उसकी मनोसामाजिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता हैं और उसका समायोजन बेहतर बनाता है।

समाज कार्य वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ज्ञान और प्रणालियों पर आधारित व्यवसाय है। इसकी छः कार्य प्रणालियाँ हैं जिनके माध्यम से वह लोगों को सहायता प्रदान करता है। यह सहायता प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। सहायता लेने वाला व्यक्ति सेवार्थी कहलाता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी सहायता करता है, वह सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। वास्तव में समाज कार्य की इन छः पद्धतियों में कार्यकर्ता और उसके सेवार्थी का सम्बन्ध ही सर्वप्रमुख होता है। इन छः पद्धतियों में तीन पद्धतियों को प्राथमिक प्रणाली एवं तीन अन्य सहायक पद्धतियों को द्वितीयक प्रणाली/पद्धति या सहायक प्रणाली कहा जाता है। **तीन प्राथमिक प्रणालियाँ** क्रमशः

(1) वैयक्तिक समाज कार्य

(2) समूह समाज कार्य

(3) सामुदायिक संगठन है।

तीन सहायक प्रणालियों में क्रमशः

(4) समाज कल्याण प्रशासन

(5) समाज कार्य शोध और

(6) सामाजिक क्रिया है।

सेवार्थी की सहायता का कार्य प्रमुखतः इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से ही किया जाता हैं।समाज कार्य की इन पद्धतियों का सम्बन्ध इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्वरूप पर निर्भर करता है।

समाज कार्य में जब सेवार्थी एक व्यक्ति होता है तो वह वैयक्तिक समाज कार्य पद्धति के माध्यम से सहायता प्राप्त करता है। वैयक्तिक समाज कार्य के अन्तर्गत समस्याग्रस्त व्यक्ति, उसकी समस्या तथा स्थान अर्थात् संस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता को इनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वैयक्तिक समाज कार्य के अन्तर्गत अधिकांशतः मनोसामाजिक प्रकार की समस्यायें आती हैं। इसमें कार्यकर्ता सेवार्थी से सम्बन्ध स्थापित करता है जिसमें वह साक्षात्कार अर्थात् बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से तथा आवश्यकतानुसार भौतिक एवं मनोसामाजिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सेवार्थी की समस्या को सुलझाने का कार्य करता है। वास्तव में व्यवसायिक समाज कार्य के विकास में वैयक्तिक समाज कार्य का अभूतपूर्व योगदान रहा है। वैयक्तिक समाज कार्य के रूप में ही समाज कार्य का प्रारम्भिक विकास हुआ था और यही समाज कार्य का सर्वमान्य तरीका भी कहा जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति की कुछ समस्यायें सामूहिक प्रकृति की होती हैं, अतः जब सेवा या सहायता की इकाई समूह होता है तो उसे सामूहिक समाज कार्य कहते है। समूह समाज कार्य के अन्तर्गत व्यक्ति की सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन आवश्यकताओं में मनोरंजन, खेलकूद, अवकाश का सदुपयोग एवं विभिन्न प्रकार के गुणों एवं निपुणताओं के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के समाजीकरण का प्रयास किया जाता है तथा उसकी भावनात्मक एवं मनोसामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता समूह के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझ सकता है और उसके अनुरूप कार्यक्रम का निर्माण करवा सकता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रेरित करता है तथा उनका मार्गदर्शन भी करता है। समूह समाज कार्य का आयोजन समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। यह सामान्य आवश्यकता वाले लोगों का भी समूह हो सकता है वहीं कभी-कभी ऐसे समूह भी गठित किए जाते हैं जो किसी आवश्यकता विशिष्ट हो सकती हैं तथा

जो किसी बाधा से भी ग्रस्त हो सकते हैं। इन समूहों के साथ विशिष्ट कार्यकर्ता कार्य करते हैं। वर्तमान समाज एकाकीपन एवं विसंगति की समस्या से ग्रसित हो रहा है इसलिए सामूहिक जीवन की आवश्यकता तथा महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

समाज कार्य में समदुाय भी सेवार्थी होता है। जब कोई समुदाय सेवार्थी होता है या समुदाय के साथ कार्यकर्ता कार्य करता है। तब सहायता की प्रणाली को सामुदायिक संगठन कहते हैं। इसके माध्यम से किसी समुदाय की स्थानीय समस्याओं तथा आवश्यकताओं के संदर्भ में कार्य किया जाता है। ये आवश्यकतायें पूरे समुदाय की ही आवश्यकतायें होती हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, पशुपालन आदि। इन आवश्यकताओं तथा समस्याओं के लिए सम्पूर्ण समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने का कार्य किया जाता है। इन संसाधनों में मानवीय एवं भौतिक दोनों ही संसाधन सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार के प्रयास को ही सामुदायिक संगठन कहा जाता है। इस कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता पूरे समुदाय के व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है, वह समुदाय मे पहले से ही उपस्थित सेवाओं और संस्थाओं का आंकलन करता है। इनके आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम बनाया जाता है और आवश्यकता पूर्ति की जाती है। इस पद्धति के उपयोग के माध्यम से समुदायों को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है।इस प्रकार उपरोक्त तीनों पद्धतियाँ सेवार्थियों की सहायता के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इन पद्धतियों में सेवार्थियों को भी उनकी अपनी सहायता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है।

यद्यपि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणालियाँ सेवार्थियों को सक्षम रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं किन्तु इसकी सहायक या द्वितीयक प्रणालियाँ वे प्रणालियाँ है जो प्राथमिक प्रणालियों को कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। इन प्रणालियों में समाज कल्याण प्रशासन एक महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली है। इसका प्रयोग अधिकांशतः सामाजिक संस्थाओं के आन्तरिक प्रशासन में किया जाता है किन्तु इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के प्रयोग से किसी सामाजिक सेवा के लिए समुचित नीति का प्रारूप बनाना, संसाधनों का अनुमान लगाना, बजट का निर्माण करना और सेवा का लाभ प्रदान करने जैसे कार्यो को भी सुनिश्चित किया जाता है। समाज-कल्याण प्रशासन का कार्य नियोजन और कार्यान्वयन है। समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग हो संभव पाता है।

समाज कार्य की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक पद्धति समाज कार्य शोध है। चूंकि समाज कार्य किसी भी समस्या का अध्ययन के साथ इसका निदान और उपचार भी करता है जिसके लिए आंकड़ों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज कार्य शोध आवश्यक उपकरण एवं प्राविधियाँ प्रदान करता है जिससे सेवार्थी , समूह या समुदाय की समस्या का सही रूवरूप ज्ञात किया जा सके और उसके अनुरूप उसे सहायता प्रदान की जा सके। समाज कार्य शोध तथ्य संकलन के लिए अध्ययन, साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि प्रविधियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज कार्य शोध का उपयोग समाज की प्रणालियों मे नवीन प्रविधियों एवं तकनीकों के विकास के लिए किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका उपयोग करते हुए अपनी निपुणताओं एवं कार्यकौशल में वृद्धि करता है।

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक पद्धति है जिसका वर्तमान में अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुतः इसका उपयोग सामुदायिक संगठन की पद्धति के अन्तर्गत उसकी सहायक उप पद्धति के रूप में किया जाता किन्तु इसका एक उपयोग एक विस्तृत आयाम पर भी किया जाता है। मूलतः यह एक परिवर्तनकारी पद्धति है जिसका स्वरूप आन्दोलनात्मक होता है। इसके माध्यम से समुदाय की दशाओं में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। इसका उपयोग सामाजिक नीतियों एवं नये कानूनों के निर्माण या उसमें परिवर्तन लाने के साथ -साथ सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध भी कार्य करने में किया जाता है। इससे संगठनों में ऐच्छिक परिवर्तन लाने का कार्य भी

किया जाता है। इसमें वृहद स्तर पर लोगों को शामिल कर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गतिशील किया जाता है। यह कार्यप्रणाली अहिंसा एवं सत्य के सिद्धान्तों का अत्यन्त कड़ाई से पालन करती है। यदि किसी आन्दोलनात्मक कार्यवाही में किसी भी स्तर पर हिंसा होती है तो उस कार्यवाही को वहीं पर रोक दिया जाता है तथा आन्दोलन को भी समाप्त कर दिया जाता है। इस पद्धति में धरना प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह, घेराव, रास्ता रोको जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किन्तु यह सब शांन्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आधार पर होना चाहिए।

समाज कार्य की विधियों के प्रयोग में अनेक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इन प्रविधियों में सम्बन्ध, संबल, सहभागिता, संसाधन-उपयोग, व्याख्या, स्पष्टीकरण, अंशीकरण, जगतीकरण, नवज्ञानार्जन, परिस्थिति परिवर्धन, स्थानान्तरण तथा स्वीकृति आदि प्रमुख हैं। जब सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की मदद में अपने और उसके बीच के सम्बन्ध का उपयोग करता है तो वह सम्बन्ध की प्रविधि का उपयोग समझा जाता है। सम्बन्ध जितना ही प्रगाढ़ होता है उतना ही इस हेतु वह उपयोगी होता है। कभी कभी सेवार्थी के क्रियाकलापों में समाजिक कार्यकर्ता भी भाग लेता है। इस भागीदारी से कार्य में सुविधा होती है और सेवार्थी में समाजिक कार्यकर्ता के प्रति अपनत्व का विकास होता है। सामाजकार्य में सेवार्थी की सहायता के दौरान अधिक से अधिक भौतिक और मानवीय साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक समाज और अभिकरण में कुछ न कुछ ऐसे उपयोगी साधन होते ही हैं और जब इनके उपयोग के माध्यम से सेवार्थी की सहायता में मदद ली जाती है तो इसे साधनों का उपयोग कहते हैं। अनेक अवसरों पर बहुत से तथ्यों, वाक्यों और स्थितियों को सेवार्थी आसानी से समझने में असमर्थ होते हैं। जब इनकी व्याख्या में सेवार्थी की मदद की जाती है तो उसे व्याख्या की प्रविधि का उपयोग माना जा सकता हैं। स्पष्टीकरण की प्रविधि आम तौर पर उन स्थितियों में प्रयुक्त होती है, जबकि सेवार्थी हेतु कुछ गहराई में उतर कर तथ्यों की इस प्रकार व्याख्या करनी होती है या उनको समझाना पड़ता है कि उसके उपरान्त वे तथ्यों के प्रति अपनी पूर्व धारणा से मुक्त होकर अधिक वस्तुपरक दृष्टि विकसित कर सकें तथा समस्या समाधान में अधिक ठीक तरीके से सचेष्ट हो सकें। बहुत बार सेवार्थी की अनेक समस्याएं मिल कर एक जटिल समास्याजाल का निर्माण कर लेती हैं। सेवार्थी इन्हें अलग-अलग न तो समझ पाता है और न तो इनमें से मूल समस्या को अलग कर पाता है। जब सामाजिक कार्यकर्ता अपने ऐसे सेवार्थी की इस प्रकार मदद करता है कि वह अपनी एक या प्रमुख समस्या को एक समय जान या समझ सके और उसके साथ जूझने की कोशिश करे तो यह अंशीकरण कहलाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेवार्थी यह समझते हैं कि उनकी जो स्थिति या समस्या है व मात्र उन्हीं की है और लोग तो वैसी स्थिति या समस्या के हो ही नहीं सकते। ऐसी दशा में सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को यह ज्ञात कराता है कि यह समस्या किसी भी व्यक्ति या सेवार्थी की समस्या हो सकती है। जब सेवार्थी को इसका पता चलता है तो वह कुछ राहत महसूस करता है और उसे अपनी हीनता को दूर करने की चेष्टा के लिए आवश्यक बल मिलता है। सहायता की यह प्रविधि सामान्यीकरण कही जाती है। सेवार्थी और उसकी समस्या पर आर्थिक, सामाजिक, मनोसामाजिक ,सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा वैयक्तिक कोई भी या कई परिस्थितियों का एक साथ प्रभाव पड़ सकता है। जब इन परिस्थितियों में सेवार्थी की सहायता की दृष्टि से कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है और उसे सेवार्थी परक् बनाया जाता है तो इसे परिस्थिति परिवर्तन की स्थिति कहते है।

स्वीकृति की प्रविधि का उपयोग समाज कार्य में इस प्रकार होता है कि प्रत्येक समाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को, वह जिस किसी भी रूप में हैं, पूरे मानवता के साथ स्वीकार करता है। हो सकता है कि सेवार्थी सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति आक्रामक हो या उस पर निर्भर हो पर सभी स्थितियों में वह उसे अपने सेवार्थी के रूप में देखता और स्वीकार करता है। स्वीकृति के ही आधार पर वह वास्तव में उसकी मदद कर सकता है। स्वीकृति एकपक्षी न होकर द्विपक्षीय होता है अर्थात् सेवार्थी सामाजिक कार्यकर्ता को और सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करता है। इस द्विपक्षीय की स्थिति में सहायता का कार्य अधिक सुविधाजनक और फलप्रद होता है।

समाज कार्य के व्यवहार के दौरान अनेक सैद्धान्तिक तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक समझा जाता है। पहली बात यह ध्यान में रखी जाती है कि सेवार्थी की सम्पूर्ण दशा की जो स्थिति होती है वहीं से सहायता कार्य शुरू किया जाता है न कि उसे उन्नत और अवनत होने के लिए अवसर दिया जाए। दूसरी मान्यता यह है कि कार्यकर्ता , सेवार्थी तथा सम्बन्धित अन्य पक्षों के बीच समुचित संचार की स्थिति होनी चाहिए। यदि समुचित संचार नहीं होगा तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को न तो भलीभंति समझ ही सकेगा और न तो वे एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सकेंगे। समाज कार्य का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि सेवार्थी की अपनी समस्याओं से जूझने के तरीके , सामाजिक कार्यकर्ता, अभिकरण तथा साधनों के चुनाव के सम्बन्ध में आत्मनिर्णय का पूरा-पूरा अधिकार होता है। चूंकि समाज कार्य का तरीका एक जनतांत्रिक तरीका है इसलिए इस आत्मनिर्णय की सुविधा से सेवार्थी को वंचित नही किया जा सकता।

सेवार्थी की भावना के साथ-साथ सोचना और समझना किन्तु उसकी ही भावनाओं के प्रवाह में नहीं बह जाना, समाज कार्य का एक अन्य सिद्धान्त है। इसका अर्थ यह होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की मनोदशा से कदम मिलाकर तो चलता है किन्तु वह अपनी भी मनोदशा वैसी ही नही बना लेता जैसी कि सेवार्थी की होती है। सेवार्थी समस्याग्रस्त होता है और समाजिक कार्यकर्ता उस समस्या से उसे मुक्ति दिलाने में सहायक । यदि वह भी सेवार्थी की ही तरह दीन-हीन दशा से ग्रस्त हो जाएगा तो वह उसकी मदद नहीं कर सकता । सेवार्थी की सहायता के दौरान अनेंक प्रकार के तथ्यों को उनके मूलरूप में ही स्वीकार किया जाता है और उनको पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है न कि उनको नकारा जाता है ।

सम्पूर्ण सहायता के दौरान सेवार्थी के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, न कि अभिकरण अथवा सामाजिक कार्यकर्ता को। सामाजिक कार्यकर्ता और अभिकरण के ध्येय और पद्धतियों में सेवार्थी की आवश्यकता के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। सिद्धान्ततः यह बात की जाती है कि सहायता की पद्धति, उसके साधन तथा साक्षात्कार इत्यादि का स्वरूप सरल और सुग्राह्य होना चाहिए। इनकी दुरूहता या जटिलता सहायता की उद्देश्यपूर्ति मे बाधक होतीं हैं। ऐसा भी माना जाता है कि किसी अभिकरण और सेवार्थी की सहायता के दौरान जो भी व्यक्ति अथवा संस्थाएं परिपूरक रूप में सहकारार्थ प्रस्तुत हों उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि व्यापक या मूल अर्थो में सभी सेवार्थियों की इकाईयां अपने-अपने में एक सी दिखतीं है, किन्तु इनमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है। अभिकरण, समुदाय या सेवार्थी से सम्बन्धित दूसरों से या स्वयं ही उनसे जो कुछ भी तथ्य ज्ञात हों उन्हें उनकी इच्छा या भावना के अनुसार गोपनीय रखा जाना चाहिए | जिन बातों को सेवार्थी या अन्य चाहते हों कि ये गुप्त रहें वे गोपनीय ही रखी जायें या अन्य लोगों को मालूम न होने दी जाए। इससे एक तो आपसी विश्वास बढ़ता है दूसरे और अधिकाधिक गुप्त तथ्य सामने आने की संभावना बनी रहती है । समाज-कार्य का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धान्त यह है कि सेवार्थी या अन्य किसी के व्यवहार के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य ही निहित होता है यह उद्देश्य उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकता है। व्यवहारगत उद्देश्य व्यक्तिपरक या समाजपरक कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, समूह या समुदाय जो कुछ भी व्यवहार करता है उसके पीछे अनेक प्रेरक कारण होते हैं। अनेक कारणों के दो अर्थ होतें हैं एक अर्थ तो यह है कि किसी एक व्यवहार का प्रेरक कोई एक ही निश्चित कारण नहीं होता तथा हर व्यवहार का प्रेरक कोई एक ही निश्चित कारण नहीं होता तथा हर व्यवहार कई कारणों के संयोग से प्रतिफलित होता है। व्यवहार और उसके कारण के विश्लेषण के समय इन तथ्यों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। समाज कार्य के व्यवहार के दौरान प्रायः एक साथ अनेक प्रक्रियाएं अन्तःक्रिया करती रहती है। प्रक्रियाओं की इस अन्तःक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उनको ऐसे नियाजित और निर्देशित करते रहना चाहिए कि उनका सेवार्थी के हित में और समाज कार्य के ध्येय की पूर्ति में अधिक से अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा सके। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज-कार्य के माध्यम से दी जानी वाली सहायता अपने में कोई अन्त नही है वरन् यह एक साधन है। इस सहायता के जरिये सेवार्थी और समाज एक दूसरे के अधिकाधिक

परिपूरक बनते हैं। मानव की स्थिति में सुधार सम्भव है और परिवर्तन एक आवश्यक अनिवार्यता है। समाज कार्य एक सबल और प्रचलित वृत्ति है। यह आम जनता की भलाई के लिए उपयोग की जाती है तथा यह मानव कल्याण को बढ़ावा देती है। यह अपने कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखती हैं और उसका निर्वाह करती है। इसका लक्ष्य सुगठित समाज की रचना करना तथा व्यक्ति का समाज में ऐसा समायोजन करना है जिससे वह अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। इस ध्येय को ध्यान में रखकर ही उसके सिद्धान्त और इसकी प्रविधियाँ विकसित होती रही हैं, यह वृत्ति सम्पूर्ण मानव समाज और समाज के किसी भाग विशष सभी के लिए है। चाहे इससे कोई व्यक्तिगत या समूहिक किसी भी रूप में लाभ उठाये। समाज कार्य व्यवस्था व्यवस्थित और वैज्ञानिक विचारधारा से अभिभूत है। इसके अपने सिद्धान्त हैं, इसकी अपनी विधियाँ और अनेक प्रविधियाँ भी हैं। समाज कार्य व्यवसाय के स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक संगठन विश्व के अनेक देशों में हैं। इन संगठनों में आपसी सहकार और सहयोग भी है। ये प्रायः मिलजुल कर कार्यक्रम निर्धारण एवं संचालन का कार्य करते है। समाज कार्य व्यवसाय को करने वाले अर्थात् सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा भी उपलबध हैं। यदि वह कोई सहायता का कार्य करता है तो उसके बदले में कुछ निश्चित धनराशि भी प्राप्त करता है। जो लोग समाज कार्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पर कार्य करते हैं उनको उनकी योग्यताओं आदि के आधार पर वेतन दिया जाता है। समाज कार्य व्यवसाय के शिक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर वेतन दिया जाता है। समाज कार्य व्यवसाय के शिक्षण और प्रशिक्षण के उच्चस्तरीय साधन और संस्थाएं है। इसके अनेक कार्यक्रम विभिन्न देशों में चलते हैं | इन सबसे इस व्यवसाय को वैज्ञानिक रूप में अधिकाधिक विकसित होने की संभावना प्रबल होती है |

समाज कार्य व्यवसाय द्वारा ऐसी संभव खामियों को दूर किया जाता है जो अनेक समाजिक विज्ञानों के स्वतन्त्र रूप में अलग-अलग प्रयुक्त होने से व्यक्ति के लिये प्रायः उत्पन्न हो जाती है और इस विशेष मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने में समाज कार्य व्यवसाय इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह वृत्तियों या शक्तियों के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का ही उपयोग मानव जीवन में करती है। यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीकी देशों में समाज कार्य व्यापक पैमाने पर अपने व्यवसाय रूप से स्थापित है। फ्रान्स, स्वीडेन, आस्ट्रिया तथा र्जमनी इत्यादि देशों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को ठीक उसी प्रकार अपने को निबंधित कराना होता है जैसे कि एक चिकित्सक या वकील इत्यादि को। इन देशों में अपनी वृत्ति के व्यवहार के लिए इन्हें सरकारी अनुमति पत्र भी लेना पड़ता है। अमेरिका के कई भागों में स्वैच्छिक आधार पर कई संस्थाएं इस प्रकार की व्यवस्था करती हैं। निबंधन और अनुमति प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि व्यक्ति के पास शिक्षण एवं प्रशिक्षण का मानक प्रमाण पत्र हो।

विश्व के जिन देशों मे समाज कार्य का शिक्षण और प्रशिक्षण होता है उसमे तीन स्तर के पाठ्यक्रम है -पहला स्नातक स्तर के , दूसरे परास्नातक स्तर के और तीसरा शोध उपाधि स्तर का । स्नातक एवं परास्नातक स्तर से नीचे के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रायः विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का परिचय कराया जाता है और इस स्तर के शिक्षित-प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्ता निचली श्रेणी के पदों या कार्यो में लगाये जाते हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में समाज कल्याण का इतिहास, समाज कार्य की पद्धतियों, क्षेत्रों और प्रविधियों का अध्ययन कराने के साथ-साथ उनका व्यवहारिक अभ्यास भी कराया जाता है। शिक्षण-प्रशिक्षण की संस्थाओं में संचालन, निरीक्षण, समाजिक-कार्य तथा शिक्षण-प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह करते हैं।

आज समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित वृत्ती के कार्यकर्ताओं का सहयोग और सहकार बढ़ता जा रहा है| अनेक स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों में यह प्रतिफलित है।

चूंकि मानवीय समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है। व्यक्ति या समाज की समस्याएं उसके पर्यावरण की समस्याएं होती हैं, जो अनादिकाल से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। चूंकि मानव समाज की समस्याएं व्यक्ति की ही समस्याओं से सम्बन्धित होती हैं, इसलिए व्यक्ति की समस्याएं जितना कम होंगी, समाज की समस्याएं भी

उतनी ही कम होंगी। व्यक्ति की समस्याओं से तात्पर्य व्यक्तिगत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा उसके पर्यावरण से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं से है।

समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य न केवल व्यक्ति की समस्याओं को कम करना है बल्कि व्यक्ति को इस स्तर तक सक्षम बनाना है कि वह स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल करने में पहल करे। प्रायः व्यक्ति के कुसमायोजन के कारण विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं ,जैसे आस्ट्रेलिया में भारतीय कुसमायोजित महसूस करेगा, जबकि वहाँ का व्यक्ति या वहाँ की सरकार भी कुसमायोजित महसूस करेगी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।

समाज कार्य का यह स्वयं सिद्ध लक्ष्य होता है कि व्यक्ति की समस्याओं का निदान करके तथा उसके कुसमायोजन को कम करके एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सके। समाज कार्य द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का निदान करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रविधियों (टेक्नीक्स) का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि व्यक्ति की समस्याएं प्रमुख रूप से अपने पर्यावरण के साथ सह संबंध स्थापित न कर पाने के कारण होती है।

1.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य उद्देश्यपरक सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की अन्तर्वैयक्तिक समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, आपसी सम्बन्धों की समस्याएं, उपचारात्मक सेवायें तथा सुधारात्मक सेवायें प्रदान करके व्यक्ति और समाज की समस्याओं को कम करना तथा उनकी प्रकार्यात्मकता में वृद्धि करके सामाजिक संस्थाओं के परिचालन को बेहतर बनाना है।

1.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for practice)

<u>लघु उत्तरीय प्रश्न</u>

1. समाज कार्य का अर्थ बताइए।
2. समाज कार्य से आप क्या समझते हैं?

<u>दीर्घ उत्तरीय प्रश्न</u>

1. व्यावसायिक समाज कार्य एवं समाज कार्य के बीच भेद को स्पस्ट कीजिये |
2. समाज कार्य मानवतावादी दर्शन एवं व्यावसायिक निपुणताओं पर आधारित व्यवसाय है उक्त कथन की समीक्षा कीजिये|

1.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. Friedlander, W.A., Concept and Methods of Social Work

इकाई-2

समाज कार्य की परिभाषाएं

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य (Objective)

2.1 प्रस्तावना (Preface)

2.2 भूमिका (Introduction)

2.3 समाज कार्य की परिभाषाएं (Definitions of Social Work)

2.4 सारांश (summary)

2.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

2.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1.समाज कार्य में उसकी परिभाषाओं की भूमिका से अवगत हो सकेंगे |

२. समाज कार्य की परिभाषाओं का वर्णन कर सकेंगे ।

2.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य एक नवीन विषय है जिसका विकास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं समस्याओं का विशिष्ट ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से हुआ। यद्यपि समाज कार्य करना कोई नवीन कार्य नहीं है किन्तु व्यवसायिक ढंग से लोगों की सहायता करने के इस उपागम का विकास अपेक्षाकृत आधुनिक समय में हुआ है। इसलिये इस उपागम से परिचित होने के लिये विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गयी हैं जिनसे समाज कार्य विषय से परिचित होने में सहायता मिलती है।

2.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य की परिभाषाओं से समाज कार्य विषय पर प्रकाश पडता है। इन परिभाषाओं के माध्यम से ही समाज कार्य व्यवसाय के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र का भी पता चलता है। समाज कार्य की परिभाषाएं नवीन कार्यकर्ताओं के लिये मार्ग दर्शन का भी कार्य करती हैं कि उन्हें किस प्रकार से व्यक्ति एवं समाज के लिये सेवायें प्रदान करनी चाहिये।

2.3 समाज कार्य की परिभाषाएं (Definitions of Social Work)

समाज कार्य के विकास के दौरान बहुत लम्बे समय तक इस बात पर ही ज्यादा जोर दिया जाता रहा है कि समाज कार्य का ध्येय मात्र वर्तमान समय में विद्यमान समस्या का समाधान और उसके परिवेश व संदर्भ से है , किन्तु अब इसके साथ ही यह भी समान रूप से माना जाने लगा है कि समाज कार्य का ध्येय भावी इच्छित परिवर्तन भी है। इच्छित भावी परिवर्तन से समन्वय की बात जनतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति और इस पर आधारित समाज कार्य की स्थापना के कारण महत्वपूर्ण हो गयी है।

समाज कार्य परिभाषा को लेकर विभिन्न देशों तथा समुदाय के विद्धानों की अलग-अलग धारणाएं रही हैं। किसी ने इसे व्यवसायिक सेवा के रूप में देखा तो किसी ने इसे परोपकार आदि के रूप में। इसका कारण उस राष्ट्र अथवा समुदाय की परिस्थितियाँ, पम्पराएँ, संस्कृति, मूल्य आदि हैं, जिन्होंने उसके दृष्टिकोण को निर्धारित किया है।

समाज कार्य की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:--

विटमर (1942) के मतानुसार

"समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों की उन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देना है जो एक संगठित समूह की सेवाओं के प्रयोग से या उनके एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में कार्य सम्पादन से सम्बन्धित है।''

फिंक के शब्दों में-

''समाज कार्य अकेले अथवा समूहों में व्यक्तियों को वर्तमान अथवा भावी (भविष्य की)ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं, जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है अथवा रोक सकती है, के विरूद्ध सहायता प्रदान करने हेतु प्ररचित सेवाओं का प्रावधान है।''

एलिस चेनी (1936) के अनुसार,-

''समाज कार्य में वह सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित है जिनका सम्बन्ध सामाजक सम्बन्धों से है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं।''

सुशील चन्द्र के मतानुसार -

''समाज कार्य जीवन के मानदण्डों को उन्नत बनाने तथा समाज के सामाजिक विकास की किसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार तथा समूह के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति के कार्यान्वयन में सार्वजनिक अथवा निजी प्रयास द्वारा की गई गतिशील क्रिया है।''

फ्रीडलैण्डर के अनुसार-

''समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय सम्बन्धों में निपुणता पर आधारित एक व्यवसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक एवं वैयक्तिक सन्तोष एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता करती है।''

बोएम (1959) के अनुसार-

''समाज कार्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ाने के लिये ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है जिनका सम्बन्ध मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रियाओं से है।''इन क्रियाओं को तीन कार्यों में विभाजित किया जा सकता हैः विकृत योग्यता का पुर्नस्थापन, वैयक्तिक एवं सामाजिक साधनों की उपलब्धि एवं सामाजिक कार्य वैकल्प का निरोध।

स्ट्रूप (1960) के अनुसार-

''समाज कार्य ऐसी कला है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है और इसके लिये ऐसी वैधानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें लोगों की सहायता की जाती है कि वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें।''

इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क के अनुसार-

''समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैधानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों अथवा समूहों एवं समुदाय को एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रिया है।''

कोनोप्का (1958) के अनुसार-

''समाज कार्य एक अस्तित्व है जिसके तीन स्पष्ट रूप से भिन्न परन्तु परस्पर सम्बन्धित भाग हैं , सामाजिक सेवाओं का एक जाल, सावधानी के साथ विकसित प्रणालियों एवं प्रक्रियायें तथा सामाजिक नीति जो सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रकट होती हैं। यह तीनों मनुष्यों के विषय में एक मत, उनके परस्पर सम्बन्धों और उनके नैतिक कर्तव्यों पर आधारित हैं।

मिर्जा रफीउद्दीन अहमद के मतानुसार -

''समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया के मार्ग में आने वाली समस्याओं से ग्रस्त लोगों की व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों के रूप में सहायता प्रदान करने की एक व्यवसायिक क्रिया है जो उन्हें आत्म सहायता करने के योग्य बनाती है।''

क्लार्क के अनुसार-

''समाज कार्य व्यवसायिक सेवा का एक रूप है, जिसका आधार ज्ञान एवं निपुणताओं का ऐसा मिश्रण है, जिसका कुछ भाग समाज कार्य का विशेष भाग है और कुछ नहीं, जो सामाजिक पर्यावरण में आश्यकताओं की सन्तुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है कि जहाँ तक हो सके उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो लोगों को सर्वोत्तम की प्राप्ति के वे योग्य हैं से रोकती है''।

यू0एन0ओ0 (यूनाईटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, -

''समाज कार्य पीड़ितों को व्यैक्तिक रूप से दान देने, आर्थिक व भौतिक सहायता के माध्यम से योगदान पर आधारित है। यह भेदभाव रहित तथा समान रूप से विश्व व मानवता के कल्याण पर केन्द्रित है तथा विशिष्टता के साथ अनिवार्यतः किसी संगठन द्वारा दी जाती है।''

फ्रीडलैण्डर के मतानुसार--

''समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं (मानव संबंधों की) पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह में सहायता करता है, ताकि वे सामाजिक एवं व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।''

बी0जी0 खेर (1947) के अनुसार-

''समाज कार्य का उद्देश्य जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है सामाजिक अन्याय को दूर करना, विपत्तियों का हटाना, दुखों को रोकना, समाज के कमजोर सदस्यों और उसके परिवारों के पुनर्वास में सहायता देना और संक्षिप्त में पांच दानव आकार बुराइयों -

1. भौतिक आवश्यकता,
2. रोग,
3. अज्ञानता,
4. मलीनता,
5. निष्क्रियता या अनुपयुक्तता - से संघर्ष करना है।

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान, समाज कार्य अभ्यास एवं मानव सम्बन्धों में निपुणता पर आधारित है और जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या समूह के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में और उन सामाजिक बाधाओं को दूर करने में दी जाती है जो उन्हे अपने कर्तव्य पालन से रोकती है।

इण्डियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वर्क (1957)-

इण्डियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वर्क के अनुसार, ''समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया हैं जो मानवता-सेवी (लोक-उपकारी) दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय की सहायता करना है, जिससे वे एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।''

इस परिभाषा के दो पक्ष है- एक, समाज कार्य को कल्याणकारी क्रिया माना है जो वैज्ञानिक ज्ञान और कार्यकर्ता की सहायता करने की प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है। दूसरे, इन कल्याणकारी क्रियाओं का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के सदस्यों को सुखी और सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करना है।

इस प्रकार समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं एवं मानवतावादी दर्शन का प्रयोग करते हुये मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों को वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने की एक क्रिया है जो उनकी इन समस्याओं को पहचानने, उन पर ध्यान केन्द्रित करने, उनके कारणों को जानने तथा उनका स्वतः समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर करती हुई, इसमें वांछित परिवर्तन लाती है ताकि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया प्रभावपूर्ण हो सके, उसका समायोजन संतोषजनक हो सके और उसे सुख शान्ति का अनुभव हो सके। साथ ही सामाजिक संघर्षों को कम करते हुये एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

2.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य उद्देश्यपरक सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की अन्तर्वैयक्तिक समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, आपसी सम्बन्धों की समस्याएं, उपचारात्मक सेवायें तथा सुधारात्मक सेवायें प्रदान करके व्यक्ति और समाज की समस्याओं को कम करना तथा उनकी प्रकार्यात्मकता में वृद्धि करके सामाजिक संस्थाओं के परिचालन को बेहतर बनाना है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में हो रही गिरावट की रोकथाम करना, उसकी पुनर्स्थापना करना, व्यक्ति को समायोजित करना आदि प्रमुख कार्य हैं| इसके अतिरिक्त संसाधनों का प्रबन्ध करना तथा पुनर्वासात्मक सेवाएं प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मनोसामाजिक समस्याओं के लिए कार्य करता है।

2.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. समाज कार्य को परिभाषित कीजिये।
2. हेलेन क्लर्क द्वारा दी गई के आशय को स्पष्ट कीजिये |

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

१. समाज कार्य की परिभाषाएं समाज कार्य को समझने में कहां तक सहायक हैं? उल्लेख कीजिये।

२. समाज कार्य की परिभाषाएं समाज कार्य को दिशा एवं उसके कार्यान्वयन का निर्धारण करती है ? उक्त कथन को स्पष्ट कीजिये |

2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004.
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010.
3. मदन जी0 आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली, 2012.
4. जयसवाल, सीताराम, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, 2011.
5. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ.

इकाई-3

समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य (Objective)

3.1 प्रस्तावना (Preface)

3.2 भूमिका (Introduction)

3.3 समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं (Social Work and Other Concepts)

3.4 सारांश (Summary)

3.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

3.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (Refercences)

3.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य तथा अन्य अवधारणाओं से परिचित हो जायेंगें।
2. समाज कार्य व्यवसाय में अन्य अवधारणाओं के महत्व से परिचित हो जायेंगे।

3.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग करके समाज कार्य की विषयवस्तु का निर्माण किया जाता है। समाज में लोगों की सहायता करने के लिये इन अवधारणाओं की समझ एवं ज्ञान का होना एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिये आवश्यक माना जाता है। इन अवधारणाओं का उपयोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा या तो सेवा प्रदान करने के लिये किया जाता है अथवा समाज कार्य व्यवसाय कैसे इन अवधारणाओं से भिन्न एवं विशिष्ट है, इसे स्थापित करने के लिये किया जाता है।

3.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा परोपकार, सामाजिक आन्दोलन, श्रमदान एवं अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिये उपर्युक्त सभी अवधारणायें समाज कार्य ही समझी जाती हैं। किन्तु व्यवसायिक समाज कार्य में इन अवधारणाओं को व्यवसायिक

समाज कार्य नहीं कहा जाता है हालांकि व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अपने सेवार्थी को सेवा प्रदान करते समय इन अवधारणाओं को उपयोग किया जाता है।

3.3 समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं (Social Work and Other Concepts)

समाज कार्य में सेवायें प्रदान करते समय अनेक प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। अतः एक सामाजिक कार्यकर्ता को इन अवधारणाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्हें इस तथ्य का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि यह अवधारणाएं किस सीमा तक समाज कार्य के समान हैं एवं कहां पर इन दोनों में भिन्नता है। इनमें से कुछ अवधारणायें निम्नवत् हैं-

परोपकार एवं समाज कार्य

परोपकार विभिन्न धर्मों की मान्यताओं में निहित रहा है, विशेषकर दान एवं भिक्षा देना।

वेब्स्टर इन्साइक्लोपीडिया में परोपकार शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि, "परोपकार में भौतिक पुरस्कार की आशा किए बिना की जाने वाली परोपकार्थ क्रियाएं आती हैं,जिनमें भिक्षा देने के रूप में या आवश्यकताग्रस्त या सहायता के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कई अन्य परोपकारी क्रियाएं करना है।"इस प्रकार परोपकार में दान या नकद वस्तु के रूप में लोगों की सहायता करने को सम्मिलित किया जाता है।

व्यवसायिक समाज कार्य में दान या नकद वस्तु को समाज कार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसा इस कारण किया जाता है क्योंकि दान, दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दान देने वाले पर आश्रित बना देता है। इस प्रकार की सहायता में स्थायित्व नहीं होता तथा यह लोगों में स्वयं की सहायता करने की क्षमता का विकास नहीं होने देता है।

सामाजिक आन्दोलन एवं समाज कार्य

सामाजिक आन्दोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज एवं इसकी विभिन्न संस्थाओं में परिवर्तन से जुडे होते हैं। सामाजिक आन्दोलन शब्द सामाजिक पुर्नसंगठन का लक्ष्य रखते हुए सामूहिक किया के विभिन्न प्रकारों को समाहित करता है।

एक सामाजिक आन्दोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया गया सुविचारित प्रयत्न है। इसका सामान्य उद्देश्य सामूहिक रूप से कार्य करना, जागरूकता और समर्पण उत्पन्न करना है। समाजिक आन्दोलनों में प्रायः कार्यक्रम के आधार पर कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं। सामाजिक आन्दोलन के विभिन्न स्वरूप होते हैं जैसे- क्रान्ति, विद्रोह, प्रदर्शन, हडताल, तालाबंदी आदि।

प्रायः सामाजिक आन्दोलन अस्थिर और अल्पकालिक होते हैं। फिर भी इनका उपयोग कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे बाल श्रम एवं बन्धुआ श्रम पर प्रतिबन्ध, दहेज प्रथा तथा भ्रष्टाचार का विरोध आदि। सामाजिक आन्दोलन के माध्यम से सामाजिक संरचना में इच्छित परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है एवं सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन किया जा सकता है और यह सभी समाज कार्य के मुख्य कार्य या लक्ष्य हैं।

श्रमदान एवं समाज कार्य

श्रमदान को भी समाज कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के अन्तर्गत शारीरिक श्रम, स्वैच्छिक कार्य तथा सामूहिक एवं सहकारिता के रूप में कार्य करना या प्रयास करना शामिल है। इसके द्वारा समाज में सदा से लोगों की सहायता की जाती रही है जैसे - सडकों, जलाशयों, कुओं आदि का निर्माण | इसी क्रम

में, सरकारों द्वारा भी एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड आदि के माध्यम से श्रम के महत्व को स्थापित करने का कार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता एवं बन्धुत्व को बढावा देना भी रहा है।

श्रमदान समाज कार्य से भिन्न है क्योंकि समाज कार्य एक विशेषीकृत प्रकार का क्रियाकलाप है। श्रमदान में कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी एवं विशेषीकृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समाज कार्य की तकनीकों, सिद्धान्तों कौशल एवं ज्ञान का होना आवश्यक है जिससे कि सेवार्थी की समाजिक क्रिया को सुधारा जा सके और व्यवस्था में वांछित परिवर्तन लाया जा सके।

समाज सुधार एवं समाज कार्य

समाज में वृहत पैमाने पर सामाजिक बुराईयां व्याप्त होता हैं जो सांस्कृतिक पतन की स्थिति उत्पन्न करती हैं अतः समाज सुधार के कार्यक्रम समाज के हित के लिए आवश्यक हो जातें हैं। प्रायः समाज सुधार सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करने तथा समाज में व्याप्त बुरे आचरण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रायः अहिंसात्मक साधनों जैसे हृदय परिवर्तन, विवेकीकरण, समझाना- बुझाना आदि साधन सम्मिलित होते हैं। समाज सुधार सामाजिक कार्यकताओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता समाज में विभिन्न बुराईयों को दूर करने और सामाजिक संरचना और व्यवस्था में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और ये उद्देश्य समाज सुधार के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

समाज कल्याण एवं समाज कार्य

तकनीकी रूप में समाज कार्य एक प्रक्रिया है ,न कि लक्ष्य| जबकि समाज कल्याण , समाज कार्य तथा सामाजिक सहायता का लक्ष्य तथा अंतिम परिणाम है| समाज कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किसी संस्था के तत्वाधान में सहायता प्रदान की जाती है किन्तु समाज कल्याण में कोई व्यक्ति अकेला भी अपने सेवार्थी को सेवा एवं सहायता प्रदान कर सकता है।समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है तथा सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता , वहीं दूसरी तरफ अधिकांश समाज कल्याण संस्थाओं के कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं होते हैं| ऐसी संस्थाओं को समाज कल्याण संस्था एवं कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता कहा जाता है। यहां समाज कल्याण के तरीकों एवं साधनों के माध्यम से जन कल्याण को बढावा दिया जाता है। समाज कार्य में सेवार्थी की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है जबकि समाज कल्याण में कार्यकर्ता को जब यह विश्वास हो जाता है कि कोई कल्याणकारी कार्य उसके सेवार्थी के लिए उपयोगी है तो वह उसे उपने सेवार्थी के लिए लागू करता है ।

समाज सेवा एवं समाज कार्य

सामाजिक सेवा के अन्तर्गत, समाज कल्याण से जुडी हुई सेवाएं जो अधिकांशतः राज्य सरकारों, समाजिक संगठनों, लोक सेवाओं तथा कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से भी संगठित एवं संचालित की जाती है, को सम्मलित किया जाता हैं।

सामाजिक सेवा की प्रमुख विशेषता समाज के सभी वांचित वर्गों को समान रूप से लाभ प्रदान करना है। सामाजिक सेवाओं की सीमा एवं क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता हैं, इन सेवाओं के माध्यम से सामाजिक विकास एवं मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किया जाता है। समाजिक सेवा वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

समाज कार्य के दृष्टिकोण से सामाजिक सेवा का अत्यन्त महत्व है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता का प्रत्यक्ष उद्देश्य व्यक्ति का विकास तथा उसके माध्यम से सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है।

सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कार्य

सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होने वाले या हो सकने वाले खतरों या जोखिम से बचाव की एक सर्वस्वीकृत आवश्यकता है। मानव की यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वह किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना या हानि के विरूद्ध संरक्षण और इनसे बचाव का आश्वासन चाहता है| इन खतरों में व्यक्ति की आय की निरन्तरता में हो सकने वाली हानि भी सम्मिलित होती है। व्यक्ति इन खतरों के विरूद्ध विभिन्न संस्थाओं के माध्यम सें आश्वासन चाहता है , जिनमें राज्य और अन्य विभिन्न प्रकार की संस्थायें हो सकती हैं। सामाजिक समस्या कें सन्दर्भ में लार्ड विलियम ब्रेवरिज के द्धारा प्रस्तुत की गई सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है | उन्होने सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करते हुये कहा है कि-

सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग आय अर्जन का स्थान लेने के लिए एक आय की सुरक्षा को व्यक्त करने जब वह बेरोजगारी, बीमारी या दुर्घटना द्धारा बाधित हो, अन्य व्यक्ति की मृत्यु द्धारा उत्पन्न क्षति के लिए सहायता उपलब्ध करने तथा अतिरिक्त व्यय जैसे जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत मे राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969)ने सामाजिक सुरक्षा के विषय में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा इस बात पर विचार करता है कि एक समुदाय कें सदस्यों का सामूहिक कार्य द्धारा सामाजिक जोखिमों के विरूद्ध जो कि व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त विपत्ति और अभाव उत्पन्न करते हैं जिसकी पूर्ति कें लिए व्यक्तिगत संसाधन कदाचित ही पर्याप्त हो सकते है, संरक्षण किया जायेगा। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की विशेषतायें निम्नलिखित हैं-

1. सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज में लोंगों द्वारा उनके अधिकार कें विषय में सामूहिक प्रयास के द्वारा मांगी जाती है और जिसे राज्य द्धारा प्रदान किया जाता है। इसमें प्रायः व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की आकस्मिक आवश्यकताओं तथा विपदाओं के विरूद्ध संरक्षण दिया जाता है।
2. ये आवश्यकतायें तथा विपदाएँ जैविक अथवा आर्थिक स्वरूप में या जैविक -आर्थिक स्वरूप मे हो सकती हैं।
3. सामाजिक सुरक्षा का हित अथवा लाभ, नगद अथवा वस्तु अथवा दोनों रूप में हो सकता है। जैसे काम के बदले अनाज योजना |

सामाजिक सुरक्षा के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं-

1. सामाजिक बीमा |
2. सामाजिक सहायता |
3. सामाजिक सेवाएं |

- भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। जाति पंचायत व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था भी कुछ मात्रा में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन वर्तमान में यह जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है।
- सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
- बीमारियों से रक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक चुनौती से निपटना, सामाजिक सुरक्षा कें अंतर्गत आते हैं।

- भारत में 20 लाख टी0 बी0 रोग के मामले हर वर्ष आते हैं और प्रतिदिन उससे एक लाख लोग मरते हैं।

सामाजिक प्रतिरक्षा एवं समाज कार्य

संकुचित अर्थ में, सामाजिक प्रतिरक्षा लोगों के कल्याण, उपचार तथा नियमों के साथ संघर्ष के रूप में दिखायी देता है। जबकी व्यापक अर्थो में सामाजिक प्रतिरक्षा की अवधारणा का उपयोग समाज के अंतर्गत नियंत्रण के उपाय, अपराध का सम्पूर्ण निवारण करने से सम्बन्धित उपाय तथा समाज में चिकित्सकीय एवं पुर्नवास की योजनाओं को उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत समाज के विभिन्न प्रकार के विचलनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये विचलन समाज में विभिन्न प्रकार के संघर्ष उत्पन्न करते हैं जैसे - साम्प्रदायिकता, जातिवाद, अपराध आदि। अतः सामाजिक प्रतिरक्षा के उपाय समाज में विघटनकारी शक्तियों के विरूद्ध स्वयं की रक्षा और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए किये जाते हैं। इसमें अपराधियों के इस उददेश्य से उपचार और पुर्नवास और उपाय शामिल होते हैं जिससे व्यक्ति का जीवन गरिमामय रूप से व्यतीत हो सके। सामाजिक प्रतिरक्षा में बाल अपराधियों, मुक्त किये गये कैदियों, मादक द्रव्यों का उपयोग करने वालों तथा भिक्षकों आदि के उपचार एवं पुर्नवास से संबंधित सेवायें भी सम्मिलित होती हैं। यह समाज कार्य अभ्यास का एक वृहद क्षेत्र है।

सामाजिक संजाल या जाल (Social Network) एवं समाज कार्य

समाज कार्य में स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के बीच एक अन्तःसंबंध या जाल के विकास का प्रयास किया जाता है| ऐसी संस्थायें जो समान उददेश्यों की प्राप्ति मे लगी रहती हैं वे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए साथ-साथ काम करना या आपस में सहयोग करना स्वीकार कर लेती है यही इसकी मुख्य विशेषता है। समान रूचि रखने वाली संस्थायें जो एक क्षेत्र या कस्बे मे काम कर रही हैं स्वंय की नेटवर्किंग बनाने के लिए साथ साथ आती हैं। ये संस्थायें अपने सामान्य हितों के संरक्षण और विकास के लिए सामाजिक संजाल स्थापित करती हैं और उन्हें सामाजिक हितों के माध्यम से पुष्ट करती हैं। ये संस्थायें प्रायः एक समान आचार संहिता बनाने के लिए सहमत होती हैं। ये विविधतापूर्ण कार्यक्रमों को एकसाथ सम्पन्न करती हैं साथ ही सरकारी विभागों से भी सम्बन्ध स्थापित करती हैं।

3.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य व्यवसाय में लोक कल्याण के लिये कार्य किया जाता है इसका आधार अत्यन्त व्यापक है। इसलिये व्यवहारिक सेवा प्रदान करते समय कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। ये अवधाणायें कार्यकर्ता में न केवल समाज कार्य की समझ विकसित करने में सहायक होती हैं बल्कि व्यक्ति एवं समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझने में भी उपयोगी सिद्ध होती हैं।

3.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिये।
2. व्यवसायिक समाज कार्य में अवधारणाओं का क्या महत्व है?

3.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004|

2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2010|

3. मदन जी0आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2012|

4. जयसवाल, सीताराम, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2011|

इकाई-4

समाज कार्य : उद्देश्य एवं विशेषताएं

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य (Objective)

4.1 प्रस्तावना (Preface)

4.2 भूमिका (Introduction)

4.3 समाज कार्य के उद्देश्य (Objectives of Social Work)

4.4 समाज कार्य की विशेषतायें (Characteristics of Social Work)

4.5 सारांश (Summary)

4.6 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

4.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के उद्देश्यों को जान सकेंगे।
2. समाज कार्य की विशेषताओं से अवगत हो पायेगें।

4.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान करना है। समाज कार्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करके उसकी सामाजिक प्रकार्यात्मकता में आयी हुई गिरावट की रोकथाम करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ बेहतर समायोजन स्थापित करने में सहायता करना है।

4.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य के अन्तर्गत व्यक्ति की समस्याओं का इस प्रकार से समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के योग्य हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हुए उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने का कार्य करता है।

4.3 समाज कार्य के उद्देश्य (Objectives of Social Work)

किसी भी ज्ञान, शास्त्र या व्यवसाय की भांति समाज कार्य के भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं, वास्तव में उद्देश्य ऐसे पथ-प्रदर्शक या निर्देशक की तरह होते हैं जो हमें दिशा बोध कराते हैं। इसी तरह समाज कार्य के उद्देश्य भी समाज कार्यकर्ताओं की सीमाएं प्रदान करते समय दिशा-निर्देशन करते हैं, जिसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक होती है।

उल्लेखनीय है कि समाज कार्य एवं समाज कार्य की सभी 6 प्रणालियों के उद्देश्य एक समान ही हैं, क्योंकि समाज कार्य एवं उसकी प्रणालियां सामाजिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति, समूहों एवं समुदायों की उनके अपने सामाजिक परिवेश से अंतक्रियाओं से संबंधित है| इससे उत्पन्न होने वाले आंतरिक एवं बाहर खिंचावों एवं तनावों से सामाजिक विकास होता है।

समाज कार्य के उद्देश्यों को कुछ प्रमुख विद्वानों ने व्याख्यायित किया है जो इस प्रकार हैं -

रॉस के अनुसार- समाज कार्य की सभी प्रणालियों के उद्देश्य समान हैं। सभी संवृद्धि की बाधाओं को दूर करने या संभाव्यताओं के निर्मोचन में आन्तरिक साधनों के पूर्ण विकास, एक अभिन्न इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता आदि से संबंधित है। सभी कार्यकर्ता इसी अन्तिम उद्देश्य की खोज में लगे रहते हैं।

हैमिल्टन के अनुसार समाज कार्य के दो प्रमुख उद्देश्य हैं -

1. आर्थिक एवं शारीरिक कल्याण या स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर।
2. सन्तोषजनक संबंधों एवं अनुभव द्वारा सामाजिक संवृद्धि के अवसर।

बिस्नों के अनुसार- समाज कार्य का उद्देश्य द्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए है। अर्थात

1. समाज कार्य व्यक्तियों को समाज के संस्थागत ढाँचे के साथ समायोजन स्थापित करने में सहयोग देता है।
2. समाज कार्य उस संस्थागत ढांचे के उचित क्षेत्रों में अशोधन करने का प्रयास भी करता है।

फ्रीडलैण्डर के अनुसार समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्तियों के कल्याण एवं समाज जिसमें वे रहते हैं, के कल्याण में आपसी समायोजन करना है।

उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मानवदर्शन का उपयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति, समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनोसामाजिक दशाओं का अध्ययन एवं निदान करने के पश्चात परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जिससे वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें, सामाजिक क्रियाओं में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सकें, लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सकें, अपने जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सकें तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य भी बन सकें।

समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके उद्देश्यों का व्यापक महत्व है। समाज कार्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की जानकारी और इनसे सम्बन्धित सूचनाएं कार्यकर्ताओं को अवश्य होनी चाहिए। ये उद्देश्य कार्यकर्ता को दुविधा की स्थिति में दिशा-सूचक का भी कार्य करते हैं। उद्देश्य कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ब्राउन ने समाज कार्य के चार उद्देश्यों का उल्लेख किया है।

1. भौतिक सहायता प्रदान करना |

2. समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।

3. निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाना।

4. मानसिक समस्याओं का समाधान करना।

अ. रोजगार, आर्थिक स्थिति आदि, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति।

ब. मानसिक संतुष्टि प्रदान करना, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति।

स. सामाजिक भूमिका का निर्वाह, सामाजिक आवश्कयताओं की पूर्ति।

द. स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक आवश्कयताओं की पूर्ति।

उद्देश्यों को निम्नवत परिभाषित किया गया है -

(1) विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक शक्तियों से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों और समूहों की सहायता करने की आवश्कयता की खोज करना और इसको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामान्य गतिविधियों से भिन्न करना।

(2) एक ऐसे एकीकृत कार्य प्रणाली का उपयोग करना जिसके समान कोई दूसरी कार्य प्रणाली वर्तमान समाज में न हो।

(3) समुदाय में उपस्थित महत्पूर्ण संसाधनों को इस प्रकार से बढ़ावा देना जिससे कि समाज का कल्याण हो सके।

इस प्रकार समाज कार्य व्यक्ति की परिस्थितियों में सुधार करता है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और मानवाधिकारों को बढ़ाते हैं। समाज कार्य के कुछ अन्य उद्देश्य निम्नवत हैं-

(1) सामाजिक सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाना।

(2) व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना।

(3) सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार विधानों का निर्माण करना तथा वर्तमान विधानों में संशोधन करवाना।

(4) लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करना।

समाज कार्य के उद्देश्यों का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उद्देश्य मार्गदर्शक की भांति होते हैं और यह कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं | उद्देश्य यह ऐसे नियम है जो यह बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं।

समाज कार्य के व्यावसायिक उद्देश्य

1935 में सम्पन्न समाज कार्य के एक कान्फ्रेस के अनुसार -समाज कार्य ऐच्छिक संगठनों के द्वारा व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक समान्जस्य को प्रोत्साहन देना, तथा इन संघो के माध्यम से इच्छित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शिक्षात्मक प्रक्रिया है।

1964 में नेशनल रूसो ऑफ सोशल वर्क की कार्य व्यवहार पर गठित एक समिति ने समाज कार्य के उद्देश्यों को प्रस्तावित करते हुए कहा है कि निम्न परिस्थितियों में समाज कार्य को प्रयोग में लाया जा सकता है और इसके उद्देश्यों का बताया जैसे-सुधारात्मक व उपचारात्मक समूह, निरोधात्मक समूह, सामान्य सामाजिक वृद्धि एवं विकास से

सम्बन्धित समूह, वैयक्तिक विकास एवं वृद्धि से सम्बन्धित, नागरिकों के लिए विशिष्ट प्रकार के गठित समूह को स्पष्ट करते हुए कहा कि मूलतः समाज कार्य का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सम्भव उच्चतम् विकास करना है जो जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित व अनुरक्त हो।

ग्रेस कॉयल ने समाज कार्य के निम्न उद्देश्य बताए हैं-

- व्यक्तियों की आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान करना।
- व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों समूहों व समुदायों से समायोजन प्राप्त करने में सहायता करना |
- समाज के प्रजातान्त्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना।
- कार्यक्रमों का निर्देशन इस प्रकार करना जिससे व्यक्तियों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध हो सके।
- कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक सम्बन्धों का प्रयोग सामाजिक सम्बन्धों के वैयक्तिक विकास एवं वृद्धि के लिए करना लेकिन अन्तिम लक्ष्य समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सिखाना है।

समाज कार्य के उद्देश्यों का वर्गीकरण

1. कार्यकर्ता के उद्देश्य।
2. संस्था के उद्देश्य।
3. समूह के उद्देश्य।

कार्यकर्ता के उद्देश्य

कार्यकर्ता समाज कार्य की क्रियाओं को सम्पन्न कराते हुए अभिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है कर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले उद्देश्य निम्न हैं-

- कार्यकर्ता को संस्था के उददेश्य, कार्य व नीतियों का ज्ञान होना । कार्यकर्ता संस्था के विषय में जानकारी रखता हो।
- वह एजेन्सी के कार्यक्रमों, समुदाय की आवश्यकता एवं सम्बंध की जानकारी रखता हो।
- कार्यकर्ता को समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य दशाओं का पूर्ण ज्ञान हो जिसमें उसे कार्य करना है।
- कार्यकर्ता को समुदाय को उन आवश्यकता का ज्ञान तो हो ही जिसके लिए उसे कार्य करना है बल्कि उसे यह भी जानकारी हो कि एजेन्सी कहाँ तक उनकी पूर्ति करती है या कर सकती है।
- कार्यकर्ता को उन साधनों के विषय में भी जानकारी हो जिसका प्रयोग वह समूह या समुदाय के साथ कर सकता है।

संस्था के उद्देश्य

- संस्था लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने व समझने में सहायता करती है।

- संस्था सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों, संगठनों तथा अधिकरणों को अपूर्ण आवश्यकताओं के प्रमाण प्रस्तुत करती है जो अपनी सेवाओं द्वारा इन आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।
- संस्था लोगों में स्वस्थ एवं मधुर सम्बन्धों के विकास के लिए कार्य करती है।
- यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा अभिलाषाओं के स्तर मे परिवर्तन करती है।
- यह व्यक्तियों के स्वभाव, जीवन स्तर तथा कार्य के तरीकों में परिवर्तन लाती है।

समूह के उद्देश्य

- यह व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है तथा सकारात्मक एवं नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायक होती है।
- यह व्यक्ति की असीमित इच्छाओं पर रोक लगाती है।

उपरोक्त विवरण से समाज कार्य के उद्देश्यों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर इसके निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य स्पष्ट होते हैं --

जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करना

समाज कार्य का प्रारम्भ विभिन्न प्रकार के मूलभूत सामाजिक- आर्थिक समस्याओं के समाधान करने से हुआ किन्तु कलान्तर में यह अनुभव किया गया कि स्वीकृति, प्रेम, सुरक्षा आदि मानव की ऐसी अन्य प्रमुख आवश्यकताएं है जिनका पूरा किया जाना भी आवश्यक है।इसी आधार पर वर्तमान में अनेक ऐसी संस्थाओं का विकास हुआ है जो इन जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

एकान्तता की समस्या का समाधान

एकान्तता आज महानगरीय जीवन शैली का प्रमुख उत्पाद है | जिसके कारण व्यक्ति को अनेक मानसिक तथा समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है| इन समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति का अपने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से भी अलगाव हो जाता है अतः कर्ता समाज में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके एकाकीपन के समाधान का प्रयास करता है तथा सहभागिता को प्रोत्साहन देकर विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।

व्यक्ति को महत्व देना

इसके अन्तर्गत व्यक्ति की महत्व पाने की इच्छा की पूर्ति की जाती है | सामान्यतः व्यक्तियों की यह इच्छा होती है समाज में उसे उचित स्थान तथा कार्य करने के उचित अवसर प्राप्त हो | साथ ही समाज उन्हें सम्मान व स्वीकृति भी प्रदान करे। यह समस्या वृद्धावस्था में और अधिक जटिल हो जाती है इसलिए कार्यकर्ता समाज के सभी सदस्यों को समान व उचित अवसर तथा सम्मान व स्वीकृति भी प्रदान करता है।

निर्भरता को स्वीकार करना

समाज कार्य में व्यक्ति की निर्भरता, अपंगता तथा विकलांगता को स्वीकार किया जाता है| इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं का संचालन किया जाता है और उनमें अपनी निर्भरता को कम करने तथा आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रयास किया जाता है।

व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना।

व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं को दूर करना।

समूह अनुभव के माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ व मजबूत बनाना।

4.4 समाज कार्य की विशेषतायें (Characteristics of Social Work)

समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता पर आधारित एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति की समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करता है। इसका सम्बन्ध मानव व्यवहार और उसके परिवर्तन से है|मानव व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान और निपुणताओं का प्रयोग समाज कार्य में प्रशिक्षित व्यवसायिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। समाज कार्य में इस ज्ञान का प्रयोग परिवर्तन करने में किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करके उनका निदान और समाधान एक सामाजिक चिकित्सक की भांति करता हैं| यह व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्या का हल निकाल कर व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ समायोजन और सन्तुलन में वृद्धि करता हे। यह अपने सेवार्थी के हितों का रक्षक होता है और उसके प्रति उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है।

समाज कार्य व्यक्ति के आन्तरिक एवं बाह्य समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। विभिन्न सामाजिक-मनोविज्ञानों के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के सन्तुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसका अपने पर्यावरण के साथ समायोजन हो। यह समायोजन दो प्रकार का होता है -

1. अंतःवैयक्तिक समायोजन।
2. अन्तर-वैयक्तिक समायोजन।

1- अंतःव्यैक्तिक समायोजन का अर्थ है व्यक्तित्व में मनोवृत्तियें और मूल्यों का एकीकरण एवं सन्तुलन। इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के अहम् से है जो उसकी मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है| व्यक्ति का अहं (Ego) अत्यधिक शक्तिशाली होता है। चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता मानव व्यवहारों का जानकार होता है इसलिए वह व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में अहं की इस शक्ति का ध्यान रखते हुए कार्य करता है।

2- अन्तर व्यैक्तिक समायोजन का सम्बन्ध विभिन्न व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों से होता है| इसका सम्बन्ध व्यक्तियों के सामाजिक भूमिका निर्वाह और भूमिका प्रत्याशाओं से है। समाजिक कार्यकर्ता समस्याग्रस्त व्यक्तियों के भूमिका प्रत्याशाओं और भूमिका निर्वाह के बीच पाये जाने वाले असन्तुलन को संतुलित करने का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका निर्वाह कर सके। वह समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है और व्यक्तियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराता है। क्योंकी व्यक्ति की अधिकांश मनोसामाजिक समस्याओं का कारण व्यक्ति का अपनी समाजिक भूमिकाओं को समाज या अपने समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पादित नहीं कर पाना है। वह सामाजिक वस्तविकताओं को समझ नहीं पाता या कभी-कभी उसमे भूमिका निर्वाह के लिए आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव होता है। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के प्रति समूह की अपेक्षायें भी यथार्थ से परे या अनुचित होती हैं । इसलिए व्यक्ति के लिए सदैव उन अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। यहीं पर एक विशेषज्ञ कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। समाज कार्यकर्ता विषयात्मक और वैज्ञानिक रूप से समस्या का विश्लेषण करता है और व्यक्तियों की सहायता करता है ताकि व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का अर्थ निरूपण कर सकें, क्षमताओं में वृद्धि कर सकें और अपने पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर सकें। चूंकि समायोजन एक ऐसी प्रघटना है जिसमें केवल व्यक्ति में

ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उन सभी बाधाओं को भी दूर करने की आवश्यकता है जो व्यक्ति के विकास में बाधक हैं। समाज कार्य अवांछित दशाओं में परिवर्तन लाने तथा वांछित परिवर्तनों को प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करता है।

वस्तुतः समाज कार्य एक **सहायतामूलक सेवा** है इसका उपयोग प्रायः उन सभी समस्याओं के समाधान में किया जाता है जिन समस्याओं के समाधान में व्यक्ति के अपने प्रयास सीमित हो जाते हैं तथा वे व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों को सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा डालती हैं।

यह एक **सामाजिक क्रियाकलाप** है जिसका आयोजन किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सरकारी एवं गैर-सरकारी या दोनों प्रकार की संस्थाओं के तत्वाधान में समुदाय के उन सदस्यों के लिए आयोजित किया जाता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है।

समाज कार्य एक **सम्पर्क क्रियाकलाप** के रूप में भी कार्य करता है। यह व्यक्ति, परिवार और समूह तथा किसी भी प्रकार के सुविधा वंचित समूह एवं व्यक्ति की अपनी अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग में सहायता करता है। समाज कार्य व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं एवं पर्यावरण के साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है जिससे व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं समायोजन प्राप्त किया जा सके।

समाज कार्य व्यक्ति अथवा समूह की **अपूर्ण आवश्यकताओं की सन्तुष्टि** पर बल देता है। आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती तब वे समस्या का रूप धारण कर लेती है जिससे कि व्यक्ति का समायोजन बाधित होता है। व्यक्ति की आवश्यकतायें विविधतापूर्ण होती है। ये आवश्यकतायें व्यक्तिगत, सामुहिक और सामुदायिक रूप में हो सकती है।समाज कार्य अपनी प्राथमिक कार्यप्रणालियों के माध्यम से व्यक्ति की उपरोक्त आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए कार्य करता रहता है।

व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि **वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली** की सहायता से की जाती है। इसमें मुख्यतः कार्यकर्ता के द्वारा परामर्श सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति तनाव, अवसाद और दुश्चिन्ता से मुक्ति प्राप्त कर व्यक्तिगत सन्तुष्टि और स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके तथा उसका अपने पर्यावरण के साथ बेहतर समायोजन सम्भव हो सके।

समाज कार्य के अंतर्गत **समूह कार्य की प्रणाली** द्वारा व्यक्ति का समूह के साथ एकीकरण किया जाता है जिससे व्यक्ति को एक बेहतर सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित किया जा सके। क्योंकि समाज कार्य का यह मानना है कि एक समाजीकृत व्यक्ति ही समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हो सकता है।

समाज कार्य के अंतर्गत सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **सामुदायिक संगठन की कार्यप्रणाली** द्वारा समुदाय को अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप कार्यक्रम बनाने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान किया जाता है। जिससे समुदाय स्थानीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी और ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कार्य करने में सक्षम एवं आत्मनिर्भर हो सके। समाज कार्य अपनी सभी कार्यप्रणालियों द्वारा सेवार्थी में, चाहे वह एक व्यक्ति, समूह या समुदाय हो, आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्देशन का विकास करने का प्रयास करता है।

समाज कार्य की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें **समाज कार्यकर्ता कभी भी स्वयं नेतृत्व नहीं करता** बल्कि अपने सेवार्थियों का मार्गदर्शन करता है जिससे उनमें निर्णय लेने और अपनी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति अर्थात् आत्मनिर्देशन उत्पन्न हो सके है।

समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए **सामाजिक साधनों का एकीकरण और समन्वय** करता है और उन्हें गतिशील बनाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन संस्थाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं का पूरा ज्ञान होता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। वह आवश्यकताओं और साधनों में समायोजन स्थापित करने की निपुणता रखता है और साधनों को विकसित करने की विधियों का भी ज्ञान रखता है।

समाज कार्य **प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में विश्वास** रखता है| इस बात का प्रयास समाज कार्य अपने उद्देश्यों से निर्धारित करता है कि मनुष्यों की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि उनकी अभिरूचि और इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि समाज कार्य सामाजिक डार्विनवाद (केवल सर्वश्रेष्ठ के ही जीवित रहने के आधिकार)को अस्वीकार करता है| समाज कार्य का यह विश्वास है कि एक असफल और अयोग्य व्यक्ति के भी वही अधिकार हैं जो कि सफल और योग्य के| समाज कार्य का यह विश्वास है कि अयोग्य व्यक्तियों की भी वही आवश्यकतायें हैं जो योग्य व्यक्तियों की हैं ।

समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की पर्यावरणीय वास्तविकताओं के अनुसार उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किया जाता है । समाज कार्य में योग्यता और अयोग्यता का आधार व्यक्ति की धन और शक्ति को नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करने में व्यक्ति के पर्यावरण के महत्व को स्वीकार किया जाता है और व्यक्ति की असफलता के लिए केवल उसे ही उत्तरदायी नहीं माना जाता है । समाज कार्य का यह विश्वास है कि सभी मनुष्यों में समानता और प्रतिष्ठा के आधार पर समाजिक सहयोग होना चाहिए।

समाज कार्य **सांस्कृतिक बहुलतावाद** को भी महत्वपूर्ण मानता है और वह सांस्कृतिक विभेदों को भी स्वीकार करते हुए उनको सम्मान प्रदान करता हैं। समाज कार्य व्यक्ति का सर्वांगीण कल्याण और विकास चाहता है इसलिए वह प्रत्येक प्रकार की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता हैं। वह व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए कार्य करता है।

समाज कार्य **एक गतिशील विज्ञान** है | इसके क्षेत्रों की संख्या और स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति और समाज की विविध समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित है। वर्तमान में समाज कार्य का विस्तार परिवार और बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं मनःचिकित्सा, अपराधी सुधार आदि तक है। समाज कार्य इन सभी क्षेत्रों में लोगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य करता है।

वर्तमान मानवीय समाज आर्थिक, समाजिक तथा धार्मिक आधारों पर अनेक स्तरों में विभाजित है जिसके कारण समाज में अनेक लोग अथवा वर्ग ऐसी हीन दशाओं में पहुंच गये है कि बिना बाह्य सहायता के इन वर्गो का विकास हो पाना संभव नही है। इसीलिए समाज कार्य के अंतर्गत अनेकों समाज-कल्याण की योजनाएं चलायी जाती हैं। इन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन समाज कार्य का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार समाज कार्य का उद्देश्य **कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन** कर समाजिक विषमताओं को कम करना है।

समाज कार्य का उद्देश्य एक **समतामूलक समाज की स्थापना** करना भी है। समाज कार्य विश्व बन्धुत्व में विश्वास रखता है वह विभिन्न मानवीय संस्कृतियों और सांस्कृतिक समूहों की ओर सहनशीलता और उदारता का दृष्टिकोण रखता है। वह मानवीय गुणों की महत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रजातान्त्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिसमें सामाजिक शोषण, अक्षमता और असमानता न हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य मानते हुए उसका सम्मान किया जाए।

4.5 सारांश (Summary)

समाज कार्य उद्देश्यपरक सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की अन्तर्वैयक्तिक समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, आपसी सम्बन्धों की समस्याएं, उपचारात्मक सेवायें तथा

सुधारात्मक सेवायें प्रदान करके व्यक्ति और समाज की समस्याओं को कम करना तथा उनकी प्रकार्यात्मकता में वृद्धि करके सामाजिक संस्थाओं के परिचालन को बेहतर बनाना है।

4.6 अभ्यासार्थ (Questions for Practice)

1. समाज कार्य के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये।
२. समाज कार्य के उद्देश्य किस प्रकार से जन कल्याण में भागीदारी निभाने में सहायक की भूमिका निभा सकते है |
3. समाज कार्य के उद्देश्यों में निहित प्राविधिक निपुणताओं का वर्णन कीजिये |
4. समाज कार्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिये|

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद, रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004|
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2010|
3. मदन, जी0आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2012|
4. जयसवाल, सीताराम, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2011|

इकाई-5

समाज कार्य एवं अन्य सामाजिक विज्ञान

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य (Objective)

5.1 प्रस्तावना (Preface)

5.2 भूमिका (Introduction)

5.3 समाज कार्य एवं अन्य समाज विज्ञान (Social Work and Other Social Sciences)

5.4 सारांश (Summary)

5.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

5.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (Summary)

5.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. अन्य सामाजिक विज्ञानों की समाज कार्य में भूमिका एवं आवशयकता को समझ सकेंगे ।
2. समाज कार्य विषय की अन्तर्विषयी प्रकृति से परिचित हो जायेंगे।
3. समाज कार्य में अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता प्राप्त कर समाज कार्य में उसका उपयोग कर सकेंगे |

5.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य एक स्वतंत्र विषय है। समाज कार्य व्यवसाय की सेवाएं प्रत्यक्ष तौर पर समाज के लिये होती हैं। चूंकि समाज कार्य में मानव व्यवहार को समझने तथा सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से निदान एवं समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिये समाज कार्य व्यवसाय के द्वारा अन्य सामाजिक विज्ञानों में पायी जाने वाली अवधारणाओं एवं विषयवस्तु का उपयोग व्यक्ति एवं समाज की समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने में किया जाता है।

5.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य अन्तर-अनुशासनिक (Interdisplinery) विषय है। जिसमें मानव व्यवहार का विशेष ढंग से अध्ययन किया जाता है| चूंकि यह समाज से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित है इसलिये इसके द्वारा उन सभी समाज विज्ञानों के

सिद्धान्तों एवं कार्य प्रणालियों का उपयोग अपनी विषयवस्तु के रूप में किया जाता है जो मानव सम्बन्धा तथा सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक होती हैं।

5.3 समाज कार्य एवं अन्य सामाजिक विज्ञान (Social work and other social sciences)

समाज कार्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति की अन्तःवैयक्तिक एवं अन्तर -वैयक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं सामाजिक साधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस कार्य के लिए जहाँ एक ओर समाज कार्य अन्य समाजिक विज्ञानों की मदद लेता है वहीँ दूसरी ओर समाज कार्य के व्यवहारिक प्रयोग से अन्य समाज विज्ञानों की विषय वस्तु में योगदान मिलता है |

समाज कार्य एवं सांख्यिकी(social work and statistics)

सांख्यिकी द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि , 'साँख्यिकी (अर्थात् सांख्यिकी सम्बन्धी सूचना) स्वाभाविक सामाजिक घटनाओं की नाप, गणना अथवा आगणन है जिसे नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से विश्लेषित एवं प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनके मध्य महत्वपूर्ण परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो सके।''

जैसा कि हम जानते हैं कि समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ,साथ ही वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना भी है| इसके लिये इन समस्याओं से संबंधित निश्चित एवं वास्तविक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। यह सूचना सांख्यिकी प्रणालियों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उदाहरणस्वरूप समाज कार्य के अंतर्गत बाल अपराध की समस्या के समाधान का प्रयास किया जाना है। तो इसके लिये आवश्यक है कि बाल अपराधियों की संख्या, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के विषय में पर्याप्त एवं सही जानकारी हो उपलब्ध हो | इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाल अपराधियों और उनके संरक्षकों में से कुछ प्रतिनिधि इकाईयों का चयन करके उनका साक्षात्कार किया जाता है । इसके लिये सांख्यिकी प्रणालियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है ।

सामुदायिक संगठन में (जो समाज कार्य की एक प्रणाली है) इस बात का प्रयास किया जाता है कि समुदाय में समाज कल्याण की आवश्यकताओं एवं समाज कल्याण के साधनों में समायोजन स्थापित किया जाये। इसके लिये आवश्यक है कि समुदाय में समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं के विषय में सूचना प्राप्त की जाये और साथ ही साथ सामुदायिक साधनों के विषय में भी सूचना प्राप्त की जाये और फिर इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाए |इसके लिये भी सांख्यिकी प्रणालियों का प्रयोग अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली समाज कार्य शोध भी हैं इस प्रणाली द्वारा वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली द्वारा समाज कार्य की प्रणालियों की उपयोगिता का मूल्यांकन भी किया जाता है। इन सब बातों में भी सांख्यिकी प्रणालियों का प्रयोग होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज कार्य के प्रत्येक चरण में सांख्यिकी के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसी कारण समाज कार्य की स्नातकोत्तर शिक्षा में सांख्यिकी की प्रणालियों की शिक्षा अनिवार्य रूप से सम्मिलित होती है और विशेष प्रकार से सांख्यिकी की प्रणालियों में विशेषीकरण की सुविधाएँ समाज कार्य के कुछ विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाती है। सांख्यिकी की प्रणालियों द्वारा समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता मिलती है।

समाज कार्य तथा अर्थशास्त्र (Social Work and Economics)

अर्थशास्त्र मानव जीवन के आर्थिक पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मार्शल के शब्दों में, ''अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है| यह वैयक्तिक एवं सामाजिक क्रिया के उस भाग की जांच करता है जो कल्याण की प्राप्ति तथा इसके लिये अपेक्षित सामग्री के प्रयोग से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है''। राबिन्सन के मत में, ''अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उद्देश्यों एवं ऐसे सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, के बीच सम्बन्ध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है''।

अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इन सबके अध्ययन के बिना मनुष्य की समृद्धि के लिये अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का न तो प्रभावपूर्ण रूप से उत्पादन किया जा सकता है, न ही उपभोग। इन वस्तुओं एवं सेवाओं की अभाव में एक व्यक्ति के न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर को जो कि समाज कल्याण का लक्ष्य है, सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है। व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान उसके जीवन के आर्थिक पहलू को सुनिश्चित किये बिना सम्भव नही है, बल्कि अनेक मनोसामाजिक समस्याओं के मूल में आर्थिक कारकों की भूमिका सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिये, अचानक आर्थिक स्थिति में तीव्र गिरावट आ जाने पर व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सामाजिक क्रिया दोषपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति वैयक्तिक एवं मनोसामाजिक असंतुलन का शिकार हो जाता है।अतः विशिष्ट रूप से, अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान समाज कार्य के लिये उपयोगी सिद्ध होता है जैसे कि किस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिये किस प्रकार के उद्यम का चुनाव करना उचित होगा और इसे किस प्रकार प्रभावपूर्ण रूप से चलाया जाये ताकि वह लाभपूर्ण सिद्ध हो सके | अर्थशास्त्र से हमे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारीयाँ प्राप्त होती हैं उदाहरणार्थ समाज में किन वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग किस सीमा तक है, यह मांग कितना स्थायी अथवा अस्थायी है,इस मांग की पूर्ति में कौन-कौन से व्यक्ति तथा संगठन पहले से कार्यरत हैं ,उत्पादित की गयी वस्तुओं एवं सेवाओँ को इनकी लक्षित जनसंख्या तक किस प्रकार पहुचायाँ जाये इत्यादि|

अर्थशास्त्र से हमे विभिन्न प्रकार की समाजोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारीयां भी प्राप्त होती हैं, जैसे जमाखोरी तथा एकाधिकार पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाय ताकि निर्बल वर्ग के लोगों को भी आवश्यक वस्तुयें एवं सेवायें सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, व्यक्ति के जीवन को सुखी एवं आरामदायक बनाने के लिए कौन सी वस्तुयं एवं सेवायें अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनकी अनवरत आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित की जाये, समाज के निर्बल वर्गो को भी आराम एवं सुखपूर्वक जीवित रहने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें किन वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति निःशुल्क रूप से किया जाना आवश्यक है इत्यादि ।

अर्थशास्त्र जीवनयापन के लिये अपेक्षित सुख-सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए समाज के सभी वर्गो के लिये एक न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है जो समाज कार्य का भी उद्देश्य है। समाज कार्य सेवार्थियों की परम्पराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों, मनोवृत्तियों, विश्वासों, पूर्वाग्रहों, रूढ़िग्रस्त अवधारणाओं, अनौपचारिक समूहों, संगठनों तथा संचार व्यवस्थाओं इत्यादि का अध्ययन करते हुए आर्थिक क्रियाओं पर इनके प्रभावों को स्पष्ट करता है। समाज कार्य समाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक अभिवृद्धि को भी मानव विकास के एक आधारभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करता है | यह आर्थिक विकास से सम्बद्ध व्यक्तियों को सामाजिक विकास के विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुये आर्थिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों का अनुसरण करने की प्रेरणाएं एवं परामर्श प्रदान करता है।

इस प्रकार समाज कार्य तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं तथा इनमें अन्योन्याश्रितता का सम्बन्ध है।

समाज कार्य एवं विधि (Social Work and Law)

विधि , व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों, अन्य व्यक्तियों के हितों एवं सामान्य सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये समाज द्वारा स्थापित की गयी प्रथाओं तथा राज्य द्वारा बनाये गये नियमों एवं कानूनों की एक व्यवस्था है जिससे व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति विशेष अथवा सभी अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और उसे इनके सन्दर्भ में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिये बाध्य किया जा सके।

विधि में समाज के निर्बल एवं शोषित वर्गो के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान है, उदाहरण के लिये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, महिलाओं, बच्चो, वृद्धों,श्रमिकों, निराश्रितों इत्यादि के सन्दर्भ में अनेक प्रकार के विशिष्ट कानून बने हुये हैं। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सामान्य कानून भी बनाये गये हैं। संविधान, जो सभी कानूनों का स्रोत है, के अन्तर्गत समाज कल्याण को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त समाज के निर्बल एवं शोषित किये जाने योग्य वर्गो के हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा समाज सेवाओं के आयोजन के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान किये गये हैं। इन वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप समाज कल्याण को प्रोत्साहन मिला है तथा अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियां दूर हुई हैं जो समाज कार्य के लिये गहन अभिरूचि का विषय है।

समाज कार्य के अभ्यास के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के सामने नियमों एवं कानूनों की अनेक प्रकार की कमियां सामने आती हैं। साथ ही उसे , सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक विधान बनाते हुए वैधानिक रूप से नियंत्रण लागू किये जाने की आवश्यकता का अनुभव होता है। इनके परिणामस्वरूप शासन को न केवल नये विधान बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है बल्कि उसे इनके निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक मार्गदर्शन भी मिलता है।

इस प्रकार जहां एक ओर विधि समाज कार्य को एक ऐसा विधिक आधार प्रदान करता है जिनका प्रयोग करते हुए समाज कार्य अपने सेवार्थियों के हितों की उनके संवधानिक अधिकार के रूप में रक्षा कर पाने में समर्थ होता है, वही दूसरी ओर समाज कार्य विधि विशेषज्ञों तथा निर्माताओं के मार्गदर्शन लिए समाज के ऐसे नवीन क्षेत्रों को उजागर करता है जिनमें व्याप्त कमियों को दूर किये जाने तथा उसके लिए नये विधान बनाये जाने की आवश्यकता होती है इससे कानूनों को अधिक सुदृढ़ तथा व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हुए उन्हें अधिक उपयोगी तथा प्रभावी बनाया जा सके है।

जीवन का कोई भी क्षेत्र विधि की परिधि के बाहर नहीं है। यहां तक कि व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन भी विधि की सीमाओं के अन्तर्गत पाया जाता है। विधि उन सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है जहां अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में विधिक अधिकारियों का प्रश्न सामने आता है। विधि उन नियमों, प्रथाओं एवं कानूनों का द्योतक है जो किसी एक विशेष अन्य व्यक्ति अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के सन्दर्भ में व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति तथा अपेक्षित कर्तव्यों के निर्वाह को सुनिश्चित करते हैं।

समाज कार्य एवं समाजशास्त्र (Social Work and Sociology)

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वह रहता है उसके कई क्षेत्र या भाग हैं।व्यक्ति के जीवन में समाज के विभिन्न भागों से सम्बंधित कोई न कोई समस्या आती है| अतः व्यक्ति अपने जीवन काल में कई समस्याओं से घिरा होता है| व्यक्ति के जीवन की समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं जैसे निर्धनता या अशिक्षा एक समाजिक समस्या है। इन समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं। जिनमें से कुछ समस्याओं के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है तथा कुछ समस्याएं व्यक्ति की समाजिक दशाओं से सम्बन्धित होती हैं। ये समस्याएं व्यक्ति को उसके उसके अपने कर्तव्य-पालन में बाधा डालती हैं । जैसे अपराध एक सामाजिक समस्या है साथ ही व्यक्तिगत विघटन की भी समस्या है जिसके कई

कारण हो सकते हैं। समाजशास्त्र उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करती हैं।ये समस्याएं न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है अपितु सम्पूर्ण समाज इससे प्रभावित होता है।

सामाजिक घटनायें मनुष्यों के बीच परस्पर अन्तक्रिया से उत्पन्न होती हैं|समाज कार्य के अन्तर्गत कार्यकर्ता को एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के अध्ययन की आवश्यकता भी पड़ती है। इसके लिए समाजिक कार्यकर्ता के लिए समाज एवं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान होना आवश्यक है जो कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु है |

समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं एवं उनके पारस्परिक संबंधों के संजाल का भी अध्ययन करता है। चूंकि व्यक्ति की बहुत सी समस्याएं उनकी आपसी क्रियाओं से सम्बन्धित होती हैं| अतः समाजिक कार्यकर्ता को इन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु सामाजिक संजाल (ताने-बाने) की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जिसके लिए समाजशास्त्र के अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है ।

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विघटन की वैज्ञानिक रूप से जानकारी हो इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। आरम्भ से ही कार्यात्मक रूप से दोनों (समाजशास्त्र एवं समाज कार्य) संबंधित रहे है जिसके अनेंक कारण हैं -

1. समाज कार्य एवं समाज शास्त्र दोनों में सामाजिक समस्याओं को समान रूप से महत्त्व दिया गया है |
2. दोनो में सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक सुधार को भी मुख्य बिंदु माना गया है। इस कारण ये दोनों विषय एक दूसरे से अन्तःसम्बन्धित हैं।
3. सेवार्थी की भूमिका एवं उसकी सामाजिक भूमिका संबंधी आकांक्षाओं के बारे में उसे जानकारी समाजशास्त्रीय अध्ययन से प्राप्त होती है।
4. व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों एवं मनोवृत्तियों तथा सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों में संघर्ष उत्पन्न होता है| इस संघर्ष में वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन प्रभावित होने लगता है जो वैयक्तिक विघटन एवं विचलन के रूप में प्रकट होता है, जिससे व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करने लगता है। सेवार्थी (व्यक्ति) की इन गम्भीर समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है।

6. समाजिक कार्यकर्ता जब किसी सेवार्थी को उसके पर्यावरण के साथ समायोजित करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति की उपसंस्कृति, मूल्यों, प्रथाओं, रूढ़ियों और विचारधाराओं से भलीभाँति परिचित हो । ऐसा करने के लिए कार्यकर्ता को समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी|

5. समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में शोध, अध्ययन एवं सामुदायिक विश्लेषण द्वारा समाज कार्य को योगदान करता है।
6. समाज की संरचना एवं प्रकार्यो के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से परिचित होना आवश्यक है।

समाज कार्य के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के विकास के इतिहास का विश्लेषण करने से पता चलता है कि समाज कार्य किस सीमा तक समाजशास्त्रीय अध्ययन पर निर्भर है।

समाज कार्य एवं मनोविज्ञान (Social work and pshcyology)

मनोविज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं ,व्यवहारों तथा मानव प्रकृति के निर्माणकारी तत्वों के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं को जानने का प्रयास किया जाता है साथ ही तनाव, दुश्चिन्ता जैसी समस्याओं के कारणों को भी समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञान में ही परामर्श आदि तकनीकों का प्रयोग कर व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मॅक्डूगल का कहना है कि ''मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है।''

थाउलेस के अनुसार "मनोविज्ञान में मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ रूप से विस्तृत परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया जाता है इसमें व्यक्गित एवं आत्मनिष्ठ अनुभव भी सम्मिलित होते हैं।" मनोविज्ञान के अन्तर्गत चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं प्रेरणाओं का अध्ययन करता है और यह भी बताता है कि मनुष्य के व्यवहार के निर्माण में कौन-कौन से कारक अंतर्निहित होते हैं| उसके सीखने एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का निर्माण कैसे हुआ है। व्यक्ति आन्तरिक शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है। मनोविज्ञान शारीरिक क्रियाओं के स्थान पर अंतर्निहित मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रमण एवं पर्यावरण के आपसी अंतःक्रिया का भी अध्ययन करता है जिससे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के अन्तर को जाना जा सके।

वहीं दूसरी तरफ समाज कार्य में भी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के आपसी सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता है जिससे व्यक्ति और उसके पर्यावरण में कुसमायोजन की स्थिति को संतुलित किया जा सके। इस कार्य में मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। बहुत सी परिस्थितियों में समाजिक कार्यकर्ता को मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए व्यक्तित्व के अध्ययन, सम्प्रेरणाओं के विशलषण एवं व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिउत्तरों के अर्थ को समझने में मनोविज्ञान समाज कार्य की सहायता करता है। समाज कार्य मनोविज्ञान से सहायता लेता ही नहीं बल्कि देता भी है। समाज कार्य अभ्यास के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता को मानव व्यक्तित्व के नवीन पहलुओं एवं समस्याओं का पता चलता है जो मनोविज्ञान की विषयवस्तु के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं| वहीं समाज कार्य अभ्यास के द्वारा मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का सामान्यीकरण किया जाता है जो मनोविज्ञान के आधार को सशक्त करते हैं।

समाज कार्य एवं राजनीतिशास्त्र (Social Work and Political Science)

राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत किसी शासन व्यवस्था के स्वरूप, महत्व, प्रकार, संगठन एवं सिद्धान्तों एवं संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के स्वरूप, राज्य की संगठनात्मक संरचना, राज्य की क्रियाओं के विनियमन् तथा संविधान के विभिन्न अंगों उनके आपसी सम्बन्धों एवं संविधान के संचालन का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य की नीतियाँ क्या हैं, और क्या होनी चाहिए , इसका भी अध्ययन किया जाता है। चूंकि सामाजिक नीतियों का निर्माण एवं परिपालन राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा किया जाता है और एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इनका ज्ञान अति आवश्यक है। समाज के कमजोर वर्गो के हितों के लिए नीतियों का निर्माण, मानवाधिकारों का संरक्षण एवं विकास आदि के विषय में जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कौतुहल का विषय रहता है। राज्य द्वारा निर्धारित नीतियाँ, नियम, कानून ,योजनायें तथा कार्यक्रम समाज कल्याण संस्थाओं के संठनात्मक स्वरूप को प्रभावित करती हैं। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को यह ज्ञात होना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि समाज के कमजोर वर्गो के लिए कौन-कौन से संवैधानिक प्रावधान, क़ानून,योजनाएं तथा विशिष्ट कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कार्यकर्ता इस ज्ञान का उपयोग समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हित की विभिन्न सेवाओं का लाभ दिलाने में कर सकता है। इस वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की सरकारी

संस्थाओं का योगदान है। इन संस्थाओं की प्रशासकीय व्यवस्था तथा इनके मध्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता को राजनीतिविज्ञान द्वारा होती है । कार्यकर्ता कानूनों एवं प्रशासकीय व्यवस्था के ज्ञान का प्रयोग सामाजिक क्रिया और सामाजिक आन्दोलनों में करते हैं। वे लोगों को उनके कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए समय –समय पर सामाजिक आंदोलन भी करते हैं|सामाजिक कार्यकर्ता के ज्ञान का लाभ सामाजिक नीतियों के निर्माण में भी किया जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से विभिन्न कानूनों ,योजनाओं एवं कार्यक्रमों की कमियों तथा विसंगतियों की तरफ सरकार तथा नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं जिससे कि इन नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जा सके।

इस प्रकार समाज कार्य एवं राजनीति शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करते हुए समाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थियों एवं समाज के हितों की वृद्धि के लिए कार्य करते है।

5.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को ठीक करके सामाजिक न्याय दिलाने में मद्द करता है। अतः व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं मनोसामाजिक स्थिति को समझने के लिय प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में पाये जाने वाले ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इससे समाज कार्य का विषय क्षेत्र भी विस्तृत एवं समृद्ध हो जाता है।

5.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्धों का उल्लेख कीजिये।
2. समाज कार्य में मनोविज्ञान की अवधारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिये।
3. समाज कार्य का अर्थशास्त्र से क्या सम्बन्ध है? स्पष्ट कीजिये।
4. समाज कार्य, समाजशास्त्र से किस प्रकार सम्बन्धित है?

5.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004.
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2010.
3. मदन जी0आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन ,दिल्ली, 2012.
4. जयसवाल, सीताराम, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, अग्रवाल पब्लिकेशन्स,आगरा, 2011.

इकाई-6

समाज कार्य के मौलिक मूल्य

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य (objective)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

6.2 भूमिका (Preface)

6.3 समाज कार्य के मौलिक मूल्य (Basic Values of Social Work)

6.4 सारांश (Summary)

6.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

6.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

6.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के मौलिक मूल्यों को जान सकेंगे।
2. समाज कार्य में सेवा प्रदान करते समय में मूल्यों के महत्व से परिचित हो सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

समाज कार्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें दूसरों की सहायता करना सम्मिलित है| समय के साथ-साथ समाज कार्य में विशिष्ट व्यवसायिक मूल्यों एवं कार्य प्रणालियों का विकास होता गया जिससे समाज कार्य ने वर्तमान में एक ऐसे सशक्त व्यवसाय का स्वरूप प्राप्त कर लिया है जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई इसका प्रमुख कार्य है।

6.2 भूमिका (Preface)

एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है किन्तु अपने विकास के क्रम में समाज कार्य को विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। वर्तमान में भी समाज कार्य के मूल्यों को लेकर कार्यकर्ताओं में दुविधा की स्थिति पायी जाती है इसलिए समाज कार्य के प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को इसके मौलिक मूल्यों की जानकारी होना आवश्यक है |इन मूल्यों के मार्गदर्शन से ही एक समाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के यंत्रों एवं प्रविधियों का उपयोग करते हुए समाज को अपनी सेवायें सरलतापूर्वक प्रदान कर सकता है।

6.3 समाज कार्य के मौलिक मूल्य (Basic Values of Social Work)

समाज कार्य के मौलिक मूल्यों के विषय में विवेचना से पहले 'मूल्य' का अर्थ समझना आवश्यक है।

कौस (S.C. Kohs) ने मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की है, ''मूल्य किसी व्यक्ति, समूह या समाज का किसी वस्तु, अवधारणा, सिद्धान्त, क्रिया अथवा परिस्थिति के विषय में बौद्धिक संवेगात्मक निर्णय है।''

डौरोथी ली (Dorothy Lee) ने मूल्यों की परिभाषा करते हुऐ कहा है, ''मानवीय मूल्य या मूल्यों की एक पद्धति से मेरा अभिप्राय,उस आधार से है जिसके कारण एक व्यक्ति किसी एक मार्ग को किसी दूसरे मार्ग से अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित समझते हुये ग्रहण करता है |.....हम मानवीय मूल्यों के विषय में केवल व्यवहार द्वारा ही जान सकते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य मनुष्य के व्यवहार के निर्माण तथा निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही मूल्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन भी हैं।

समाज कार्य एक व्यवसाय है और इसका उद्देश्य मानव कल्याण करना है। यह तभी सम्भव है जब वह सामाजिक मूल्यों को अपनी क्रियाविधि में समाहित करे। समाज कार्य के भी कुछ विशेष मूल्य हैं। यह भी सत्य है कि समाज कार्य के मूल्यों के विषय में विचारकों में मतैक्य नहीं है, परन्तु अधिकतर मूल्य ऐसे हैं जिनसे लगभग सभी सहमत हैं। 'कौस' ने 10 मूल्य बताये हैं, जो समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य हैं। वह इस प्रकार हैं:

1. मनुष्य की प्रतिष्ठा तथा उसकी महत्ता ।
2. मानव में सम्पूर्ण विकास प्राप्त करने की योग्यता।
3. मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि।
4. भिन्नताओं की स्वीकृति।
5. आत्म निर्देशन।
6. स्वतंत्रता।
7. अपने अस्तित्व की सुरक्षा।
8. अनिणर्यात्मक प्रकृति।
9. रचनात्मक सामाजिक सहयोग।
10. अवकाश का रचनात्मक प्रयोग एवं कार्य का महत्व।

इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि समाज कार्य के प्राथमिक मूल्यों में विश्वास रखना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिये अनिवार्य है। बिना इसके व्यावसायिक अह्म का विकास और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं है।

जानसन (Johnson) के अनुसार, ''मूल्यों को सांस्कृतिक या केवल वैयक्तिक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वस्तुओं की एक दूसरे के सन्दर्भ में तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है, उन्हें सापेक्ष रूप से अपेक्षित या अनपेक्षित, बुद्धिमत्तापूर्ण या मूर्खतापूर्ण, अधिक या कम सही माना जाता है।

कोनोप्का (konopka) ने भी प्राथमिक व द्वितीयक मूल्यों में अन्तर माना है। उनके मतानुसार प्राथमिक मूल्य दो हैं -

(1) प्रत्येक व्यक्ति को उचित सम्मान एवं अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के सम्पूर्ण विकास का अधिकार।

(2) व्यक्तियों में परस्पर निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति उनकी योग्यतानुसार उत्तरदायित्व।

कोनोप्का का विचार है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के मौलिक मूल्यों को बिना किसी विशेष मतभेद के स्वीकृत कर लेना चाहिये। द्वितीयक मूल्यों के विषय में वे एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं और अपने इस मतभेद को को वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा दूर कर सकते हैं।

कोनोप्का ने लिन्डमैन के विचारों की व्याख्या करते हुऐ लिखा है कि समाज कार्य तथ्यों में मूल्यों के प्रवेश की अवधारणा में विश्वास रखता है।

हरबर्ट बिस्नो(Herbert Bisno) ने समाज कार्य के मूल्यों को सविस्तार प्रस्तुत किया है। संक्षेप में उन मूल्यों की रूपरेखा इस प्रकार है:

1. प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान है।
2. मानवीय क्लेश अवांछनीय है और उसका निरोध करना चाहिये या जहाँ तक सम्भव हो उसे कम करने का प्रयास करना चाहिये।
3. समस्त मानव व्यवहार मनुष्य के जैविकीय अस्तित्व और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रिया का परिणाम है।

सामाजिक कार्यकर्ता मूल्यों का प्रयोग उपचार व शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:

(1) मूल्यों के विकास में सेवार्थी की सहायता करना।

(2) सेवार्थी की सहायता इस प्रकार करना कि वह अपने मूल्यों को पूर्ण रूपेण समझ सके।

(3) सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने मूल्यों के मध्य संघर्ष को समाप्त कर सके।

(4) सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने और समाज के अन्य व्यक्तियों या समूह के मूल्यों के संघर्ष और अन्तर को समझ सके।

(5) वह अपने और दूसरे के मूल्यों के संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को दूर कर सके।

(6) वह अधिक रचनात्मक सामाजिक तथा वैयक्तिक मूल्यों का पता लगाये और उन्हें ग्रहण करे।

(7) वह अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार कर सके और अपने मूल्यों के प्रयोग में लचीलापन उत्पन्न कर सके।

(8) विभिन्न मूल्यों में से वह उचित मूल्यों का चुनाव कर सके।

संयुक्त राष्ट्र ने समाज कार्य के निम्नलिखित दार्शनिक एवं नैतिक मूल्यों व मान्यताओं का उल्लेख किया है

(1) किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा व्यवहार को ध्यान में रखे बिना उसके महत्व, मूल्य या योग्यता को मान्यता प्रदान करना तथा मानव प्रतिष्ठा एवं आत्म सम्मान को प्रोत्साहित करना।

(2) व्यक्तियों ,वर्गों एवं समुदाय के विभिन्न मतों का आदर करने के साथ ही जन कल्याण के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना।

(3) आत्म-सम्मान एवं उत्तरदायित्व पूरा करने की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से स्वाबलम्बन को प्रोत्साहित करना।

(4) व्यक्तियों, वर्गों अथवा समुदायों की विशेष परिस्थितियों में संतोषमय जीवन निर्वाह करने हेतु समुचित अवसरों में वृद्धि करना।

(5) समाज कार्य के ज्ञान एवं दर्शन जो मानवीय इच्छाओं व आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं, के अनुरूप अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण एवं कार्य क्षमता का सदुपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो।

(6) व्यावसायिक सम्बन्धों की गोपनीयता को बनाये रखना।

(7) सेवार्थियों (व्यक्ति, समूह, समुदाय) को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देने के लिये इन सम्बन्धों का उपयोग करना।

(8) यथा सम्भव विषयात्मकता एवं उत्तरदायित्व के साथ व्यावसासिक सम्बन्धों का उपयोग करना।

6.4 सारांश (summary)

समाज कार्य ने एक व्यवसाय के रूप में विगत कुछ दशकों में एक सुदृढ स्थिति प्राप्त कर ली है इसके अपने विशिष्ट सिद्धान्त मूल्य और कार्य प्रणाली है इनकी सहायता से यह व्यक्ति की विविध प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। समाज कार्य में प्रजातांत्रिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की इच्छाओं को महत्व देता है और उसकी समस्याओं का समाधान उसी की इच्छा के अनुसार करता है।

6.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य के मौलिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए।
2. समाज कार्य के मूल्य सामान्य सामाजिक मूल्यों से किन अर्थों में विशिष्ट हैं इसका वर्णन कीजिये।
३. समाज कार्य के नैतिक मूल्य मानवतावादी दर्शन पर आधारित है उक्त कथन की विवेचना कीजिये |

6.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
4. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
5. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ
6. Khinduka S.K., Social Work in India.

इकाई-7

समाज कार्य : प्रारूप एवं सिद्धान

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य (Objectives)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

7.2 भूमिका (Preface)

7.3 समाज कार्य के प्रारूप (Approaches of Social Work)

7.4 समाज कार्य के सिद्धान्त (Principles of Social Work)

7.5 सारांश (Summary)

7.6 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

7.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के प्रारूपों को जान जाएँगे।
2. समाज कार्य के सिद्धान्तों से परिचित हो जायेंगें।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

समाज कार्य व्यवसाय के अन्तर्गत समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान किया जाता है। अतः इसमें व्यक्ति के व्यवहारों को समझने के लिये तथा सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक निदान करने के लिये विशिष्ट प्रारूपों एवं सिद्धान्तों को उपयोग किया जाता है। एक व्यवसायिक कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन प्रारूपों एवं सिद्धान्तों का समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति की समस्याओं को समझने एवं उन्हें कम करने में उनकी सहायता करे।

7.2 भूमिका (Preface)

समाज कार्य व्यवसाय की अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली है जिसमें उपचार से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिये विशिष्ट प्रारूपों एवं सिद्धान्तों का विकास किया गया है। इनके विकास में जहाँ एक तरफ अन्य सामाजिक विज्ञानों से सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं को ग्रहण किया गया है वहीं इनके विकास में सामाजिक कार्यकर्ताओं का व्यवहारिक ज्ञान भी अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है।

7.3 समाज कार्य के प्रारूप (Approaches of Social Work)

समाज कार्य में उपचार की प्रक्रिया के विकास मे धीरे –धीरे अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता गया है। इन सिद्धान्तो का आधार विभिन्न समाजवैज्ञानिकों के विचार है जो समय-समय पर सामने आते रहते है। मनोविज्ञान, मनोरोगविज्ञान, समाजशास्त्र के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर समाजकार्य के अभ्यासकर्ताओ ने अपने क्षेत्रीय अनुभवों और अनुसधांन कार्य के प्रयोग के बाद इन सिद्धान्तों को विकसित किया है। इन सिद्धान्तों के विकास में उस समय की प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। विभिन्न विचारको के आपसी मतभेद भी इन सिद्धान्तों के विकास में अपनी भूमिका निभाते आये हैं। समय के अनुसार समाजविज्ञान के कई विद्वानों ने भी इन सिद्धान्तों को प्रभावित किया है। वैयक्तिक समाज कार्य में उपचार के सभी उपागम या दृष्टिकोण या शैलियाँ समय-समय पर प्रतिपादित इन्ही सिद्धान्तों पर आधारित हैं|

ये उपागम , सिद्धान्त या शैलियाँ निम्नलिखित हैं -

1. मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप (Psycho-analitical Approach)

मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। फ्रायड ने अपने विचारो का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार व्यक्तित्व के विभिन्न अंग/भाग में आपस कें संघर्ष करते हैं। इड, ईगो और सुपरईगो को व्यक्तित्व की एक स्थिर संरचना के रूप में देखा गया है। फ्रायड का मत है कि संघर्ष का उपचार तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अचेतन मन को प्रकट किया जाय और संघर्ष के सभी पक्षो को चेतन मन के स्तर पर सामने लाया जाये। फ्रायड का मत है कि दमन ही व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं की सबसे बड़ी घटना है। इसलिए मनो-चिकित्सक का मौलिक चिकित्सा संबधी कार्य इन्ही दमित भावनाओं/आवश्यकताओं/समस्याओं से भुगतना है। फ्रायड ने इस प्रारूप के प्रतिपादन मे यौन मूल प्रवृत्ति को केन्द्रीय स्थान दिया है।

2. अहम् मनोविज्ञान प्रारूप (Ego Psychology Approach)

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में सेवार्थी की अहम शक्ति के समर्थन पर या अहम को दृढ़ बनाने पर बल दिया जाता है। अहम मनोविज्ञान मे मनोविश्लेषण सिद्धान्त की जटिलता विद्यमान है पर यह लिविडो सिद्धान्त के विरूद्ध नही है। इस सिद्धान्त में अहम् की तुलना मे इड़ ,सुपर ईगो एंव बाहरी वास्तविकताओं को स्थान दिया गया है। अहम परिणामों के विषय में सोचता है उन सम्भावनाओं की प्रत्याशा करता है जो अभी घटित नही हुई होती है और उनका समाधान निकाल लेता है। इसी कारण समाज कार्य के अभ्यास मे अहम मनोविज्ञान सिद्धान्त के अनुसार सेवार्थी के अहम को दृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। यही अहम व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की आंतरिक आवश्यकताओं और बाहरी वास्तविकताओ के बीच संतुलन बनाये रखने में सहायता देता है। अहम् के आपसी संतुलन को बनाये रखना ही समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है।

इस प्रारूप के अनुसार कार्यकर्ता का कार्य सेवार्थी की समस्या (संघर्ष) के क्षेत्रो और इनकी गतिकी को समझना है लेकिन वास्तव में उसे और सेवार्थी दोनो का कार्य समस्या का समाधान करके सेवार्थी के अहम को संघर्ष से मुक्त करना है। उपचार की दृष्टि से सेवार्थी के अहम बल, व्यवस्थित भागों और उसके व्यक्तित्व की कमजोरियों एंव कमियों को समझना महत्वपूर्ण माना जाता है।

3. मनः सामाजिक चिकित्सा प्रारूप (Psycho-social therapy approach)

इस प्रारूप में प्रत्यक्ष कार्य के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कार्य पर भी बल दिया गया। मनः सामाजिक सिद्धान्त मे सेवार्थी के सम्पूर्ण मूल्याकंन और निदान पर बल दिया जाता है और इसी कारण इसे निदानात्मक शैली का सिद्धान्त कहा जाता हैं। हौलिस का मत है कि मनः सामाजिक सिद्धान्त वास्तव में सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य की सामाजिक व्यवस्था सिद्वान्त उपागम का ही रूप है।

टर्नर का मत है कि सेवार्थी की मनः सामाजिक चिकित्या में न केवल सेवार्थी, उसके परिवार या समूह का अध्ययन आवश्यक है, उसकी चिकित्सा के लिए समुदायों के साथ भी प्रत्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है।

वार्टलेट का कहना है कि सेवार्थी की समस्या के समाधान में केवल सेवार्थी ही नही, परिवारों, समूहों और समुदायों के साथ भी कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है।

4. प्रकार्यात्मक प्रारूप (Functional Approach)

इस प्रारूप का प्रतिपादन आटोरैंक ने किया था | इन्होंने बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तीकरण और स्वायत्तता की एक जन्मजात सहज इच्छा होती है और व्यक्ति की समस्या का समाधान इसी व्यक्तिकरण की इच्छा का निर्मोचन करके ही किया जा सकता है। इस प्रारूप के चार प्रमुख अंग है- मिलन, पृथक्करण, प्रक्षेपण और पहचान। कार्यकर्ता के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करता हुआ सेवार्थी सम्बन्धों का रचनात्मक प्रयोग करना सीख जाता है। इस प्रारूप के प्रयोग मे व्यक्ति के अपने स्वयं के विषय में निर्णय पर अधिक बल दिया जाता है। कार्यकर्ता सेवार्थी द्वारा लिये गये निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता है। सेवार्थी आत्म निर्धारण के सिद्धान्त का प्रयोग करके इस प्रकार्यात्मक प्रारूप मे एक ऊँचा स्तर रखता है क्योंकि समाज कार्य के अभ्यास में उपचार के लिए सेवार्थी की आत्म निर्धारण क्षमता का विकास करके उसकी कार्यात्मकता में वृद्धि की जाती है

5. व्यवहार आशोधन प्रारूप (Behaviour Modification Approach)

व्यवहार आशोधन सिद्धान्त का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक पावलोव, थार्नडाइक एंव स्किनर द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यो के कारण हुआ। इसके अनुसार सीखे हुए व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन लाने के लिए कई विधियां प्रयोग की जाती है। ये विधियां सकारात्मक पुर्नवलन, नकरात्मक पुर्नवलन व्यवस्थित विसुग्राहीकरण प्रतिरूपण और दूसरी विधियाँ।

स्टुअर्ट ने व्यवहार आशोधन चिकित्सक का वर्गीकरण किया है- अभिज्ञत (सूचनार्थी) चिकित्सक और क्रियात्मक चिकित्सक। सूचनार्थी चिकित्सा में सेवार्थी की भावनाओं और विचारों मे अशोधन का प्रयास करने के बाद उसके व्यवहार और सामाजिक अनुभवों में आशोधन का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक चिकित्सा में सेवार्थी की भावनाओं और विचारों का अनुमान लगाये बिना ही प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार मे परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सेवार्थी के पर्यावरण व्यक्तियों के व्यवहार में आशोधन किया जाता है जिससे वे लोग सेवार्थी से भिन्न प्रकार का व्यवहार करें जो सेवार्थी के लिए लाभदायक हो।

6. संज्ञानात्मक प्रारूप (Cognitive Approach)

इस प्रारूप के अनुसार व्यक्ति के सोचने की क्षमता, जो एक चेतन प्रक्रिया है, उसके संवेगों, प्रेरणाओं और व्यवहारों को निर्धारित करती है। इस सम्बन्ध मे तीन आधारों का उल्लेख करते है-

(1) जब व्यक्ति के प्रत्याक्षीकरण मे परिवर्तन आता हो तो उसके संवेगो, प्रेरको एंव लक्ष्यो और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।

(2) जब उस व्यक्ति के लक्ष्यों एंव प्रेरको मे परिवर्तन आता है तो इसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।

(3) नये क्रिया कलापों और नये प्रकार के व्यवहार की सहायता से प्रत्यक्षीकरण, को बदला जा सकता है इस दृष्टिकोण का अर्थ है कि प्रत्यक्षीकरण, प्रेरको एंव लक्ष्यो और व्यवहार में परस्पर सम्बन्ध होता है। यदि कार्यकर्ता के विचार मे सेवार्थी के लक्ष्य समाज के लक्ष्यों की लय में अपने आपका पुनः स्थापन करने में सहायता प्रदान करता है। वह उसे ऐसे नये अनुभव प्राप्त करने में या नये, व्यवहार करने का सुझाव देता है जिससे सेवार्थी स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

7. सामाजिक भूमिका का प्रारूप (Social Role Approach)

सामाजिक भूमिका की अवधारणा, व्यक्ति और समाज की अवधारणा के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है|प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक प्रस्थिति या प्रस्थितियाँ होती है जिनके अनुसार ही वह कुछ भूमिका या भूमिकायें निभाता है। व्यक्ति की भूमिका को दूसरे व्यक्ति, जिनके सन्दर्भ में भूमिका, निभायी जा रही है, की प्रत्याशा के सम्बन्ध मे ही समझा जा सकता है। व्यक्ति द्वारा भूमिका का निर्वाह उसकी प्रेरणाओं, क्षमताओं पर निर्भर होने के साथ-साथ कुछ विशेष परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। यह वर्तमान तथा भूतकालीन बाहरी प्रभावो से भी प्रभावित हो सकता है। परन्तु इस प्रारूप की जो प्रमुख विशेषता यह है कि वास्तविक जीवन का वह व्यवहार जिसका एक कार्यकर्ता अध्ययन करता है। सामाजिक दृष्टिकोण या मानदंडों से निर्धारित होता है। व्यवहार की सभी प्रकार की भिन्नतायें केवल वर्तमान या भूतकालीन बाहरी प्रभावो से ही प्रभावित नही होती है। फ्रीडलेण्डर के अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्ति का व्यक्तिकरण करते है| अपनी संस्कृति के विश्वासों एंव मूल्यों और समुदाय की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की समस्या के समाधान मे मध्यस्थता करते है तो प्राथमिक समूह इस सामाजिक भूमिका की व्याख्या मे और इसके आशोधन मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य के अभ्यास में सामाजिक संस्थाओ के संगठन को समझने में यह सामाजिक भूमिका की अवधारणा हमारी सहायता करता है।

7.4 समाज कार्य के सिद्धान्त

समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है जिसमें समाज कार्य में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जरूरतमंद या समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए कार्य किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अभ्यास के दौरान बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है| साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि सेवा प्रदान करने की विधियों में एकरूपता भी बनी रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित सार्वभौमिक सिद्धान्तों का पालन किया जाय। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धान्त है जिनका पालन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। ये सिद्धान्त निम्नवत है-

1.स्वीकृति का सिद्धान्त

स्वीकृत का अर्थ है कि सेवार्थी से उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही व्यवहार किया जाये और उसकी परिस्थिति के अनुसार ही उसके विषय में कोई विचार बनाया जाय। यह सिद्धान्त सेवार्थी को एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उसको महत्व प्रदान करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को एक दूसरे को परस्पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी की शक्तियों और कमजोरियों, सकारात्मक और नकारात्मक

मनोवृत्तियों और भावनाओं, सृजनात्मक एवं ध्वंसकारी मनोवृत्तियों और व्यवहार के अनुसार ही उससे व्यवहार करना चाहिए |सेवार्थी को भी कार्यकर्ता को इसलिए स्वीकृत प्रदान करनी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता ही वह व्यक्ति है जो उसको उसकी समस्या से बाहर निकलने में उसकी सहायता कर रहा है। स्वीकृत का अर्थ मात्र यही नही होता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी को केवल उन्हीं वस्तुओं की स्वीकृति प्रदान करे जो नैतिक रूप से सही हों बल्कि कर्ता को सेवार्थी की नैतिक या अनैतिक किसी भी स्थिति का ध्यान रखे बिना उसे उसकी समस्या के समाधान में सहायता करनी चाहिए। क्योंकि सेवार्थी को जब तक इस बात का एहसास नही होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता उसकी समस्या का समाधान करने में सक्षम है और वह उसकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है, तब तक उसे कार्यकर्ता तथा उसकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास नही होगा और वह कार्यकर्ता को सम्बन्धों की स्थापना में पूर्ण सहयोग प्रदान नही करेगा। सेवार्थी द्वारा कार्यकर्ता की कार्यक्षमता पर किसी भी प्रकार का सन्देह सहायता प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। उसी प्रकार कार्यकर्ता द्वारा भी सेवार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो एक समस्या से ग्रसित होकर उसके पास सहायता के लिए आया है।

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते है उसी प्रकार समस्या समान होने के बावजूद भी उनके कारणों में भिन्नता पायी जाती है। वहीं एक ही समस्या का प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों पर भिन्न-भिन्न रूप से पड़ता है। वही प्रत्येंक व्यक्ति का समस्या के प्रति प्रत्युतर भी अलग-अलग होता है। इसलिए एक व्यवसायिक के रूप में कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी की विशिष्टता तथा क्षमता का सम्मान करना चाहिए और उसके लिए एक विशिष्ट समाधान प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।

प्रारम्भ में कर्ता और सेवार्थी दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। इस कारण सेवार्थी अपनी समस्या के सभी पक्षों को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने में संकोच एंव असमर्थता का अनुभव करता है। सेवार्थी के वाहय रूप और पृष्ठभूमि पर विचार किये बिना कार्यकर्ता को उसे स्वीकर करना चाहिए। उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा में सम्मिलित किसी व्यक्ति को मात्र इसलिए स्वीकृति देने से इन्कार नही करना चाहिए कि वह नैतिक रूप से ठीक नही है। सेवार्थी की दोष या अ क्षमता की रोकथाम के लिए पारस्परिक एवं स्नेहपूर्ण ढंग से स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

2. संचार का सिद्धान्त

संचार का सिद्धान्त एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। प्रथम मुलाक़ात के साथ ही कर्ता और सेवार्थी में बातचीत और विचार विमर्श की एक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। वे आपस में विचारों का आदान-प्रदान भी करते है। इससे उनमें संचार प्रारम्भ हो जाता है। संचार लिखित, अलखित या मौखिक और सांकेतिक रूप में भी हो सकता है। यह कार्य तभी उचित रूप से हो सकता है जब सेवार्थी और कार्यकर्ता ऐसी भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करें जो एक दूसरे को आसानी से समझ में आ जाये। अतः कार्यकर्ता को भी उसी भाषा और बोली का प्रयोग करना चाहिए जो कि सेवार्थी द्वारा किया जा रहा है। जिससे कार्यकर्ता जो सम्प्रेषित कर रहा है वह सेवार्थी तक सही ढंग से पहुंचे। कार्यकर्ता अपनी बातचीत और कार्यो के माध्यम से सेवार्थी की भलाई के लिए ही कार्य करता है। एक सुस्पष्ट एवं प्रभावी संचार के कारण ही कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों एक दूसरों की स्थिति को सही ढंग से समझ सकते हैं ओर सेवार्थी भी सेवा की उपयोगिता एवं प्रभावकारिता को समझ पाता है।

सम्बन्धेां में घनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच परस्पर स्नेह और सौहार्द पर आधारित संचार स्थापित हो। किन्तु सदैव ऐसा नही होता क्योंकि समाज कार्य सम्बन्धों में संचार तनावपूर्ण होता है। इसका कारण कार्यकर्ता और सेवार्थी का कदाचित अलग-अलग पृष्ठभूमि का होना भी हो सकता है। वहीं सेवार्थी भी समस्याग्रस्त होने के कारण एक भिन्न मानसिक स्थिति में हो सकता है। वह पर्यावरण जिसमें वह संचार ग्रहण करता है वह समय-समय पर परिवर्तित हो

सकता है जिसके कारण त्रुटिपूर्ण संचार की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ता को यह निरीक्षण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसके और सेवार्थी के बीच उपयुक्त संचार संभव हो सके। कार्यकर्ता को भी प्रभावी संचार के माध्यम से सेवार्थी के मानसिक कष्टों को कम करने का प्रयास करना चाहिए |उसे अपने मनोभावों, तथ्यों एवं संवेगों को व्यक्त करने के प्रति आश्वस्त करना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता को संचार की विभिन्न तकनीकों का भी समय-समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। कार्यकर्ता को भी अपने मनोभावों को प्रकट करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए|

3. वैयक्तिकरण का सिद्धान्त

व्यतीकरण का अर्थ है प्रत्येक सेवार्थी के विशिष्ट एवं अद्धितीय गुणों को ज्ञात करना और समझना और सिद्धान्तों एवं प्रणालियों के भिन्न प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग-अलग एवं विशिष्ट ढंग से सहायता करना जिससे वह उच्चतर समायोजन प्राप्त कर सके। व्यतीकरण का सिद्धान्त मानव गरिमा पर आधारित है | प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्थितियों के आधार पर विशिष्ट है और उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नही की जा सकती। व्यतीकरण का आधार इस बात की स्वीकृत पर है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी रूचि के अनुसार करने का अधिकार है। यह सेवार्थी का अधिकार है कि उसकी समस्या को विशिष्ट समस्या समझा जाय और उसी के अनुरूप उसको सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कार्यकर्ता यह स्वीकार करता है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताऐं होती हैं जो दूसरों से मिलती है फिर भी व्यक्ति की कुछ अद्धितीय विशेषताऐं होती है जो दूसरों में नही पायी जाती।

गोपनीयता का सिद्धान्त

गोपनीयता का सिद्धान्त समाज कार्य में कर्ता और सेवार्थी के बीच सम्बन्धों की स्थापना एवं घनिष्ठता में अत्यन्त सहायक होता है। सेवार्थी की अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं जिन्हें वह गोपनीय रखना चाहता है अतः वह कार्यकर्ता से इस बात का आश्वासन चाहता है कि वह अपनी समस्या से सम्बंधित जो भी तथ्य प्रकट करे उसे पूर्णरूप से गोपनीय रखा जाये। साथ ही सेवार्थी के विषय में कार्यकर्ता को जो कुछ भी ज्ञात हो उसे भी गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह कार्यकर्ता का नैतिक और व्यवसायिक कर्तव्य है। गोपनीयता का आश्वासन प्रायः मनो-सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते समय देना पड़ता है। अतः कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह समस्या से सम्बन्धित आन्तरिक रहस्यों और उन गोपनीय बातों का भी ज्ञान प्राप्त करें जिन्हें सेवार्थी भय और लज्जा या किसी अन्य कारणवश दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करता|

कार्यकर्ता के समक्ष प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं जब उसके द्वारा गोपनीयता पूर्णतया सम्भव नहीं हो पाती है| अतः कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष उन सभी स्थितियों को स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है कि उसकी समस्या से सम्बन्धित तथ्यों एवं सूचनाओं को समस्या के समाधान की दृष्टि से अन्य विशेषज्ञों के साथ साझा करना पड़ सकता है | इसके लिए सेवार्थी की सहमति आवश्यक है।

यदि सेवार्थी गोपनीयता के प्रति आश्वसत नही होगा तो वह अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में संकोच का अनुभव करेगा |इस बात के लिए कार्यकर्ता सेवार्थी में इस बात का विश्वास उत्पन्न करता है कि उन दोनों के बीच वार्तालाप के दौरान होने वाले तथ्यों के आदान-प्रदान को किसी अन्य के समक्ष प्रकट नही किया जायेगा। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को तब तक प्रकट नही करेगा जब तक उसे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास न हो और यह विश्वास गोपनीयता के आश्वासन से उत्पन्न होता है| सेवार्थी को यह विश्वास होना आवश्यक है कि कार्यकर्ता के समक्ष वह जो भी सूचनाऐं प्रकट कर रहा वह उसका किसी भी स्तर पर दुरूपयोग नही करेगा। तथा उसकी प्रतिष्ठा को हानि नही पहुँचायेगा। समाज कार्य में जब तक समस्त सूचनाऐं सेवार्थी उपलब्ध नही करवायेगा तब तक उसकी सहीं ढंग से सहायता कर पाना

कार्यकर्ता के लिए संभव नही हो पाता है| इस सिद्धान्त का पालन करते समय कार्यकर्ता को कुछ मूल्य सम्बन्धी दुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। चूंकि कार्यकर्ता संस्था का एक कर्मचारी होता है इसलिए उसे सेवार्थी की सहायता प्रक्रिया के दौरान अन्य कार्यकर्ताओं अथवा संस्था के कर्मचारियों से सेवार्थी की समस्या को लेकर सूचनाऐं साझा करनी पड़ती है जिससे सेवार्थी को दिया गया गोपनीयता का आश्वासन प्रभावित होता है|

आत्मनिर्णय का सिद्धान्त

समाज कार्य में आत्मनिर्णय का सिद्धान्त इसे लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करता है इस सिद्धान्त को समाज कार्य के मूल सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धान्त सेवार्थी के आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सर्वोत्तम का चयन करने का अधिकार है और इसके लिए वह अपनी इच्छानुसार अपनी समस्या के समाधान करना चाहता है। इसमें कार्यकर्ता सेवार्थी को समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में आत्मनिर्णय का अधिकार देता है तथा कभी भी अपने निर्णय को उसके ऊपर आरोपित नही करता है| वह सेवार्थी की निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करता रहता है जिससे वह अपने विषय में उचित निर्णय ले सके। इस सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि व्यक्ति ही अपने हितो का सर्वोच्च निर्णायक होता है| वही अपने विषय में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकता है| अतः उसे आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार है| किन्तु सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें निर्णय लेने की क्षमता एवं अन्तर्दृष्टि के विकास अर्थात उसके लिए क्या अच्छा है और उसको क्या स्वीकार्य है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायता करनी चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। इससे सेवार्थी के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त की मान्यता के अनुसार कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर तुरन्त ही कोई निर्णय नही लेना चाहिए बल्कि तब तक उसे किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या का समुचित अध्ययन एवं निदान न हो जाय। सामाजिक कार्यकर्ता को बिना किसी पक्षपात के व्यवासयिक सम्बन्ध को प्रारम्भ करना चाहिए। इसके लिए उसे सेवार्थी के विषय में अच्छे -बुरे या योग्य - अयोग्य के रूप में धारणा कायम नही करनी चाहिए। यह कार्यकर्ता को समस्या के विषय में कोई भी अतार्किक या अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोकता है। यह सिद्धान्त कार्यकर्ता को व्यवसायिक ढंग से निर्णय लेने तथा व्यवसायिक सम्बन्धों के निर्माण में सहायक होता है।

7.नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बन्ध का सिद्धान्त

यह सिद्धान्त कार्यकर्ता को इस बात के प्रति सावधान करता है कि यह सेवार्थी की समस्या को देखकर स्वयं उससे व्यक्तिगत एवं भावनात्मक लगाव का अनुभव न रखने लगे। चूंकि कार्यकर्ता एक व्यवासयिक व्यक्ति है इसलिए उसे व्यवसायिक ढंग से सम्बन्ध स्थापन की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा सम्भव हो सकता है कि सेवार्थी की समस्या एवं कार्यकर्ता की जीवन स्थितियों में कुछ समानता हो ऐसी स्थितियों में कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से सेवार्थी से कुछ जुड़ाव या लगाव का अनुभव करने लगता है जो व्यवसायिक ढंग से समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हो सकता है। अतः कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सेवार्थी की भावनाओं को व्यवसायिक संवेदनशीलता के आधार पर समझे तथा व्यवसायिक ज्ञान और उद्देश्य के आधार पर उसका प्रति उत्तर दे अर्थात सेवार्थी के प्रति कार्यकर्ता की सहनुभूति एक व्यवसायिक और वास्तविक सहानुभूति हो न कि व्यक्तिगत। कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सेवार्थी की समस्या में लिप्त होने के बजाय वस्तुनिष्ठ ढंग से कार्य करना चाहिए| उसे सेवार्थी की समस्या के विषय में व्यक्तिगत निर्णय नही लेना चाहिए क्योंकि अधिक सहानुभूति कार्यकर्ता के आत्म-निर्णण और स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। किन्तु वहीं कार्यकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक वस्तुनिष्ठता या अलगाव सेवार्थी को इस बात के लिए

सशंकित कर सकता है कि कार्यकर्ता को उसकी समस्या में रूचि नही है| जिससे वह अपने मनोभावों और गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करनें में हिचक सकता है। अतः कार्यकर्ता को परानुभूति का उपयोग करते हुए अपने भावनाओं एवं संवेगों पर नियन्त्रण रखते हुए व्यवसायिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए।

7.5 सारांश (Summary)

समाज कार्य के प्रारूप एवं सिद्धान्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिये आधार एवं सुविधायें प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्याओं का वैज्ञानिक निदान कर पाने में समर्थ होते हैं। तथा इनसे सेवा की व्यवसायिकता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है तथा उनका मानकीकरण कर पाना सम्भव होता है।

7.6 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन कीजिए।
2. समाज कार्य के सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
3. समाज कार्य के मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप की उपयोगिता का वर्णन कीजिये।
4. वैयक्तिकरण का सिद्धान्त व्यक्ति की समस्याओं को समझने में कहां तक सहायक है? उल्लेख कीजिये।

7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004.
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ
4 Friedlander, W.A., Concept and Methods of Social Work.

इकाई-8

समाज कार्य : अंगभूत एवं प्रविधियां

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य (Objectives)

8.1 प्रस्तावना (Preface)

8.2 भूमिका (Introduction)

8.3 समाज कार्य के प्रमुख अंगभूत (Components of Social Work)

8.4 समाज कार्य की तकनीकी (Tools of Social Work)

8.5 समाज कार्य की प्रविधियां (Techeiqnes of Social Work)

8.6 सारांश (Summary)

8.7 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for practice)

8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrences)

8.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के प्रमुख अंगों को जान सकेंगे।
2. समाज कार्य की निपुणताओं से परिचित हो सकेंगे।
3. समाज कार्य के यंत्रों के महत्व को जान सकेंगे।
4. समाज कार्य की प्रविधियों की उपयोगिता स्पष्ट हो सकेगी।

8.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्यकर्ता समाज कार्य के विशिष्ट यन्त्रों, प्रविधियों का उपयोग अपनी विविधतापूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए सामाजिक सम्बन्धों के उन्नति एवं विकास के लिए करते हैं वहीं समाज में वांछित एवं अभिष्ट परिर्वतन लाने के लिए भी कार्य करते है।

8.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है किन्तु अपने विकास के क्रम में समाज कार्य को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। कार्यकर्ता समाज कार्य के यंत्रों एवं प्रविधियों का उपयोग करते हुए सेवा प्रदान करते हैं।

8.3 समाज कार्य के प्रमुख अंग (Components of social work)

समाज कार्य व्यवसायिक ज्ञान एंव सिद्धान्तों पर आधारित सहायता प्रदान करने का कार्य है। इसके अंतर्गत एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा समस्याग्रस्त सेवार्थी को उसकी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में सहायता दी जाती हैं। इस प्रकार समाज कार्य व्यवसाय के तीन प्रमुख अंग है -

1. कार्यकर्ता
2. सेवार्थी
3. संस्था

कार्यकर्ता समाज कार्य में शिक्षित एंव प्रशिक्षित एक ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति होता है जिसे समाज कार्य के सिद्धान्तों का ज्ञान होता है| जिसके पास व्यवसायिक कौशल और निपुणता होती है और जिसे मानव व्यवहार तथा गतिविधियों का भी जानकारी होती है| यह कार्यकर्ता व्यैक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता, सामूहिक समाज कार्यकर्ता एंव सामुदायिक संगठनकर्ता भी हो सकता है। समाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मामलों का जानकार होता है| इसमें व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं की समझ एवं योग्यता होती है। वह सेवार्थी की समस्या को समझने में उसकी मदद करता है तथा उसमें आत्मबोध का विकास करता है| उसके व्यक्तित्व का विकास करते हुए समस्या समाधान का समुचित अवसर प्रदान करता है। दूसरे व्यावसायिक सम्बन्धों की भाँति सेवार्थी और कार्यकर्ता के आपसी सम्बन्ध उद्देश्यपरक होते है। यह सम्बन्ध एक निश्चित समयावधि के लिए होता है और लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात् यह सम्बन्ध व्यवसायिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच का व्यवसायिक सम्बन्ध एक विशिष्ट सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध के अंतर्गत सहायता देने वाला व्यक्ति व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान और निपुणताओं से युक्त होता है। वह सम्बन्ध समापन प्रक्रिया के माध्यम से ही सेवार्थी की समस्या का समाधान करता है। क्योकि समाज कार्य मे 'सम्बन्ध' ही समस्या समाधान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत कार्यकर्ता बिना किसी प्रारंभिक निर्णय और वस्तुगत दृष्टिकोण के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है और स्वयं को किसी भावनात्मक एवं सांवेगिक जुड़ाव से पृथक रखता है। यह कार्यकर्ता की व्यवसायिक विशेषताएं हैं।

सामान्यतः कार्यकर्ता जब वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत कार्य करता है उसे सेवार्थी की उन सांवेगिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है तो अंतर्वयक्तिक सम्बन्धों से उत्पन्न कठिनाइयों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। वैयक्तिक कार्यकर्ता 'सम्बन्ध' के माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी के वास्तविक एवं अवास्तविक मनोसंघर्षों को समझने का प्रयत्न करता है और उन्हे स्पष्ट करता है। प्रायः समस्या समाधान की प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी स्नेह, विरोध, घृणा और आक्रोश आदि भावनाओं का प्रदर्शन करता है| सेवार्थी की इन भावनाओं का सम्बन्ध सेवार्थी की विगत जीवन की किसी अन्य परिस्थितियों से होता है। ये भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सामान्यतः व्यक्ति अपने विगत जीवन के अनुभवों के आधार पर नवीन

परिस्थितियों में भी प्रतिक्रिया करते है| कार्यकर्ता को इन प्रतिक्रियाओं को पहचान कर सावधानीपूर्वक इनका हल निकालना चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता, समूह कार्य की प्रकिया में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। समूह कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता समूह की आवश्यकताओं का पता लगाकर, चेतनापूर्वक एक समूह के निर्माण के लिए कार्य करता है। यहाँ भी कार्यकर्ता का समूह के साथ सम्बन्ध महत्वपूर्ण होता है। वह समूह के कार्यक्रम के माध्यम से समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साथ ही वह कार्यक्रम का उपयोग चेतनापूर्वक करते हुए समूह की अभिलाषाओं के स्तर में परिवर्तन लाता है। वह कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक जीवन में अन्तःक्रिया की क्षमता में वृद्धि करता है और समूह की शिक्षा और मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

इसी प्रकार सामुदायिक संगठन के अंतर्गत भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है उनके क्रम का निर्धारण किया जाता है और समुदाय में एक संगठन को विकसित किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए समुदाय के संसाधनो के अनुरूप कार्यक्रम विकसित करने में समुदाय के लोगों की मदद करता है। वह समुदाय की आवश्यकताओं और संसाधनों के मध्य एक गतिशील समायोजन स्थापित करता है और समुदाय की समस्याओ को दूर करने में उसकी मदद करता है।

इस प्रकार समाज कार्य व्यवसाय में समाजिक कार्यकर्ता ही वह प्रमुख व्यक्ति होता है जो अपने सेवार्थी, व्यक्ति, समूह और समुदाय के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करता है|

सेवार्थी

समाज कार्य व्यवसाय में सेवा का प्रमुख केन्द्र सेवार्थी ही होता है। सेवार्थी अर्थात सेवा का उपभोक्ता (सेवा का उपभोग करने वाला) या जिसे सेवा या सहायता प्रदान की जाती है। सेवार्थी कोई व्यक्ति, समूह और समुदाय हो सकता है।सेवार्थी के रूप में व्यक्ति की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं और समस्यायें हो सकती हैं जिनके समाधान में जब वह अपने आप को अक्षम पाता है तो संस्था के पास सहायता मांगने आता है। सेवार्थी की समस्याएं शारीरिक मानसिक और सामाजिक किसी भी प्रकार की हो सकती है व्यक्ति समस्याओं से घिरने के पश्चात् ही संस्था में आता है और समस्याओं का सम्बन्ध उसके पूरे व्यक्तित्व से होता है। अतः कार्यकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि जब कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति संस्था में आता है तब कार्यकर्ता उसकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक व सहानुभूतिपूर्वक सुने| बल्कि उस समस्या का समाधान करते हुए उसके व्यक्तित्व का इस प्रकार से विकास करे कि वह व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं शान्ति का अनुभव करे और एक सुखी जीवनयापन कर सके।

कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यवहारों को परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। प्रायः सेवार्थी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए समायोजन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति की आन्तरिक और वाह्य उत्प्रेरकों, आवश्यकताओं और परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता रहता है| जिनके कारण उसके मनोस्नायुविक प्रणाली पर कुछ दबाव पड़ता है और उसमें कुछ परिवर्तन आता है| जिससे सेवार्थी को तनाव का अनुभव होता है| उस तनाव को कम करने और मनोस्नायविक प्रणाली में स्थिरता लाने में ही कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी की सहायता की जाती है।

इसी प्रकार जब व्यक्ति के समाजिक अन्तःक्रियाओं का क्षेत्र आता है और अपने पर्यावरण में लोगों के साथ ठीक ढंग से अन्तःक्रिया करने में स्वयं को सक्षम पाता है तब वह अपने पर्यावरण में स्वयं को समायोजित अनुभव करता है। किन्तु जब वह तनाव, अवसाद आदि मानसिक समस्याओं या सामाजिक-आर्थिक समस्याओं आदि के कारण कुण्ठाग्रस्त व निराश हो जाता है तो वह अन्तः क्रिया करने में स्वयं को असमर्थ पाता है और अपने पर्यावरण में कुसमायोजन का अनुभव करता है। इस कुसमायोजन का व्यक्ति के ऊपर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति स्वयं को हीन एवं

निराश समझने लगता है। यहीं पर समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगती है जबकि वह अनेक सेवार्थी को निराशा की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। चूँकि सेवार्थी निराशा, कुंठा और अवसाद से ग्रसित होता है इसलिए उसकी स्थिति में गिरावट और क्षीणता को रोकना कार्यकर्ता का प्रमुख दायित्व होता है। वह सेवार्थी के कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तित कर उसमें आशा का संचार करता है और उसे अपनी समस्या से बाहर निकालकर समायोजन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए कार्यकर्ता कुछ प्रविधियों का भी उपयोग करता है | सर्वप्रथम वह सेवार्थी को मनोवैज्ञानिक आलम्बन प्रदान करता है जिससे उसकी स्थिति में होने वाली क्षीणता को रोका जा सके। कार्यकर्ता सेवार्थी को परामर्श भी प्रदान करता है| वह उसे समस्या और उसके समाधान के बारे में नयी-नयी जानकारी प्रदान करते हुए सेवार्थी को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और उसका आन्तरिक और वाह्य समायोजन बेहतर बनाता है।

संस्था

समाज कार्य के आवश्यक अगों में संस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि समाज कार्य में समस्या के समाधान की प्रकिया प्रत्येक स्थान में सम्पन्न नहीं हो सकती| उसके लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर सेवार्थी की समस्याओं को सुलझाने में मदद की जा सके। संस्था वह स्थान होता है जहाँ पर कार्यकर्ता एक कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवायें उपलब्ध करने के लिए तत्पर रहता है। संस्था के तत्वाधान में ही समस्या समाधान के लिए आवश्यक भौतिक और प्राविधिक उपकरण तथा विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में सहायता की व्यवस्था की जाती है।

सामान्यतः संस्थाए कई प्रकार की होती हैं। सहायता प्राप्ति के दृष्टि से इन्हे दो भागों मे बांटा जा सकता है। प्रथम वे संस्थाएं हैं जिनका वित्तीय भार राज्य के द्वारा वहन किया जाता है, इन संस्थाओं को सार्वजनिक संस्थाएँ कहा जाता है| जबकि वे संस्थाएँ जिनका वित्तीय भार वहन स्वयं संस्था के प्रयासों एवं निजी दान एवं सहायता के आधार पर किया जाता है उन्हे निजी संस्थाएँ कहा जाता है। संचालन एवं अधिकार की दृष्टि से भी संस्थाओं के दो रूप होते है प्राथमिक एवं द्वितियक। वे संस्थाएं जिनका नीति-निर्धारण किसी अन्य संस्था या संगठन द्वारा किया जाता है किन्तु क्रियान्वयन संस्था के द्वारा किया जाता है द्वितियक संस्थाएं कहलाती हैं।

प्रायः संस्थाओं की स्थापना कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए संस्था में एक प्रशासकीय ढाँचे का विकास किया जाता है| जिसमें कर्मचारियों के दायित्व और अधिकार सुनिश्चित होते हैं। संस्था के कार्य को समुदाय के लिए उपयोगी बनाने के लिए कुछ लोगों द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उन नीतियों का परिपालन संस्था में अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। संस्था का संगठन और नीतियाँ ,कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक सामाजिक संस्था अपने समुदाय के आदर्शो और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए समुदाय की बदलती हुई आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार स्वयं में भी परिवर्तन करके समुदाय के लिए अपनी उपयोगिता को बनाये रखती है।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। ये कार्यकर्ता आवश्यक ज्ञान और कुशलताओं से युक्त होते हैं। कार्यकर्ता का संस्था, सेवार्थी और समुदाय के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। कार्यकर्ता को संस्था के इतिहास, उद्देश्य, आय -व्यय के स्त्रोत, कार्यक्षेत्र और नीतियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए| जिनके आधार पर वह सेवार्थी को समुचित सेवा प्रदान करता है। वह संस्था का एक प्रतिनिधि भी होता है। कार्यकर्ता को

प्रशासकीय कार्यो में भी निपुण होना चाहिए। उसे सेवार्थी से सम्पर्क स्थापित करने, अभिलेखन, पत्राचार और दूसरी संस्थाओं से सहयोग स्थापित करने में भी दक्ष होना चाहिए।

संस्था के साथ-साथ समुदाय के प्रति भी कार्यकर्ता का दायित्व होता है। उसे समुदाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप संस्था की नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने का कार्य भी करना चाहिए। उसे समुदाय की अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से लेकर समुदाय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग सेवार्थी की सहायता के लिए करना चाहिए।

इस प्रकार, संस्था ही वह मुख्य माध्यम है जो यह पता लगाने का प्रयास करती है कि सेवार्थी के आन्तरिक और वाह्य पर्यावरण में किस हद तक समायोजन की आवश्यकता है| उसके लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी और कहाँ तक संस्था समस्या का समाधान प्रदान करके सेवार्थी के भावी जीवन में परिवर्तन लाकर समायोजन स्थापित करने में उसकी मदद कर सकती है।

8.4 समाज कार्य के अभिकल्प

1. स्वयं की चेतना का प्रयोग |
2. रचनात्मक सम्बंधों का प्रयोग |
3. मौखिक अंतःक्रिया |
4. कार्यक्रम नियोजन एवं इसका प्रयोग |

1. स्वंय की चेतना का प्रयोग |

समाज कार्य अभ्यास में कार्यकर्ता की भूमिका समस्या समाधान की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वह सेवार्थी के साथ समस्या समाधान की प्रक्रिया मे समान रूप से सम्मिलित होता है। वह सर्वप्रथम सेवार्थी की समस्या का अध्ययन करता है और वैयक्तिकरण के माध्यम से सेवार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। किन्तु यह भी देखा गया है कि सभी कार्यकर्ता सभी प्रकार के सेवार्थियों की स्वीकृति नही प्राप्त कर पाते क्योंकि कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व मे भिन्नता होती है। चूंकि समाज कार्य का उददेश्य लोगो की सहायता करना है इसलिए कार्यकर्ताओ का सेवार्थी के साथ व्यवसायिक सम्बन्धों के समुचित प्रयोग के लिए कार्यकर्ताओं में आत्मबोध का होना आवश्यक है। इसलिए कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के मध्य संबंधों में कार्यकर्ता को स्वंय की चेतना का प्रयोग करना चाहिए। उसे आत्मचेतना, पूर्वाग्रहों, पक्षपातों एवं विशेष रूचियों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपनी संवेगों, भावनाओं एवं प्रेरणाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जिससे जब सेवार्थी अपनी समस्याओं और भावनाओं तथा संवेगो को प्रकट करे तो कार्यकर्ता उन्हे वास्तविक रूप में समझ सके। कार्यकर्ता को सेवार्थी के असामाजिक व्यवहार की निन्दा करने की अपेक्षा उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता को सेवार्थी की भावनाओं के साथ-साथ स्वंय की भावनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। कार्यकर्ता को दोनों की भावनाओं के अन्तर को समझकर ही समस्या समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। उसे स्वंय की भावनाओं का सचेत रूप से प्रयोग करना चाहिए तथा सेवार्थी के साथ सहानुभूति एवं मित्रतापूर्ण संबंधो का प्रदर्शन करने के बावजूद भी व्यवसायिक तटस्थता बनाये रखते हुये भावनात्मक जुडाव से बचना चाहिए।

2. रचनात्मक सम्बन्धों का प्रयोग

समाज कार्य में सम्बन्धों का उपयोग प्रारम्भ से लेकर अन्त तक होता है। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ता और सेवार्थी उभयनिष्ठ होते हैं तथा समस्या समाधान का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य का सम्बन्ध होता है। समाज

कार्य में सम्बन्ध स्थापना ही सहायता कार्य का आधार होता है। सम्बंध को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है| संबंध एक ऐसा प्रत्यय है जो मौखिक और लिखित वार्तालापों में प्रकट होता है| जिसमें कर्ता और सेवार्थी कुछ लघुकालीन और दीर्घकालीन सामान्य रूचियों एवं भावनाओं के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या को तभी अच्छे ढंग से जान पाता है जब सेवार्थी के साथ उसके सम्बंध प्रगाढ होते हैं। जैसे-जैसे संबंध घनिष्ठ होते जाते हैं समस्या समाधान के उददेश्य प्राप्त होते जाते है। इसलिए कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ अपने संबंधों के प्रयोग में जागरूक होना चाहिए तथा रचनात्मक संबंधो का प्रयोग करना चाहिए। सम्बंधो की घनिष्ठता का सर्वाधिक प्रयोग वैयक्तिक समाज कार्य प्रक्रिया में किया जाता है।

वैयक्तिक सेवा कार्य का मूल आधार साक्षात्कार में निपुणता, कार्यकर्ता-सेवार्थी संबंध का रचनात्मक प्रयोग तथा मानव व्यवहार की गतिशीलता के कार्यात्मक ज्ञान पर निर्भर करता है। सेवार्थी की आन्तरिक भावनाओं, कठिनाइयों तथा वैयक्तिक इतिहास का जितना अधिक ज्ञान कार्यकर्ता को होता है उतनी ही अधिक वह उपचार कार्य में सफलता प्राप्त करता है| किन्तु इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए रचनात्मक घनिष्ठ सम्बंधो की आवश्यकता होती है। इसलिए समस्या समाधान की प्रक्रिया में सदैव कार्यकर्ता के द्वारा रचनात्मक सम्बंधों का प्रयोग करना चाहिए | जब कार्यकर्ता सेवार्थी के मूल्यों का आदर करता है तथा स्नेह, प्रेम, सहिष्णुता प्रदर्शित करता है तब सेवार्थी तथा उसकें मध्य सकारात्मक सम्बंधो का विकास होता है। चूंकि सेवार्थी अपने मनोसंघर्षो को किसी के समक्ष प्रकट नही करता है| किन्तु कार्यकर्ता द्धारा जब अपने रचनात्मक संबंधो का प्रयोग करते हुये सहिष्णुता, लगाव व स्नेह प्रदान किया जाता है तब सेवार्थी का कार्यकर्ता पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और वह समस्या समाधान मे उसे सहयोग करने लगता है।

3. मौखिक अन्तः क्रिया

कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के मध्य सम्बन्धों में घनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि दोनों में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से साक्षात्कार अर्थात मौखिक अन्तःक्रिया हो, क्योंकि वही कार्यकर्ता सफल माना जाता है जो सेवार्थी के साथ मौखिक अन्तःक्रिया करने में सक्षम होता है। इसके लिए कार्यकर्ता को अपने तथा सेवार्थी के बीच होने वाली संचार प्रक्रिया की प्रविधि का ज्ञान होना आवश्यक है। संचार की यह प्रक्रिया सेवार्थी के सांवेगिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक स्तर पर की जाती है।

सांवेगिक स्तर पर, संचार को स्थापित करते हुए कार्यकर्ता को सेवार्थी के प्रति भावनात्मक लगाव व सहनशीलता का परिचय देते हुए उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनना व समझना चाहिए। कार्यकर्ता द्वारा बातचीत की प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार से करना चाहिए कि सेवार्थी उस पर सहज रूप से विश्वास करते हुए अपने व्यक्तिगत तथ्यों को भी आसानी से प्रकट कर सके। दोनों के आपसी सम्बन्ध तभी घनिष्ठ बनते हैं जब सेवार्थी को भी अपनी बात सहज एवं स्पष्ट रूप से कहने का अवसर प्राप्त होता है।

कर्ता एवं सेवार्थी के बीच मौखिक अन्तः क्रिया अर्थात बातचीत तभी अच्छे ढंग से सम्पन्न हो पाती है, जब कार्यकर्ता को सेवार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान हो। उसे सेवार्थी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, बोली, रीति-रिवाज, लोकाचार तथा रूढियों आदि के विषय में ज्ञात कर लेना चाहिए, जिससे संचार को समान स्तर पर सम्पन्न किया जा सके। कार्यकर्ता को सेवार्थी से जुडे उक्त तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सांस्कृतिक कारक समस्या को जटिल बनाने में उत्तरदायी हो सकते हैं। अतः यदि कार्यकर्ता सेवार्थी के सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करता है तो सम्बन्धों को घनिष्ठ बढ़ती है।

सेवार्थी के साथ मौखिक अन्तःक्रिया करते हुए कार्यकर्ता को इस महत्वपूर्ण बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसे सेवार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही बातचीत करनी चाहिए न कि स्वयं के स्तर के अनुरूप | क्योंकि

यदि कर्ता सेवार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुरूप बातचीत नहीं करेगा तो सेवार्थी को इसमें अरूचि उत्पन्न हो सकती है और वह सहयोग देने से इन्कार भी कर सकता है| अतः कार्यकर्ता को बातचीत व संचार में उन्हीं संकेतों, चिन्हों, भाषा और बोली का उपयोग करना चाहिए जो सेवार्थी के संस्कृतिक व बौद्धिक स्तर के अनुकूल हों।

4. कार्यक्रम नियोजन एवं इसका प्रयोग

समाज कार्य, वैज्ञानिक ज्ञान एवं पद्धतियों पर आधारित एक व्यवसाय है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कार्य पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। समाज कार्य में कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य किया जाता है। कार्यक्रम का प्रयोग बहुधा समूह समाज कार्यप्रणाली एवं सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत किया जाता है। इन प्रणालियों में कार्यकर्ता समूह और समुदाय की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप कार्यक्रम की गतिविधियों का नियोजन करते हैं। जिनमें समूह के उद्देश्य तथा संस्था एवं समुदाय के संसाधनों के अनुरूप कार्यक्रम बनाये जाते हैं। कार्यक्रम ही वह महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनके माध्यम से अभिष्ट एवं वांछित परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। अतः कार्यकर्ता के द्वारा कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए जो समूह के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो तथा उसका संचालन समूह के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार भी हो। कार्यक्रम की गतिविधियों का नियोजन इस प्रकार से भी करना चाहिए जिससे वह भविष्य की चुनौतियों एवं परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और समूह भी उतार-चढावों का सामना आसानी से कर सके। कार्यक्रम में सभी सदस्यों की भूमिकायें स्पष्ट एवं नेतृत्व परिभाषित होना चाहिए। कार्यकर्ता को अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर देनी चाहिए तथा उसे कार्यक्रम का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे समूह की अभिलाषाओं के स्तर में परिवर्तन लाया जा सके,उनकी उम्मीदें पूरी की जा सकें और साक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

8.5 समाज कार्य की प्रविधियां (Techniques of Social Work)

सहयोग

इस प्रविधि के अंतर्गत दो या दो से अधिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास सम्मिलित होते हैं। इस प्रविधि का उपयोग तब किया जाता है जब सेवार्थी की समस्या के एक से अधिक पक्ष होते हैं, या समस्या का सम्बन्ध उसके पारिवारिक और सामाजिक पर्यावरण से होता है। पारिवारिक समस्याओं के सन्दर्भ में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब अलग-अलग सेवार्थियों के साथ अलग-अलग कार्यकर्ता कार्य करते हैं और कार्यकर्ता समय-समय पर एक दूसरे के साथ मिलकर सेवाथियों की समस्याओं और भावनाओं से एक-दूसरे को अवगत करवाते हैं| तो इससे समस्या समाधान के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर पाना सम्भव हो जाता है।

शिक्षण

सेवार्थी जब संस्था के पास आता है तब उसे अपनी समस्या का समुचित ज्ञान नहीं होता है। वह हीनभावना से ग्रसित होता है और अपने आप को एक हीन प्राणी समझता है। उसके अहं का क्षरण हो चुका होता है और वह अपने मनोसंघर्षो के प्रति अनभिज्ञ होता है। अतः कार्यकर्ता समय एवं आवश्यकतानुसार सेवार्थी को शिक्षण प्रदान करता है जिससे समस्या के विषय में उसे ज्ञान होता है। कार्यकर्ता सेवार्थी का वैयक्तिकरण करता है और उसके मनोसंघर्षो को स्पष्ट करता है वह भाव विवेचन करते हुए भावनाओं के प्रकटीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है तथा यथा स्थान सेवार्थी के समस्या के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसे समस्या के विषय में अवगत कराता है।

स्वीकृति

कार्यकर्ता सेवार्थी को उसके वास्तविक स्वरूप में ही स्वीकार करता है अर्थात सेवार्थी जिस अवस्था में कार्यकर्ता के पास सहायता माँगने आया है उसे उसी रूप में सहायता देने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। वह सेवार्थी में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए नहीं कहता है| वह उसका सम्मान करता है जिसका परिणाम यह होता है कि सेवार्थी स्पष्ट रूप से सच्चाई बताकर राहत प्राप्त करता है।

प्रोत्साहन

कार्यकर्ता सेवार्थी को उसके समस्या समाधान का दायित्व सौंपता है। वह जहाँ एक तरफ समस्या के कारणों को स्पष्ट करता है| वहीं समस्या समाधान के लिए उसकी क्षमता में वृद्धि करता है और उसे प्रोत्साहन प्रदान करता है।

पुष्टिकरण

कार्यकर्ता सेवार्थी के यथार्थ एवं वास्तविक विचारों का पुष्टिकरण करता है| जिससे सेवार्थी को अपनी समस्या भी स्पष्ट होती है और उसमें एक विश्वास जागृत होता है।

समाज कार्य के क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट तकनीकें

प्रतिरक्षा तन्त्र (Defence mechanism)

व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की दुश्चिन्ता तथा दबाव से सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति का अहम् (इगो) किसी उपाय या क्रियाविधि के उपयोग को सुनिश्चित करता है, इसे प्रतिरक्षा तन्त्र या रक्षारूढ़ि युक्तियों के नाम से जाना जाता है। यह तथ्यात्मक नहीं होता है। इसे भौतिक रूप में तथा चेतन रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तथा यह अचेतन स्तर पर कार्य करता है इसके उपयोग के प्रति व्यक्ति जागरूक नहीं होता। प्रतिरक्षा तन्त्र विभिन्न मानसिक दबावों दुश्चिन्ता आदि के समाधान का स्वस्थ तरीका नही है। इसके बार-बार उपयोग करने से गम्भीर प्रकार के मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति में सामान्यतः निम्न प्रतिरक्षा तन्त्र देखे जा सकते है-

दमन (Repression)

दमन एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग व्यक्ति चयनित विस्मरण के लिए करता है अर्थात जब कोई कष्टदायक विचार या अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति इसे अपने चेतन स्तर से निकाल देना चाहता है और इसके लिए जिस क्रियाविधि का इस्तेमाल करता है उसे दमन कहते हैं| व्यक्ति जिस बात का दमन करता है या फिर चेतन रूप से अस्वीकार करता है| वह वास्तव में दमित या विस्मरित नहीं होता। दमन व्यक्ति के सचेत प्रयासों या जागरूकता से होता है| इसमें कष्टदायी विचारों को निष्क्रिय करने का प्रयास किया जाता है।

अस्विकृति (Denial)

जब व्यक्ति किसी अनुभव को या प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार नहीं करता तब इसे अस्विकृति कहा जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आप्रिय वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करता तथा इसके लिए वह प्रायः दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है।

पृथक्करण (Isolation)

पृथक्करण तब घटित होता है जबकि ईगो के द्वारा दुश्चिन्ता को पृथक किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावना को किसी विचार या घटना से पृथक करके देखता है।

प्रक्षेपण (Projection)

प्रक्षेपण के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा अपनी निराशा, कुंठा, असामान्य विचारों, असफलताओं आदि के लिए किसी वास्तविक या काल्पनिक व्यक्ति या घटना को उत्तरदायी ठहराया जाता है। अपने अहम् की रक्षा के लिए मानव व्यवहार में सबसे अधिक यह प्रवृत्ति पायी जाती है। एक सीमा तक यह प्रवृत्ति व्यक्ति में सन्तुलन बनाये रखती है| किन्तु सीमा से अधिक हो जाने पर यह विभिन्न प्रकार के मनोविकारो को उत्पन्न करती है और इससे विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियाँ पैदा होती है

स्थानान्तरण (Transfarence)

इसमें व्यक्ति असफलताओं, अप्रिय घटनाओं आदि को दूसरो पर स्थानान्तरित कर देना।

तार्किकीकरण/यौक्तिकरण (Rationalisation)

यौक्तिकीकरण में प्रायः व्यक्ति अपने असमायोजित या कुसमायोजित व्यवहार को तार्किक या न्यायोचित सिद्ध करता है और वह कुछ तर्को या प्रेरणाओं का अर्जन करता है। इसके प्रायः दो परिणाम या लाभ उत्पन्न होते हैं। यह किसी निश्चित या विशिष्ट व्यवहार को तार्किक या न्यायोचित सिद्ध करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति की असफलताओं, निराशाओं, कुण्ठाओं, अप्राप्त उद्देश्यों, प्रभावों आदि को कम करने में सहायता करती है।

फैण्टेसी (कल्पना) करना

जब कोई व्यक्ति कुंठा या निराशा की स्थिति से मुक्ति पाने का प्रयास करता है| तब वह कल्पना के माध्यम से अपने अहम् को हुई क्षति या पीड़ा को कम करने का प्रयास करता है। जैसे किसी एक क्षेत्र में निराश कोई व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे क्षेत्र में सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना कर सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आपको अधिक शक्तिशाली, सक्षम और सम्मानित समझने का अनुभव करता है।

तादात्मिकरण या उदान्तिकरण (Sub-limation)

व्यक्ति की वे मूलभूत भावनाएं या इच्छाएं जिन्हे समाज स्वीकृत ढ़ंग से पूरा कर पाना सम्भव नहीं होता उन्हे समाजिक ढंग से पूरा करने का प्रयास उदान्तिकरण कहलाता है। व्यक्ति जब विशेषकर अपनी आक्रामक या यौन इच्छाओं की पूर्ति चेतन स्तर पर नहीं कर पाता है तब इससे सम्बद्ध मानसिक ऊर्जा तनाव और दुश्चिन्ता उत्पन्न करती है। इसलिए व्यक्ति इन मूलभूत प्रवृतियों को सही दिषा प्रदान करने के लिए अपने लक्ष्यो में परिवर्तन कर लेता है और उन्हे सामाजिक ढंग से पूरा करने का प्रयास करता है जैसे आक्रामक भावनाओं का उदान्तिकरण ऐसे खेलों के माध्यम से किया जा सकता है जिनमें अत्यधिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यौन भावनाओं को कला, साहित्य और वैज्ञानिक गतिविधियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

8.6 सारांश (Summary)

समाज कार्य सभी व्यक्तियों के मूलभूत मानवीय अधिकारों का समर्थन करता है। समाज कार्य का यह विश्वास है कि सभी मानव जातियों में समानता और प्रतिष्ठा के आधार पर आपसी सहयोग एवं स्नेह होना चाहिए। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता समाज कार्य के यन्त्रों, प्रविधियों एवं कार्यप्रणालियों का उपयोग करने के लिए अपनी निपुणताओं का विवेकपूर्ण उपयोग करता है।

8.7 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए।
2. समाज कार्य के यंत्र एवं प्रविधियां कार्यकर्ता के कार्य में कहां तक सहायक हैं? स्पष्ट कीजिए।

8.9 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004.
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2010.
3. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2007.
4. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ,दिल्ली, 2008.
5. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008.
6. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ.
7. Friedlander, W.A., Concept and Methods of Social Work.
8. Chowdhary, D. Paul, Introduction to Social Work

इकाई-9

समाज कार्य के प्रकार्य

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य (Objective)

9.1 प्रस्तावना (Preface)

9.2 भूमिका (Introduction)

9.3 समाज कार्य के प्रकार्य (Functions of Social Work)

9.4 सारांश (Summary)

9.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

9.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

9.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के प्रकार्यों के बारे में जान सकेंगे।
2. समाज कार्य,समाज की आवश्कताओं की पूर्ति में कहां तक प्रकार्यात्मक है, यह समझ सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना (Preface)

आधुनिक समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। एक तरफ जहां व्यक्ति तनाव एवं अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा है| वहीं समाज के विकास में भी विभिन्न प्रकार की बाधायें उपस्थित हैं। ऐसी परिस्थितियों में समाज कार्य एक ऐसे व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है, जो अपनी विशिष्ट कार्य प्रणालियों के माध्यम से न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में सक्षम है| बल्कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं का भी आयोजन कर के सामाजिक समस्याओं को दूर करने तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य कर रहा है।

9.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य के अन्तर्गत व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का दायित्व ग्रहण किया जाता है। समाज कार्यकर्ता ,समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्निहित ज्ञान एवं कुशलताओं के आधार पर समाजिक समस्याओं का बहुआयामी समाधान करता है| जिसमें मनोसामाजिक एवं मनोशारीरिक समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सामाजिक विकास की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है।

9.3 समाज कार्य के प्रकार्य (Functions of Social Work)

समाज कार्य एक सहायतामूलक व्यावसायिक सेवा है। इसका सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है| जिससे वे अपनी समस्याओं का हल स्वयं कर सके एवं स्वयं सक्षम बन सके। समाज कार्य मानव समाज से सम्बन्धित है और वह समाज की समस्याओं के समाधान को कम करने का प्रयास करता है। समाज कार्य मानव समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों से ज्ञान, सिद्धान्त एवं कुशलताओं को ग्रहण करता है एवं उनका उपयोग अपने सेवार्थियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान एवं समाधान में करता है। समाज कार्य की विषय-वस्तु समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोरोग विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान सभी से लिया गया है। ये सभी विद्या उपागम मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान को समझने में सहायक हैं।

इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता, समाज कार्य व्यवसाय में अन्तर्निहित ज्ञान एवं कुशलताओं के आधार पर समाजिक समस्याओं का बहुआयामी समाधान करता है। प्रमुख रूप से समाज कार्य के द्वारा चार क्षेत्रों में सेवाये प्रदान की जाती हैं जिनके अपने विशिष्ट सामाजिक स्रोत भी हैं जैसे शारीरिक सम्बन्धी समस्याओं के लिए उपचारात्मक प्रकार्य, समाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की समस्याओं के लिए सुधारात्मक प्रकार्य, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के क्षेत्र में पुर्नवासन से सम्बन्धित सेवाएं तथा विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने के लिए निरोधात्मक सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों को समाज कार्य के प्रमुख प्रकार्य के रूप मे देखा जा सकता है-

सुधारात्मक प्रकार्य

समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। यदि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अन्तःक्रियात्मक संबंध ठीक है तो वह समायोजन का अनुभव करेगा अन्यथा उसे अपनी सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समाज कार्य के द्वारा विचलनपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्त्यिों के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाकर उनकी अन्तःक्रिया करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है और उन्हें समाज के अनुसार व्यवहार करने के लायक बनाया जाता है।

समाज कार्य के द्वारा सुधारात्मक कार्य प्रमुखतः अपराधी सुधार संस्थाओं में किया जाता है जहां पर वैयक्तिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहां पर कार्यकर्ता का दायित्व संवासियों में संतोषजनक समायोजन उत्पन्न करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वास के लिए तैयार करना भी है।

वस्तुतः सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक समाज कानून तोडने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने तथा उनकी जीवन-शैली को समाजिक नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। सुधारात्मक समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति के विचलित व्यवहार एवं दृष्टिकोण में ऐसी सहायक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है जो उसके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक सिद्ध होता हो। इसके माध्यम से अपराधी व्यक्ति के पर्यावरण एवं परिस्थितियों में परिवर्तन तथा संशोधन द्वारा तथा अनेक प्रकार के निरोधात्मक एवं सुधारात्मक साधनों की उपलब्ध करवाकर उनमें परिवर्तन लाते हैं| सुधारात्मक समाज कार्य उन व्यक्तियों को सामाजिक आचरणों के पालन करने में सहायता देती है जो विचलनपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अन्य सुधार कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों के साथ मिलकर कार्य करता है। कार्यकर्ता के द्वारा विचलनपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बारे में जांच-पडताल करके उनके सामाजिक-आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ऐसी जांच रिर्पोट प्रस्तुत की जाती है जिससे अपराधी सुधार संस्थाओं के अधिकारी किसी सुधारवादी निर्णय को ले सकें।

2.निरोधात्मक प्रकार्य

निरोधात्मक प्रकार्य से आशय उन परिस्थितियों का निषेध करना है जो व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न करती हैं या कर सकती हैं। निरोधात्मक प्रकार्यों के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन में हस्तक्षेप करके उन्हें ऐसी परिस्थितियों के प्रति सावधान एवं जागरूक किया जाता है जो उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न करती हैं या कर सकती हैं। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा समुदायों में निरोधात्मक सेवाओं का संचालन किया जाता है जैसे लोगों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु साफ-सफाई एवं स्वच्छता की जानकारी देना, टीकाकरण कार्यक्रमों को समुदाय में लागू करवाना, शिशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों का लाभ दिलवाना आदि।

3.विकासात्मक प्रकार्य

विकासात्मक प्रकार्यों के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों के लिए विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को बनाने में उनकी मदद करते हैं। वे समुदाय को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने और आवश्यकता एवं संसाधनों में उचित सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। इन प्रकार्यों में प्रमुखतः विकास एवं रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों का निर्माण करना एवं उनका संचालन करना सामेकित है जैसे युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन करना, समुदाय आधारित पेयजल कार्यक्रम बनाना, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सम्बन्धी कार्य आदि। सामाजिक कार्यकर्ता विकासात्मक कार्यक्रमों के निर्माण में भी विभिन्न संगठनों के लिए सलाहकारी सेवायें प्रदान करते हैं एवं उनके अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्य भी करते हैं जैसे योजना आयोग आदि|

उपरोक्त प्रकार्यों के अतिरिक्त समाज कार्य द्वारा बहुआयामी प्रकार्यों को भी सम्पन्न किया जाता है जिनमें कल्याणकारी एवं उपचारात्मक प्रकृति के कार्य हैं जो निम्नवत् हैं-

4.उपचारात्मक प्रकार्य

इन कार्यों के अन्तर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्सकीय एवं मानसिक आरोग्य से सम्बन्धित सेवाओं, अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिये सेवाओं तथा पुनरस्थापना सम्बन्धी सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे चिकित्सा सम्बन्धी कल्याणकारी कार्य तथा विद्यालय सम्बन्धित समाज कार्य आदि।

5.चिकित्सा सम्बन्धी कल्याण कार्य

बहुधा शारीरिक और मानसिक रोगों के कारणों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित होते हैं। रोग के कारण भी अनेक समायोजन सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं का सम्पादन संतोषजनक रूप से नहीं कर पाता। फिर चिकित्सालय में भी उसके समायोजन की समस्या होती है। समाज कार्यकर्ता इन समस्याओं को सुलझाने के लिये मुख्य रूप से वैयक्तिक कार्य प्रणाली का प्रायोग करता है।

6.विद्यालय सम्बन्धी समाज कार्य

इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की विद्यालयों में समायोजन सम्बन्धी समस्याएं आती हैं भगोडापन एवं बाल अपराध की समस्याएं इस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिये वैयक्तिक सेवा कार्य एवं सामूहिक सेवा कार्य का प्रयोग होता है।

समाज कार्य के प्रकार्यों में अन्य कल्याणकारी कार्य भी सम्मिलित किये जाते हैं जो निम्नवत् हैं-

7.पिछडी जाति एवं आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी कार्य

भारत में अनेक पिछडी और आदिम जातियां रहती हैं और इनमें से अधिकतर अविकसित हैं। इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये समाज कार्य अपनी तीनों प्रमुख प्रणालियों का प्रयोग करता है।

शिशु कल्याण

इस क्षेत्र में अनाथ, निराश्रित और बाल अपराधी बच्चों की समस्याएं आती हैं। अनाथ या निराश्रित बच्चों के लिये या तो किसी संस्था का प्रबन्ध करना होता है या फिर उनके लिये दत्तक ग्रहण या प्रतिपोषक सेवा की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों और उनके संरक्षकों की योग्यताओं और प्रेरणाओं का अध्ययन करता है और अपने ज्ञान और निपुणताओं का प्रयोग समस्या के समाधान के लिये करता है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग होता है।

युवा कल्याण

इस क्षेत्र में युवाओं के मनोरंजन एवं उनके समायोजन सम्बन्धी समस्याएं आती हैं| युवाओं की शक्तियों का रचनात्मक प्रकटन उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये अत्यावश्यक है। इसके लिये मुख्य रूप से सामाजिक सामूहिक कार्य का प्रयोग किया जाता है और युवाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं जिनसे उन्हें सामूहिक जीवन में रचनात्मक रूप से आत्म प्रकटन का अवसर मिल सके।

महिला कल्याण

जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में स्त्रियों की दशा अभी तक संतोषजनक नहीं है। बहुधा उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक परिस्थितियों में पति या पिता की मृत्यु के कारण वे अभावग्रस्त तथा बेसहारा हो जाति हैं । इन सब समस्याओं का सुलझाने के लिये अनेक संस्थाएं समाज कार्य सेवाओं का प्रयोग करती है। महिलाओं के पुनर्वास के लिये आवश्यक है कि उनका समायोजन संतोषजनक हो इस क्षेत्र में वैयक्तिक समाज कार्य और सामूहिक समाज कार्य दोनों ही प्रणालियों का प्रयोग होता है।

वृद्धावस्था कल्याण

वृद्धावस्था में मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है| भारत में तेजी से बढते औद्योगीकरण और नगरीकरण की गति के कारण संयुक्त परिवार की पम्परा टूटती जा रही है और इससे वृद्ध व्यक्तियों की समस्याएं बढती जा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये मुख्य रूप से वैयक्तिक समाज कार्य और सामूहिक समाज कार्य का प्रयोग किया जाता है।

परिवार कल्याण

समाज कार्य में परिवार रुपी संस्था को बहुत महत्व दिया जाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्राचीन काल में परिवार एक ऐसी संस्था थी जिसे कल्याणकारी कार्यों का मुख्य साधन कहा जा सकता था। अब यह संस्था स्वयं कल्याण को प्रत्याशी होती जा रही है। अर्थात वर्तमान समय में परिवार रुपी संस्था अपने सदस्यों के कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में जब असफल होती है, तो इसके लिए उसे समाज की अन्य संस्थाओं का सहारा लेना पडता है। दूसरे शब्दों में यह एक चिकित्सक से एक रोगी बनने की दिशा में

बढ़ रही है। बहुधा सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन के कारण परिवार के सामाजिक सम्बन्धों में प्रतिकूलता आ जाती है और परिवार के सदस्यों में समायोजन का अभाव उत्पन्न हो जाता है। समायोजन की समस्या पति-पत्नी या माता-पिता और संतान या भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच उत्पन्न हो सकती है। इस क्षेत्र में भी समाज कार्य प्रमुख रूप से वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करता है।

श्रम कल्याण

इस क्षेत्र में श्रमिकों की समायोजन सम्बन्धी समस्याएं आती हैं बहुधा वैयक्तिक असंतुलन के कारण श्रमिक कारखानों में समायोजन प्राप्त नहीं कर पाते और इस कारण संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है। श्रमिकों की वैयक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिये बहुधा वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता है परन्तु सामूहिक सेवा कार्य का भी विस्तृत प्रयोग होता है।

ग्रामीण कल्याण

इनमें विशेष प्रकार से ग्रामीण साधनों के विकास और ग्रामीण व्यक्तियों को संगठित करने का प्रयास किया जाता है। समाज कार्य इसमें मुख्य रूप से सामुदायिक संगठन प्रणाली का प्रयोग करता है।

शोधन कार्य

इसका सम्बन्ध अपराधियों एवं बाल अपराधियों के सुधार या चिकित्सा से है। इस क्षेत्र में प्रमुख प्रणाली तो वैयक्तिक समाज कार्य है परन्तु सामूहिक समाज कार्य एवं सामुदायिक संगठन का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है।

9.4 सारांश (Summary)

सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की इच्छाओं को महत्व देता है और उसकी समस्याओं का समाधान उसी की इच्छा के अनुसार करता है। समाज कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि उनकी अभिरूचि एवं इच्छा के अनुसार ही हो। इसके लिये समाज कार्य विकासात्मक, उपचारात्मक, निरोधात्मक एवं सुधारात्मक प्रकार्यों को सम्पन्न करता है।

9.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. समाज कार्य के कौन-कौन से प्रकार्य हैं? वर्णन कीजिए।
2. समाज कार्य में विकासात्मक प्रकार्यों के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख कीजिये।

9.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007
4. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
5. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008

6. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ

7. Friedlander, W.A., Concept and Methods of Social Work

8. Chowdhary, D. Paul, Introduction to Social Work.

इकाई-10

सामाजिक कार्यकर्ता : भूमिका एवं निपुणतायें

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य (Objective)

10.1 प्रस्तावना (Preface)

10.2 भूमिका (Introduction)

10.3 सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका (Role of Social Worker)

10.4 सामाजिक कार्यकर्ता की निपुणतायें (Skills of Social Worker)

10.5 सारांश (Summary)

10.6 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

10.0 उद्देश्य (objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को जान सकेंगे।
2. सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों को जान सकेंगे।
3. सामाजिक कार्यकर्ता की निपुणताओं को समझ सकेंगे |

10.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य व्यवसाय के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता ही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसके ऊपर समस्याओं के समाधान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य व्यवसाय में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। उसे मानव व्यवहार, संस्कृति, मूल्यों तथा सामाजिक समस्याओं का ज्ञान रखना आवश्यक होता है। जिससे वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर सके एवं उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके।

10.2 भूमिका (Introduction)

सामाजिक कार्यकर्ता को सेवा प्रदान करने के दौरान विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पडता है| जो परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग ढंग से निभाई जाती हैं इसलिये कार्यकर्ता कभी मार्ग

दर्शक , कभी मध्यस्थ तथा कभी सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह कर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

10.3 सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका (Role of Social Worker)

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। समान्यताः ऐसा कहा जाता है और विश्वास भी किया जाता है कि प्रभावशाली समाज कार्य एक कार्यकर्ता के ही माध्यम से ही किया जाता है कार्यकर्ता अपनी सहायक की भूमिका मे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तथा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों (Provisions) के लिए उत्तरदायी होता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के सभी प्रकार्यो का उद्देश्य लक्ष्यो की प्राप्ति है। उस कार्य के लिए कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। उसके द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिकाएं बहुत कुछ समस्या की प्रकृति के आधार पर निश्चित होती है। इसीलिए कार्यकर्ता की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, निपुणताओ और मूल्यों से युक्त होता है। कार्यकर्ता एक सहायक व्यक्ति होता है। उसकी अन्तःक्रिया परोक्ष होती है न कि प्रत्यक्ष। वह एक अधिशासी नही होता, न ही एक अध्यापक,जिसको की कुछ मुद्दो की विशेषज्ञता प्राप्त हो। वह अपनी गति से काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर सेवार्थी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।

कार्यकर्ता जब समूह के साथ कार्य करता है तब वह विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता है| कार्यकर्ता समूह का कोई भाग नही होता है। लेकिन वह समूह मे तब प्रवेश करता है जब व्यक्तिगत रूप से समूह का कोई सदस्य या पूरा समूह अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिए व्यावसायिक सहायता की माँग करता है। समूह कार्यकर्ता की भूमिका विभिन्न समूहों में अलग-अलग होती है। वह समूह के गठन से पूर्व ही अपनी भूमिका का निर्वाह करना प्रारम्भ कर देता है। विशेषकर तब जब कि एक कार्यकर्ता संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए उद्देश्य पूर्वक एक समूह का गठन करता है। उसकी भूमिका उसके द्वारा गठित किये समूह में इस बात पर निर्भर करती है कि समूह की माँगे एवं आवश्यकताएं क्या है? समूह के साथ कार्य करते समय कार्यकर्ता को पारित लोचशीलता धारण करनी चाहिए। जिससे कि वह एक समूह में अपना योगदान कर सकें। समूह के विकास की अवस्था में अपना योगदान दे सके। तथा एक समूह का दूसरे समूह के साथ संबंधो के संदर्भ में योगदान कर सके।

कार्यकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक

कार्यकर्ता को अपनी भूमिका की व्यख्या करने से पूर्व आसपास की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसकी भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से है-

1. समुदाय।
2. संस्था की प्रकृति ,इसका कार्य और क्षेत्र।
3. संस्था द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और कार्यक्रम।
4. सेवार्थी का प्रकार, जिसके लिए कार्यकर्ता कार्य करता है।
5. सेवार्थी के हित, आवश्यकताएं, क्षमताएं एवं सीमाएं।

6. कार्यकर्ता की अपनी क्षमता एवं निपुणताएं।

7. समूह की आवश्यकता की सीमा तथा इच्छा और इसके लिए कार्यकता की सहायता स्वीकार करने की इच्छा।

उपरोक्त कारक प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में उपस्थित रहते है। कार्यकर्ता को अपनी भूमिका के निर्धारण के समय इनमें से प्रत्येक कारक का अलग-अलग ढंग से अध्ययन किया जाता है। और प्रत्येक कारक का एक दूसरे के सन्दर्भ मे अध्ययन किया जाता है।

कार्यकर्ता को अपनी भूमिकाओं को सभी प्रकार की परिस्थितियों मे निभाने के लिए कुछ मूर्त तकनीकों को पालन करना पड़ता है और अपनी भूमिका को सतत या बनाए रखना पड़ता है| कुछ प्रकार के समूहो में कार्यकर्ता को अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ सकता है| ऐसा विशेषकर नये समूहो के गठन के संदर्भ मे होता है। आगे चलकर कार्यकर्ता दायित्वों को कभी भी कर सकता है क्योंकि समूहो के गठन में कुछ समय व्यतीत हो जाता है

कार्यकर्ता प्रत्येक चरण में संस्था को अनुभव प्रदान करता है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कार्यकर्ता संस्था का एक प्रतिनिधि है|

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

सहायता की प्रक्रिया सदस्यों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। ये संबंध सदैव स्थिर नही रहते। ये समय और परिस्थितियो के संदर्भ में परिवर्तित होते है। जैसे समूह कार्य की प्रणाली में समूह के संबंध सदस्यों के बीच की अन्तःक्रियाएं , विकास और समूह में घटित होने वाले परिवर्तन समूह की प्रक्रिया कहलाते है| समूह कार्य की प्रक्रिया में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को एक नर्स की भूमिका के समान समझा जा सकता है जो शिशु के जन्म से लेकर लालन-पालन और पोषण करने में माँ के समान होती है। वह एक पद्धतिशास्त्रीय सहायक और उत्प्रेरक होता है। वह समूह कार्य की प्रक्रिया के अन्तर्गत सहभागियों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव उपलब्ध करवाता है। जैसे- युवाओं का समूह, उपचारात्मक समूह। कार्यकर्ता इस प्रकार से समुदायों को अपनी व्यावसायिक सेवा उपलब्ध कराने मे योगदान देता है।

कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ कार्य करते समय विभिन्न प्रकार के भूमिका के निर्वाह की आवश्यकता पड़ती है। जो निम्नवत है:--

1. सामर्थदाता की भूमिका

इस भूमिका में कार्यकर्ता एक सहायक और सामर्थदाता के रूप मे रहता है। वह सेवार्थी के साथ कार्य करता है न कि सेवार्थी के लिए। वह सेवार्थी को सेवार्थी की आवश्यकताओ की व्याख्या करने, सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने और स्पष्ट करने, सेवार्थी की रणनीतियों की खोज करने, उनका चयन करने, उनको लागू करने का कार्य करता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमतावान बनाता है। एक सामर्थदाता के रूप में कार्यकर्ता सेवार्थी को अपनी शक्तियों को पुर्नगठित करने, संसाधनो को गतिशील करने और समस्याओं से निपटने की शक्ति में वृद्धि करता है।

2. एक शिक्षक की भूमिका

कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण भूमिकाओं में एक भूमिका शिक्षक की भी है जिसमे कार्यकर्ता सेवार्थी को उनके लक्ष्यो की प्राप्ति के विषय मे जानकारी प्रदान करता है। इस भूमिका में कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है और नयी-नयी निपुणताओं का विकास करता है। एक अच्छे शिक्षक के लिए कार्यकर्ता को एक अच्छा संवाददाता भी होना

चाहिए। जिससे कि वह जो भी सूचना और निपुणता सदस्यों को प्रदान करे ताकि वह त्वरित रूप से और वैसे ही ग्रहीत की जा सके जैसा कि संदेश दिया जाना है।

3. अधिवक्ता की भूमिका में

इस भूमिका में कार्यकर्ता कुछ दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। विशेषकर ऐसे सेवार्थियों के लिए जो कुछ संस्थाओं की सेवाएं ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ पर उनके हितो की समुचित देखभाल नही हो पा रही है। इस भूमिका मे कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करता है। वह उनकी आवश्यकताओं और आवेदनों आदि के संदर्भ मे तथा सुधार करने के संदर्भ में और संस्थाओं के द्वारा प्रदान किये जा रहे सेवाओं के निर्णयो के संदर्भ मे नेतृत्व का कार्य करता है जिससे परिस्थितियो में आवश्यक सुधार किया जा सके।

4. एक मध्यस्थ के रूप में

कार्यकर्ता प्रायः समुदाय तथा समूह और संस्था के बीच मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। एक मध्यस्थ के रूप में कार्यकर्ता विवादों को हल करने, संघर्षो या असहमति के बिंदुओ को स्पष्ट करने, तथा व्यक्तियो और संगठनो के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थ के रूप में कार्यकर्ता समझौते तक पहुचने मे विभिन्नताओं को कम करने मे तथा विवाह आदि के मामले में विवाद होने पर एक साझा समझौते तक पहुचने मे मध्यस्थता करता है। जैसे- युवाओ के एक मनोरंजनात्मक समुह मे कार्यकर्ता दो किशोरों के बीच किसी मनोरंजनात्मक क्रिया मे भाग लेने के संदर्भ में उत्पन्न विवाद को हल करवाने के लिए मध्यस्थता करता है।

5. एक पहलकर्ता के रूप में

कार्यकर्ता एक पहलकर्ता के रूप में सदस्यों का ध्यान समस्या की ओर खींचता है या समस्या की गंभीरता को बताता है। वह सेवार्थी को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि कुछ समस्याओ को पहले से ही पहचाना जा सकता है। एक अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में वह समस्याओं की गहनता के आधार पर सदस्यों के ध्यान को आकर्षित करते हुए विभिन्न प्रकार के समाधान सुझा सकता है। इस भूमिका में वह समस्या और उसके हल के लिए किऐ जाने वाले प्रयासो को लेकर बातचीत करने और कार्यवाही करने के लिए विचार-विमर्श प्रारम्भ करवा सकता है।

6. सुविधा प्रदाता के रूप में

सुविधा प्रदाता वह होता है जो सेवार्थी की गतिविधियों को संपन्न करने में एक नेता की भूमिका का निर्वाह करता है। कार्यकर्ता, सेवार्थी को विचार विमर्श करने में सुविधा प्रदान करता है और उन्हें किसी भी निर्णय तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करता है। कार्यकर्ता प्रक्रियाओं के पालन करने की विधि के विषय में सहायता प्रदान करता है। वह विधियों के विषय में विमर्श नही करता बल्कि इन्हें लागू करने के तरीकों के बारे में बताता है। वह समूह के विभिन्न मामलों और समस्याओं में स्वयं को सम्मिलित नही करता है बल्कि सेवार्थी को अपनी समस्याओ का समाधान करने में कार्यकर्ता अपनी राय तथा विचार देता है| इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता सेवार्थी को विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा अभौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाने मे सहायता करता है।

7. वार्ताकार की भूमिका के रूप मे

एक वार्ताकार की भूमिका में कार्यकर्ता उन पक्षों को एक साथ लाने का प्रयास करता है जो संघर्षरत होते हैं। जो एक से अधिक मुद्दो पर किसी प्रकार की सौदाकारी या समझौता करने का प्रयास करते हैं। उन पक्षों को कार्यकर्ता एक सामान्य समझौते तक पहुँचने में सहायता करता है। मध्यस्थ के रूप में तटस्थ रहने के बजाय वार्ताकार के रूप में कार्यकर्ता दोनो

पक्षों के साथ सम्बद्ध होकर किसी समझौते तक पहुँचने का प्रयास करता है। इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कार्यकर्ता सेवार्थी संस्था और समुदाय से उन मुद्दों के पालन के समय करता है जिसमें समय, स्थान और संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं।

कार्यकर्ता की उक्त प्रकार की भूमिकाओं के संदर्भ मे कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता वास्तविक अर्थो में सेवार्थी को दिशा प्रदान करता है। वह अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए सेवार्थी को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। कार्यकर्ता अपनी भूमिकाओं के सफल निर्वाह के माध्यम से कार्यक्रम के विकास को भी तय करता है। वह सेवार्थी को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वह अपनी सभी क्रियाएं सही ढंग से संपन्न कर सके।

10.4 समाजिक कार्यकर्ता की निपुणताएं (Skills of Social Work)

1. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता

समाज कार्य व्यवसाय मे सेवा प्रदान करने के लिए सेवार्थी से सम्बन्धो के स्थापना की आवश्यकता होती है। इनके कुछ निश्चित उद्देश्य होते है तथा ये उद्देश्य पूर्णतया व्यावसायिक होते हैं।

2. परिस्थिति विश्लेषण की निपुणता

कार्यकर्ता में समाज के विकासात्मक स्तर को समझने की निपुणता होनी चाहिए। साथ ही उसमे आवश्यकताओं और गतिशीलता को ज्ञात करने की भी क्षमता होनी चाहिए।

3. परिस्थिति के साथ सहभागिता की निपुणता

कार्यकर्ता को स्थानीय स्तर में से ही नेतृत्व का विकास करने और उत्तरदायित्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिए।

4. समाज की भावनाओं से निपटने में निपुणता

कार्यकर्ता को समाज द्वारा अपनी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति में समर्थ बनाने निपुणता होनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की सामूहिक व आंतरिक चुनौती से निपट सकता है।

5. कार्यक्रम के विकास मे निपुणता

कर्ता मे परिस्थिति के अनुसार अपने विकास के लिए कार्यक्रमो के निर्माण की क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करने की निपुणता अवश्य होनी चाहिए। कर्ता के चिंतन की प्रक्रिया का ज्ञान अवश्य होना चाहिए |जिससे समूह की खामियों का प्रकटन हो सके और उन्हे समझा जा सके।

इस प्रकार से विद्वानों द्वारा विभिन्न उद्देश्य की पहचान की गई है जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास कार्यकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से समाज कार्य के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निपुणताओं से लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में देखा जा सकता है। निपुणताओ के संदर्भ मे एच. वाई. सिद्दीकी कहते है कि हमें कुछ आधारभूत निपुणताओं की पहचान करनी चाहिए जिनकी आवश्यकता सामाजिक कार्यकर्ताओ एवं अन्य पेशेवरों को है ना कि मात्र वैयक्तिक, सामूहिक या सामुदायिक कार्य के उद्देश्यों के प्रगति के संदर्भ मे। ये आधारभूत निपुणताएं निम्नवत है-

1. संचार |
2. सुनना |
3. अवलोकन |
4. विश्लेषणात्मक चिन्तन |
5. परानुभूति |
6. आत्मनियंत्रण |
7. नेतृत्व |

1. संचार

सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य कोई भी पेशेवर जो किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में संलग्न है संचार कौशल का प्रयोग एकाधिक लक्ष्यो की प्राप्ति में कर सकते है। सामान्य रूप संचार का अभिप्राय किसी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारो को प्रषित करने से है। एक प्रभावशाली संचार का उद्देश्य संदेश को इस प्रकार से पहुंचाना है कि उसे तर्क पूर्ण ढ़ंग से संग्राहक द्वारा ग्रहण किया जा सके और उस पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जा सके।

संचार के प्रमुख स्वरूपो मे मौखिक एवं अमौखिक साधनो द्वारा लिखित, संकेत तथा शारीरिक भाषा आदि सम्मिलित है। संचार के विभिन्न साधन जैसे पोस्टर, चार्ट, स्लाइड वीडियो और पखरण प्वाइंट आदि के उपयोग की क्षमता निपुणता का एक आवश्यक अंग है।

रोविन्स (1997) के अनुसार संचार चार प्रकार के प्रमुख प्रकार्यो की पूर्ति समूह में करता है। वे है-

1. नियंत्रण |
2. अभिप्रेरणा |
3. भावनाओं की अभिव्यक्ति |
4. सूचना

कर्ता तथा समूह के नेतृत्व कर्ता का संचार प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए। संचार के दौरान संचार कर्ता को उचित ढंग के स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सामान्यतयाः ऐसा देखा गया है कि बाते करते समय लोग तेज स्वर का प्रयोग करते है| तथा प्रायः ऐसा होता है लोग अपनी अप्रसन्नता आदि व्यक्त करने के लिए विशेष स्वर का इस्तेमाल करते है। इस प्रकार की स्थितियां यह दर्शाती है कि समूह के सदस्यों का अपनी भावनओं पर नियंत्रण नही है।

संचार करते समय वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भावनात्मक आधार पर किया गया संचार बाधित होता है। संचार के दौरान उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचार किया जा रहा है जिससे समूह मे संचार का अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

2. सुनना

सुनना एक कौशल है जिसकी क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है| किन्तु हममे से बहुत कम ही इस क्षमता का समुचित उपयोग करते हैं। एक व्यावसायिक श्रवणकर्ता वह है जो न केवल वक्ता द्वारा व्यक्त किये जा रहे विषय वस्तु को समझता है बल्कि वह इसके पीछे की प्रेरणा और संचार के माध्यम से दिये जा रहे संदेश के कारणो को भी समझता है।

सुनने की निपुणता वक्ता के वक्तव्य, स्वर, स्पीच, शारीरिक भाषा और भाव भंगिमा के विश्लेषण की क्षमता द्वारा विकसित होती है। जिसका प्रयोग व्यावसायिक ढंग से कार्यकर्ता संबंधो के विकास करने में और सेवार्थी के विभिन्न प्रकार के अनुभवो को जानने एवं समझने मे करता है।

3. अवलोकन

अवलोकन किसी व्यक्ति की उस क्षमता को व्यक्त करता है जिसमें की वह अवलोकन की तकनीक का प्रयोग करके तथ्यों को समझता है। एक उत्सुक अवलोकनकर्ता उन सूक्ष्म और सामान्य तथ्यों का अवलोकन करने मे सक्षम होता है जिन्हे सामान्य लोग या तो छोड़ देते हैं, या महत्वपूर्ण नहीं समझते है। समूह कार्य मे सदस्यों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओ को कर्ता बिना उनसे प्रश्न किये भी समझ सकता है। कर्ता को समूह के सदस्यों की भावनाओं, भावभंगिमाओं, तनाव, प्रसन्नता या अप्रसन्नता को भी समझना चाहिए। कर्ता को समूह मे अंतर्वयक्तिक सम्बंधो में होने वाले परिवर्तनो को भी समझना चाहिए। कर्ता को समूह मे कार्यक्रम के विकास के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि इस तथ्य का अनुमान लगाया जा सके कि समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्नशील है।

4. विश्लेषणात्मक चिंतन

कार्यकर्ता समूह से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होता है किन्तु एक सदस्य के रूप मे नही बल्कि एक अवलोकनकर्ता तथा मार्गदर्शक के रूप में । वह समूह की गतिविधियो मे प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नही लेता किन्तु वह समूह में चलने वाली प्राक्रियाओं का अवलोकन करता रहता है। इस अवलोकन से कार्यकर्ता को समूह के विकास के स्तर का पता चलता है। जिससे उसे समूह के अंदर चल रही प्रकियाओ के बारे में चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है और वह इस तथ्य का अनुमान लगा सकता है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु समूह में नकारात्मक प्रकिया चल रही है या सकारात्मक।

5. परानुभूति

परानुभूति से अभिप्राय किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिसमे वह अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति या स्थान पर रखकर उसके अनुभव एवं भावनाओ को समझता है। एक कार्यकर्ता को इस बात में निपुण होना चाहिए कि वह इस तथ्य का अनुमान लगा सके कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। वे किस प्रकार से तनाव व संघर्षो से निपटते हैं तथा धमकियों आदि से बचते हैं।

इस निपुणता का प्रयोग प्रायः कठिन परिस्थितियों में काम करने में होता है। जैसे दिल्ली, मुम्बई, ढाका, कराँची आदि महानगरों में सड़क पर घूमने बाले बच्चे एवं यौन शोषण की शिकार महिलाओं की स्थिति तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लोगो की परिस्थितियाँ। परानुभूति के कौशल का विकास समाज के विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की परिस्थिति की विभिन्नताओं के प्रति जागरूकता से सम्बंधित होता है। जिसका अगला चरण इन विभिन्नताओं को स्वीकार करना तथा उनका सम्मान करना है जैसे संस्कृति जाति, धर्म तथा भाषा की विभिन्नताएं आदि। भारतीय परिस्थितियो मे इस कौशल का व्यापक महत्व है।

6. आत्मनियंत्रण

आत्मनियंत्रण कार्यकर्ता का एक प्रमुख अंग है। जिसका उपयोग कार्यकर्ता द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में किया जाता है। किन्तु आत्मनियंत्रण कभी-कभी एक कार्यकर्ता को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति से रोक सकता है। समूह में आत्मनियंत्रण की हानि का अर्थ लोगों द्वारा नाराजगी या अप्रसन्नता, हिंसा या निराशा तथा कुंठा की विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शन से है। आत्मनियंत्रण की हानि व्यक्ति के विचार भावनाओ तथा कार्यो में झलकती है। जैसे कार्यकर्ता समूह में कुछ लोगों के विलम्ब से आने पर चिल्ला सकता है। बच्चो मे संघर्ष होने पर डांट सकता है जो कार्यकर्ता के आत्मनियंत्रण की हानि या कमी का स्पष्ट संकेत है। आत्मनियंत्रण को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आदि के माध्यम से एक व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है तथा जागरूकता के द्वारा अपने व्यावसायिक क्षमता का विकास निरन्तर समीक्षा करके किया जाता है। इस प्रकार से कार्यकर्ता में एक बेहतर सुधार हो सकता है।

7. नेतृत्व

नेतृत्व समूह और इसके सदस्यों के विकास के मार्गदर्शन की प्रक्रिया है। मार्गदर्शन की इस प्रक्रिया में बहुत सी गतिविधियाँ सम्मिलित है जैसे- सदस्यों को समूह के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, सदस्यों को समूह की गतिविधियो से जोड़ना, समूह में संचार पर ध्यान केन्द्रित करना, समूह में अन्तःक्रियाओं का मार्गदर्शन करना, समूह में संघर्षो का समाधान करना, समूह में विभिन्न प्रकार के मुद्दो की व्याख्या करना इत्यादि।

इनके अतिरिक्त कर्ता के पास संस्था और सामुदायिक साधनों के उपयोग की निपुणता, मूल्यांकन की निपुणता, संस्था के कार्यो के उपयोग की निपुणता, सामूहिक कार्य प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सहायता की निपुणता। सामाजिक सम्बंधो को सुदृढ करने के लिए कार्यक्रमो के उपयोग की निपुणता आदि भी होनी चाहिए जो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण है।

10.5 सारांश (Summary)

सामाजिक कार्यकर्ता विशिष्ट ज्ञान, क्षमताओं तथा निपुणताओं से युक्त व्यक्ति होता है। वह सेवार्थी की समस्याओं के समाधान में एक सहायक की भूमिका का निर्वाह करता है। किन्तु कार्यकर्ता की भूमिकायें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं जिससे उसे कार्य करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिलती है।

10.6 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका किन-किन कारकों से प्रभावित होती है? उल्लेख कीजिये।
2. सामाजिक कार्यकर्ता सहायता कार्यक्रमों में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है स्पष्ट कीजिए।
3. सामाजिक कार्यकर्ता की निपुणताओं की व्याख्या कीजिए |

10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007

4. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
5. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2008
6. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन, लखनऊ
7. Friedlander, W.A., Concept and Methods of Social Work.
8. Chowdhary, D. Paul, Introduction to Social Work.

इकाई-11

समाज कार्य के सम्प्रदाय: निदानात्मक

;

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 भूमिका

11.3 समाज कार्य के सम्प्रदाय: निदानात्मक

11.4 सारांश

11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

11.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

समाज कार्य के निदानात्मक सम्प्रदाय के बारे में जान सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

समाज कार्य अन्तर अनुशासनिक प्रकृति का विषय उपागम है। जिसमें कुछ विशिष्ट विचारधाराओं के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करने की विधियों का विकास किया गया है। इन विचारधाराआंे के विकास में विभिन्न समाज मनोविज्ञानियों के द्वारा योगदान दिया गया है। ये विचारधारायें कतिपय मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें सम्प्रदाय का स्वरूप दे दिया गया है। इन सम्प्रदायों में निदानात्मक सम्प्रदाय एक प्रमुख सम्प्रदाय है जो समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या के निदान एवं उपचार के लिये उसके सम्पूर्ण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करके उसकी समस्याग्रस्त परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जाता है। इस सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन लाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

11.2 भूमिका

निदानात्मक सम्प्रदाय पर फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त का व्यापक प्रभाव पडा।

यद्यपि समाज कार्य में इस सम्प्रदाय के विकास का कार्य मेरी रिचमण्ड के द्वारा किया गया। इस सम्प्रदाय में व्यक्ति के चेतन व्यवहार के साथ-साथ उसके अचेतन प्रभावों तथा मूल्यों आदि का भी मूल्यांकन करते हुये समस्या का समाधान किया जाता है।

11.3 समाज कार्य के सम्प्रदाय: निदानात्मक

समाज कार्य के सम्प्रदाय के रूप में कुछ विचारधाराओं का प्रचलन रहा है। इनमें निदानात्मक एवं प्रकार्यात्मक विचारधाराएं प्रमुख रही हैं। इन विचारधाराओं का विकास व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। इनमें से एक विचारधारा व्यक्ति के आन्तरिक पर्यावरण तथा दूसरी विचारधारा व्यक्ति के वाह्य पर्यावरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को स्पष्ट करता है। यही विचारधाराएं निदानात्मक एवं प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हो गयीं।

निदानात्मक सम्प्रदाय पर फ्रयाड के सिद्वान्त का पर्याप्त प्रभाव पडा। इस सिद्धान्त के अनुसार सेवार्थी की समस्या के निदान एवं उपचार के लिए समस्या का उसके पर्यावरण के अंश के रूप में देखा जाना तथा सम्पूर्ण के साथ इसके सम्बन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके विभिन्न तत्व आपस में प्रतिक्रिया करते हुए व्यकित को प्रभावित करते हैं। चेतन मन के साथ अचेतन मन के प्रभाव भी व्यक्ति के मूल्यों, व्यवहार तथा आत्मसंयम पर पडते हैं। अतः वैयक्तिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए इन वाह्य तथा आन्तरिक प्रभावों का समुचित ज्ञान आवश्यक हो जाता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार सेवार्थी की समस्या के निदान एवं उसके उपचार के लिये उसको पर्यावरण के एक अंश के रूप में देखना तथा उसका सम्पूर्ण से सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके विभिन्न तत्व परस्पर प्रतिक्रिया करते हुए व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। चेतन के साथ-साथ अचेतन प्रभावों का भी मानवीय मूल्यों, व्यवहार तथा आत्मसंयम पर प्रभाव पडता है। अतः वैयक्तिक कार्यकर्ता के लिये इन बाह्य तथा आन्तरिक प्रभावों को भलीभांति समझना आवश्यक होता है।

इसी सम्प्रदाय के विकास का श्रेय मेरी रिचमण्ड को है। परन्तु परिस्थितियों में परिवर्तन होने से इसके मूल रूप में परिवर्तन आया। इस सम्प्रदाय के प्रारम्भिक योगदान में मेरिओन केनवर्थी (न्यूयार्क स्कूल आफ सोशल वर्क), बैस्टसलिब्बे (फेमिली सोसाइटी आफ फिलडेफिया), गार्डन हैमिल्टन बर्थे रिनोल्ड्स, चारलोटे ओवले, फ्लोरेन्स डे, फर्न लोरी, लूसिले आस्टिन, अनेटे गैरेट आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है।

निदानात्मक सम्प्रदाय निम्नलिखित शर्तों की सेवार्थी की समस्या के निदान के एवं उपचार के लिये आवश्यक समझता है:

(i) आवश्यक शर्तें

1. सेवार्थी की सहायता करने अथवा समस्या की चिकित्सा के लिये बाह्य पर्यावरण के साथ सेवार्थी की अन्तःक्रियाओं को जानना आवश्यक होता है। बाह्य पर्यावरण का कोई महत्वपूर्ण अथवा सामान्य सूक्ष्म ही भाग क्यों न हो यदि उसका सम्बन्ध सेवार्थी से है तो उसका समझना आवश्यक होता है। बाह्य पर्यावरण के अन्तर्गत परिवार, सामाजिक समूह, शिक्षण संस्थाएं तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं आती हैं।

2. सेवार्थी की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा में भेद होना आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को समझने के लिए सेवार्थी का वैयक्तिकरण करना आवश्यक होता है। समस्या के विकास का कारण या तो सेवार्थी की अपनी कार्यात्मक अक्षमता या फिर दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। इन दोनो कारकों का सम्मिलित प्रभाव भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इनके प्रभावों में भी भिन्नता होती है। अतः सेवार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समस्या समाधान के लिए इन कारको कों परिभाषित करना आवश्यक होता है।

3. वैयक्तिक सेवा कार्य चिकित्सा में व्यक्तिगत या सामाजिक या अन्तर्व्यक्तिगत पर्यावरण अथवा दोनों परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है।

(ii) निदानात्मक सम्प्रदाय के मूल्य

1. सेवार्थी को कार्यकर्ता उसके कल्याण, देखभाल तथा समस्या समाधान के लिए स्वीकृत प्रदान करता हैं सदभावना से उसका आदर करता है।

2. सेवार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता सेवार्थी में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए।

3. जहाँ तक संभव हो कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सेवार्थी को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ होकर समझे तथा प्रत्युत्तरों एवं मूल्यांकन में व्यक्तिगत भावनाओं केा महत्व न दें।

(iii) चिकित्सा का प्रारम्भिक चरण

चिकित्सा के प्रारम्भिक चरण में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. सेवार्थी का संस्था से सम्पर्क स्थापित करने के कारण का ज्ञान प्राप्त करना।

2. सेवार्थी से संबंध स्थापित करना।

3. सेवार्थी को चिकित्सा कार्य में लगाना।

4. चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करना।

5. मनो सामाजिक निदान तथा चिकित्सा निर्देशन के लिए सूचनाएँ एकत्र करना।

1. सम्पर्क के कारण का ज्ञान

जब सेवार्थी संस्था में आता है तो उसकी कुछ समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए चिकित्सा प्रणाली निश्चित करनें में आवश्यक होता है। यदि सेवार्थी को समस्या स्पष्ट करने में कुछ कठिनाई होती है तो कार्यकर्ता स्वंय संस्था द्वारा उपलब्ध सेवाओं को स्पष्ट करता है जब सेवार्थी किसी संस्थान द्वारा सन्दर्भित किया जाता है ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता सन्दर्भित करने वाले व्यक्ति तथा सेवार्थी दोनो से साक्षात्कार करके कारणों की खोज करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब सेवार्थी को यद्यपि वैयक्तिक सेवा कार्य सेवाओं की आवश्यकता है परन्तु वह इन सेवाओं को नही चाहता है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता सेवार्थी सेवा प्राप्त करने के लिए सलाह देता है, मंत्रणा देता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो अन्तर्दृष्टि का भी विकास करता है।

2. सम्बन्ध स्थापन

वैयक्तिक सेवा कार्य का मुख्य साधन संबंध माना जाता है। इस संबंध में दों बातें प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण होती हैं- कार्यकर्ता की कुशलता में सेवार्थी का विश्वास तथा उसकी ख्याति या साख में विश्वास। इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए कार्यकर्ता को स्वंय प्रयास करना चाहिए।

3. सेवार्थी को चिकित्सा कार्य में लगाना

चिकित्सा प्रक्रिया में सेवार्थी को लगाने के लिए कार्यकर्ता को दो बातों का ज्ञान आवश्क होता है:

1. सेवार्थी की सम्प्रेरणा

2. सेवार्थी का अवरोध

सम्प्रेरण से यह पता चलता है कि सेवार्थी कितना परिवर्तन चाहता है तथा परिवर्तन में कितना योगदान देने के लिए इच्छुक है। इसका सीधा संबंध सेवार्थी की कठिनाई की गहनता से होता है। परन्तु यदि उसे परेशानी अत्यधिक है तो हो सकता है कि वह अपने केा असहाय महसूस करे तथा परिवर्तन की कोई इच्छा न व्यक्त करे। अतः प्रारम्भिक अवस्था में यह आवश्यक कार्य होता है कि सेवार्थी को कठिनाई तथा उसकी आशा को उस स्तर तक लाने में अवश्य सहायता की जाए जो सम्पे्ररणा के अनुकूल हो।

अवरोधों का भी जानना चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है मुख्यतः अवरोधों का अस्तित्व सहायता के रूप पर निर्भर होता है। जब सेवार्थी के व्यक्तित्व या व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो विरोध अधिक होता है। सेवार्थी इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने में हिचक महसूस करता है। इसके अतिरिक्त समस्या के रूप पर भी विरोध निर्भर करता है। यदि समस्या का संबंध सामाजिक अस्वीकृत, आलोचना का भय, चिन्ता, पाप की भावना आदि से होता है तो अवरोध अधिक होता है।

अवरोधों को दूर करने के लिए वैयक्ति कार्यकर्ता निम्न कदम उठाते हैं:

1. सेवार्थी से नकारात्मक तथा उभयमुखी भावनाओं के संबंध में बातचीत करना।

2. सेवार्थी के प्रत्ययों व भ्रमों का समझना तथा उनको स्पष्ट करना।

3. सेवार्थी की समस्या से संबंधित वैयक्तिक सेवा कायकर्ता की भूमिका स्पष्ट करना।

4. कार्यकर्ता स्पष्ट करता है कि उसकी सहायता स्वीकार करना सेवार्थी की इच्छा पर निर्भर है।

5. प्रारम्भिक चरण में उपचार:- इस सम्प्रदाय के समर्थकों का विश्वास है कि चिकित्सा का प्रारम्भ प्रथम साक्षात्कार से शुरू हो जाता है। कार्यकर्ता प्रारम्भ से ही सेवार्थी को अपनी भावनाओं केा स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है और यह अवसर चिकित्सा प्रक्रिया केा आगे बढाने में अतुलनीय भूमिका अदा करता है।

सेवार्थी का मूल्यांकन

इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि सेवार्थी की समस्या का निदान आवश्यक होता है क्योंकि इससे व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नताओं, विशेषताओं तथा अन्र्तसंबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। निदान का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनका संबंध सेवार्थी तथा उसके पर्यावरणके विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। वेवस्टर शब्दकोष ने निदान शब्द की दो परिभाषाएं दी हैं:

(1) रेाग को इसके लक्षणों से पहचानने की कला अथवा कार्य,

(2) वैज्ञानिक निश्चय, आलोचनात्मक छानबीन अथवा इसका परिणामात्मक निर्णय।

प्रथम परिभाषा से दूसरी परिभाषा अधिक स्पष्ट तथा व्यावहारिक है। वैयक्तिक सेवा कार्य में उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि सेवार्थी की समस्या क्या है, उसके कौन कौन से कारण हैं, कहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, किस प्रकार की चिकित्सा सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त होगी तथा वैयक्तिक कार्यकर्ता केा कौन कौन से प्रयत्न इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिए उठाने होंगें।

इस सम्प्रदाय का विचार है कि बिना निदान के वैयक्तिक सेवा नही की जा सकती है। निदान उस समस्या के कारणों की खोज है जो सेवार्थी को कार्यकर्ता के पास सहायता के लिए लाती है। अतः मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारको का ज्ञान प्राप्त करना निदान करने के लिए आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तित्व संबंधी करकों का ज्ञान जिसके कारण सेवार्थी की समस्या उत्पन्न हुयी है तथा सामाजिक व पर्यावरण संबंधी कारकों का ज्ञान जिनके कारण समस्या स्थिर रहती है, से निदान का संबंध होता है।

निदान के अन्र्तगत हम तीन तथ्यों केा निश्चित करतें हैं:

1. गत्यात्मक निदान में अन्य बातों के अतिरिक्त हम इस बात की जाँच करते हैं कि सेवार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न अंग किस प्रकार सम्पूर्ण कार्य में अन्र्तक्रिया करते हैं।

2. कारणात्मक कारकों की खोज बीन वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनो स्तरों पर करते हैं।

3. सेवार्थी की कार्यात्मकता को तथा क्लिनिकल निदान को वर्गीकृत करने को प्रयत्न करते हैं।

इस तीन प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सेवार्थी केा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संरचना के अन्र्तगत मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार सामाजिक सास्कृतिक ढाँचे का एक अंग होता है। जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार पर समूह, समाज तथा सस्कृति तीनों का प्रभाव पडता है। यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि संस्कृति के धार्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण परिणाम के माध्यम द्वारा व्यक्ति को हस्तान्तरित किये जाते हैं जिनका अहं का पराहयं के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। समूह के अन्र्तगत उसकी भूमिका तथा उससे समूह की आशा का भी प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पडता है। यह सम्प्रदाय व्यक्तित्व सिद्धांत का अनुसरण करने के कारण जानने का प्रयत्न करता है कि सेवार्थी में इड, इगो तथा सुपर इगो की भूमिका क्या है?

सेवार्थी की शक्तियेां तथा कठिनाइयों का समझाने, सहने तथा निपटने की क्षमता को ज्ञात करने के्र लिए उसके अहं को ज्ञात करना आवश्यक होता है। उन परिस्थितियों में भी इसका जानना आवश्यक है जब समस्या का कारण बाहय कारक ही क्यों न हो। इस स्थिति में सेवार्थी को परिस्थिति सुधारने एवं परिवर्तित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होती है और इस सक्रिय भूमिका में अहं की भूमिका मुख्य होती है। जब समस्या का कारण सेवार्थी स्वंय होता है उस समय लैंगिक तथा उग्र चालकों की कार्यात्मकता तथा पराहंय की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है।

निदान का वर्गीकरण करना यद्यपि एक बहुत बडी समस्या है परन्तु समुचित चिकित्सा के लिए यह आवश्यक होता है। कि निदान को जब हम विश्लेषित करतें हैं तो स्वयं वर्गीकरण की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है क्योकि निदान का तात्पर्य एक रोग की पहचान इसके लक्षणों से करता है।

व्यक्ति की कार्यात्मकता तथा स्थान के आधार पर अनेक वर्गो में विभाजित किया सकता है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पृष्ठभूमि, धर्म आदि महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं। यदि शारीरिक रोग होता है तो चिकित्सक द्वारा किसी वर्गीकरण पर पहुँचा जाता है परन्तु मनोसामाजिक समस्या का वर्गीकरण वैयक्तिक कार्यकर्ता द्वारा होता है जैसे पिता पुत्र के समायोजन की समस्या, सीखने की समस्या, वैवाहिक समस्या इत्यादि। मनोविकार संबंधी समस्याओं में निदान वर्गीकरण मनोविकार विज्ञान के आधार पर किया जाता हैं।

11.4 सारांश

निदानात्मक सम्प्रदाय फ्रायड के सिद्धान्तों पर आधारित है जिसमें मानव व्यक्तित्व के निर्माण में रचनात्मक शक्तियों जैसे इड्, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन को समझने का कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्ति की सहायता के लिये बाह्य पर्यावरण के साथ सेवार्थी की अन्तःक्रियाओं को समझ कर परिवर्तन लाने के लिये कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति के आन्तरिक पर्यावरण एवं वाह्य पर्यावरण के बीच समायोजन बनाने के लिये कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्ति की कार्यात्मक अक्षमता तथा दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों में लाकर समस्या का समाधान किया जाता है।

11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निदानात्मक सम्प्रदाय से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति की समस्या के समाधान की प्रक्रिया में इसके योगदान को रेखांकित कीजिये।

2. निदानात्मक सम्प्रदाय के विकास में फ्रायड के योगदान को स्पष्ट कीजिये।

11.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मिश्र, पी0डी0, सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 1985।

2. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004

3. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010

4. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007

5. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008

6. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008

7. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रा ॅयल बुक पब्लिकेशन लखनऊ

इकाई-12

समाज कार्य के सम्प्रदाय: प्रकार्यात्मक

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 भूमिका

12.3 समाज कार्य के सम्प्रदाय: प्रकार्यात्मक

12.4 सारांश

12.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

12.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

12.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य के प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के बारे में जान सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

समाज कार्य अन्तर अनुशासनिक प्रकृति का विषय उपागम है। जिसमें कुछ विशिष्ट विचारधाराओं के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करने की विधियों का विकास किया गया है। इन विचारधाराआंे के विकास में विभिन्न समाज मनोविज्ञानियों के द्वारा योगदान दिया गया है। ये विचारधारायें कतिपय मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें सम्प्रदाय का स्वरूप दे दिया गया है। इन सम्प्रदायों में प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय एक प्रमुख सम्प्रदाय है जो समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या के निदान एवं उपचार के लिये व्यक्ति के संकल्प शक्ति को सुदृढ करने पर बल देता है। इसमें व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिये उसके अहम् की शक्ति का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिक की मौलिक शक्ति का वैयक्तिकीकरण करके उसके मनोअहम् का विकास जिस शक्ति के द्वारा होता है। उसे ही संकल्प कहते हैं जो समस्या समाधान में सहायक होती है।

12.2 भूमिका

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय पर आटो रैंक के व्यक्तित्व विकास के सिद्धान्त का व्यापक प्रभाव पडा है। आटो रैंक के अनुसार मनोअहम का विकास जैविकीय अहम से होता है। व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तियां पर्यावरण से सम्बन्धित होकर गतिशील होती हैं तथा मूल प्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक शक्तियां होती हैं जिससे मनोवैज्ञानिक स्थिरता उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सांवेगिक विकास करती हैं और व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित करती हैं।

12.3 समाज कार्य के सम्प्रदाय: प्रकार्यात्मक

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय वैयक्तिक सेवा कार्य में ओटो रैंक के व्यक्तित्व विकास के प्रत्यय पर आधारित है। रैंक के विचार से मनोअहं का विकास जैविकीय अहं द्वारा होता है। मनोस्थिति एक सुव्यवस्थित घटना है जो जैविकीय व्यवस्था से संबंधित होता है परन्तु अभिव्यक्ति के विशुद्ध भौतिक या शारीरिक तथ्यों पर आधारित नही है। व्यक्तित्व संरचना की मौलिक शक्ति (इड) के वैयक्तिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्म का विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है उस समय उसमें मूल प्रवृत्तियों की एकता के कारण जैविकीय अनुभव प्राप्त करना है। ये मूल प्रवृत्तियां, यद्यपि बालक द्वारा संकल्पित नहीं होती है तथापि पर्यावरण से सम्बन्धित होकर गत्यात्मक रूप से कार्य करती है तथ ये मूल प्रवृत्तियां अथवा मूल प्रवृत्ति सम्बन्धी निर्णय मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। यद्यपि जैविकीय एवं व्यक्तित्व विकास दोनों ही मनोस्थिति में निहित होता है परन्तु व्यक्तित्व विकास की संरचना पूर्णतया जैविकीय अनुभव द्वारा नहीं होती हैं। मौलिक शक्ति का वैयक्तीकरण होकर मनो अहं का विकास जिस शक्ति के द्वारा होता है उसे संकल्प कहते हैं। आत्म के आदर्श का निर्माण चेतन के कार्यों में निहित होता है।

कार्यात्मक सम्प्रदाय की मूल मान्यताएं

1. व्यक्ति के जीवन में ऐसी सामाजिक वास्तविकताएं आती है जिनको वह स्वंय समान करने से असमर्थ होता है जिसके कारण सहायता के लिए संस्था में आता है।

2. वैयक्तिक कार्यकर्ता सबसे पहले पता लगाता है कि सेवार्थी की समस्या क्या है वह जो सहायता देना चाहता है वह कहां से उपयुक्त है तथा यदि उसको अन्य सहायता की आवश्यकता है तो किस प्रकार उसको प्राप्त किया जा सकता है

3. सेवार्थी मे व्यक्तित्व तथा सामाजिक शक्ति होती है और वह प्रायः अव्यक्त असंगठित, अवरोधित, भ्रमित, विकृति होती है परन्तु सेवार्थी स्पष्टीकरण तथा विकल्पों का ज्ञान कराकर प्रत्यक्ष उपयोग लाया जा सकता है। सेवार्थी स्वंय अपने व्यवहार तथा कार्यों के उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। वैयक्तिक कार्यकर्ता उत्तरदायित्व उससे छीनने का प्रयास नही करता है। इन कार्यों के उत्तरदायित्व केा पूरा करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास मे कार्यकर्ता सहायता करता है।

4. कार्यकर्ता का कार्य सेवार्थी की अव्यक्त शक्ति का विकास करना है जिससे सेवार्थी अपने को समुचित उपयोग समस्या समाधान मे कर लेता है।

5. इस सम्प्रदाय के समर्थकों का दृढ विश्वास है कि समस्या समाधान की शक्ति स्वयं सेवार्थी मे ही निहित होती है।

6. कार्यकर्ता सेवार्थी शक्तियों का विकास दबाव एवं संघर्ष को कम करने के लिए करता है।

यह सर्वविदित जैविकीय तथ्य है कि मूल अन्तप्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं जो जैविकीय कार्यों द्वारा विभेदीकृत की जाती है जिनको वे नियन्त्रित करते हैं तथा परिपक्व होने के लिये विवश करते हैं परन्तु यह भी उतना ही सत्य तथ्य है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित होती है तथा मूल अन्तप्रवृत्तियों से संघर्ष करती है जिससे मनोवैज्ञानिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता विकास के किसी भी स्तर पर बिना शारीरिक परिपक्वता को प्रभावित होती किये घटित हो सकती है। परन्तु इससे सामान्य विकास की गति आवश्य प्रभावित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का सांवेगिक विकास मनो अहं की रचना के लिए स्वयं निश्चित होता है न कि जैविकीय अहं की मूल सैद्धान्तिक व्याख्या द्वारा। निर्धारक कारक संकल्प शक्ति होती है जो मूल अन्तप्रवृत्तियों के विरोध में मनोवैज्ञानिक अनुभव संगठित करने की क्षमता रखती है।

संकल्प द्वारा संगठित विकास की प्रक्रिया शारीरिक विकास गत्यात्मकता के समान ही होती है। क्षेत्र में समानता न होकर विकास सिद्धांतों में समानता होती हैं। बालक के लिए जन्म की स्थिति एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में प्रवेश की होती है। तथा मनोवैज्ञानिक मृत्यु होती है क्योकि उसका एक अस्तित्व से पृथक्करण होता है अतः जीवन तथा मृत्यु दो भय व्यक्ति में निहित होते हैं। पृथक्करण तथा सम्बद्धता जो कि जैविकीय अवयव के लिए आवश्यक होते हैं वे अहं को मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया के लिए अवश्यक होते हैं तथा व्यक्तित्व के विकास को आजीवन उत्साहित करते रहते हैं।

समय एवं विकास

समय की गति के साथ-साथ विकास प्रक्रिया सम्पन्न होती है समय न केवल विकास तथा परिवर्तन का माध्यम है बल्कि यह चेतनता स्वंय है अस्तित्व के तीन साधन, समय, क्षेत्र तथा गति है जिनमें समय को न बहुत ही कम अथवा नाम मात्र को मानव नियंत्रित किया जा सकता है। समय को न तो गतिशील किया जा सकता है न रोंका जा सकता है न कम गतिवान बनाया जा सकता है समय पर व्यक्ति का कुछ भी प्रभाव नही पडता है। अतः यह अस्तित्व का बहुत ही भयानक पक्ष होता है । समय की इन दोनों सीमाओं के अन्र्तगत (जीवन मृत्यु) मानव प्राणी कार्य करता है। उसको न तो वह रोंक सकता है न स्थगित कर सकता है केवल उपयोग कर सकता है समय के इस सार्वभौमिक तथ्य को कार्यात्मक वैयक्तिक कार्य में समय के सहायक प्रक्रिया के रूप में उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान समय तथा वर्तमान संबंध पर महत्व दिया जाता है।

विकास एक सहायक प्रक्रिया के रूप में

कार्यात्मक वैयक्तिक सेवा कार्य का उपयोग सेवार्थी के मनोविज्ञान का ज्ञान, विकास की प्रकृति तथा सेवार्थी द्वारा इच्छित परिवर्तन के लिए सहायक सामग्री पर निर्भर होता है। सहायक प्रक्रिया का मूल मंत्र कार्यकर्ता का व्यावसायिक संबंध होता है। अतः कार्यकर्ता की योग्यता अर्जित मानव व्यवहार ज्ञान पर निर्भर होती है। स्नेह, प्रेम, कल्पना आदि गुणों

के अतिरिक्त कार्यकर्ता में इस प्रकार का गुण हो कि वह अपनी अवाश्यकताओ, भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण रख कर सेवार्थी की सहायता उचित प्रकार से कर सके। अतः उसे आत्मज्ञान तथा दूसरें व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करना अत्यंत आवश्यक होता है।

सेवार्थी संस्था में तभी आता है जब वह देखता है कि समस्या का स्वंय वह समाधान नही कर सकता है वह कार्यकर्ता से आंशिक या पूर्ण सहायता के लिए प्रक्षेपण करने का प्रयत्न करता है। वैयक्तिक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रक्षेपण को प्रतिरोध न मानकर सहायता की आवश्यकता का आवश्यक अंग समझे। वैयक्तिक कार्य की क्रियाओं के अन्र्तगत दो प्रमुख कार्य हैं:

1. प्रक्षेपण का वास्तविक एवं मनोवैज्ञानिक अर्थ ज्ञात करना तथा सेवार्थी को सामान्य आवश्यक आदर एवं सम्मान करना

2. प्रक्षेपण तथा वास्तविकता में अन्तर स्पष्ट करना

प्रथम कार्य दूसरे कार्य को संभव बनाता है सेवार्थी स्वंय अपनी समस्या को समझकर समाधान करने का प्रयत्न करता है। स्वंय का ज्ञान तथा शक्ति का आभास सेवार्थी को अपनी इच्छा के अनुरूप समस्या से निपटने का अवसर प्राप्त होता हैं

वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया में प्रक्षेपण, आत्मीकरण, संबद्धता, पृथक्करण प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कार्य करते रहते हैं इस प्रक्रिया की सुविधा की दृष्टि से तीन स्तरों में विभाजित कर सकतें हैं- प्रारम्भ, मध्य तथा अन्तिम चरण।

प्रथम स्तर मे सेवार्थी की प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा होना निहित होता हैं। यह स्पष्ट होने पर सेवार्थी सकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति अनुभव करता है तथा अभिव्यक्ति के लिए उत्सुकता प्रदर्शित करता है परन्तु जैसे-जैसे वह मध्य चरण के अनुभव की ओर बढता जाता है वैसे-वैसे उसका भय पुनः जाग्रत हो जाता है वह सोंच सकता है कि अब प्रक्रिया मे भाग लेना निरर्थक है क्योंकि वह अब संघर्ष से परें एवं स्वस्थ्य अनुभव करता है।

मध्य चरण मे सेवार्थी कार्यकर्ता का उपयोग अन्य अर्थपूर्ण व्यक्तियों के समान ही करना चाहता है कार्यकर्ता की सहायता से वह दूसरों से वास्तविक संबंध का अनुभव करता है यह ऐसा अनुभव होता है जिसमें न तो व्यक्ति उसका नियंत्रण करता है और सेवार्थी को नियंत्रण की स्वीकृति देता है बल्कि उसकों अपने संबंध की विशेषताओं का ज्ञान कराता है। जिनके कारण समस्या उत्पन्न हुयी थी इस प्रकार सेवार्थी स्वयं एक नवीन तरीके की खोज करके समस्या का समाधान कर लेते हैं अर्थात आत्म-शक्ति का समुचित अर्जन कर लेता है।

अन्तिम चरण में पुनः भय उत्पन्न होता है और सेवार्थी संस्था एवं वैयक्तिक कार्यकर्ता से पृथक नही होना चाहता है। वैयक्तिक कार्य सेवार्थी में चेतनता विकसित करता है और संस्था से अलग होने की आवश्यकता का ज्ञान कराता है। उसमें ऐसी आत्म-शक्ति का विकास करता है जिससे सेवार्थी अपना कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है।

12.4 सारांश

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय आटोरैंक के सिद्धान्तों पर आधारित है जिसमें मानव व्यक्तित्व के निर्माण में रचनात्मक शक्तियों जैसे इड्, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन को बनाये रखने का कार्य किया जाता है। इस सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूलभूत शक्ति इड् के वैयक्तीकरण के द्वारा आत्म का विकास होता है। ये मूलभूत शक्तियां वे मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं जो जैविकीय कार्यों द्वारा विभेदीकृत की जाती हैं तथा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में विकसित होती हैं। इनसे व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक स्थिरता आती है और समस्याओं का समाधान होता है।

12.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति की समस्या के समाधान की प्रक्रिया में इसके योगदान को रेखांकित कीजिये।

2. प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के विकास में आटो रैंक के योगदान को स्पष्ट कीजिये।

12.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मिश्र, पी0डी0, सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 1985।

2. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004

3. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010

4. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007

5. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008

6. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008

7. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रा ॅयल बुक पब्लिकेशन लखनऊ

इकाई-13

समाज कार्य दर्शन: हरबर्ट बिस्नो

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य (Objective)

13.1 प्रस्तावना (Preface)

13.2 भूमिका (Introduction)

13.3 समाज कार्य दर्शन: हरबर्ट बिस्नो (Social Work Philosophy : Herbart Bisno)

13.4 सारांश (Summary)

13.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Question for Practice)

13.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrences)

13.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. समाज कार्य दर्शन को समझ सकेंगे।
2. समाज कार्य दर्शन में हरबर्ट बिस्नो के योगदान के विषय में परिचित हो सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। समाज कार्य के द्वारा कुछ विशिष्ट दार्शनिक आधारों का उपयोग किया जाता है जिनकी जडें मानवतावाद एवं धार्मिक मूल्यों में निहित हैं। समाज कार्य मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान की खोज के लिए कार्य करता है। समाज कार्य दर्शन के अन्तर्गत समाज कार्य के विशिष्ट मूल्य, मनोवृत्तियां और अवधारणाएं आती हैं| जो न केवल अलग-अलग संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं बल्कि उनको प्रभावित भी करते हैं। समाज कार्य दर्शन सभी के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करता है तथा सभी नागरिकों को विकास के सर्वोच्च अवसर भी प्रदान करता है। इसका दर्शन विश्व बन्धुत्व का संदेश देता है।

13.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य के दर्शन का प्रतिपादन करते हुये हरबर्ट बिस्नो ने समाज कार्य के विशिष्ट मूल्यों का उल्लेख किया है जो समाज कार्य के दर्शन का आधार है। इन मूल्यों में व्यक्ति के महत्व समानता, सामाजिक न्याय एवं भाईचारे से

सम्बन्धित मूल्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये मूल्य ही समाज कार्य के दर्शन के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता के लिये दिशासूचक का कार्य करते हैं।

13.3 समाज कार्य दर्शन: हरबर्ट बिस्नो (Social Work Philosophy : Herbart Bisno)

दर्शन का तात्पर्य है, सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धान्तों और धारणाओं की व्याख्या करता है। हरबर्ट बिस्नो ने समाज कार्य के मूल्यों को सविस्तार प्रस्तुत किया है| उनके विचारों के प्रकाश में अब हम समाज कार्य के मौलिक मूल्यों की व्याख्या करेंगे। यह मौलिक मूल्य इस प्रकार हैं :-

प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान है ।

यह समाज कार्य का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है| इस मूल्य का अर्थ व्यक्ति के आन्तरिक मूल्य में विश्वास है और इस मूल्य पर अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त आधारित हैं उदाहरणस्वरूप: सुअवसरो की समानता, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता आदि। इस मूल्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के आन्तरिक मूल्य को जाति का भेद या धन दौलत का अन्तर बढ़ा या घटा नही सकता। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति या विरादरी का हो, किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता का हो किसी भी आर्थिक स्तर का हो केवल मनुष्य होने के नाते अपना एक महत्व रखता है और किसी को यह अधिकार नही है कि जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्तर के आधार पर किसी मनुष्य को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखे। इस मूल्य के सामने पृथकता और जातिवाद की दीवारें गिर जाती हैं और मनुष्यों में एकता, समानता और सहनशीलता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रजातन्त्र का भी मुख्य आधार इसी मूल्य पर है।

2. मानवीय क्लेश अवांछनीय है और उसका निरोध करना चाहिए या जहां तक संभव हो उसे कम करना चाहिए।

इसी मूल्य के आधार पर समाज कार्य विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा का प्रबंध करता है और इसी के आधार पर मानव समाज व्यक्तियों के कल्याण का उत्तरदायित्व स्वीकृत करता है । यही मूल्य नेत्रहीनों, विकलांगों, विधवाओं, निराश्रितों और निर्धनों की सहायता का आधार है| सोशल डार्विनिज्म का सिद्धान्त इस मूल्य के सामने नही ठहर सकता क्योंकि जब हम यह स्वीकृत कर लेते हैं कि मानवीय क्लेश अवांछनीय है तो केवल सर्वबलवान व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार, का प्रश्न ही नही उठता।

3.समस्त मानव व्यवहार मनुष्य के जैविकीय अस्तित्व और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बंधी क्रिया का परिणाम है।

सामाजिक कार्यकर्ता यह विश्वास रखता है कि मानव एक सामाजिक अस्तित्व है जिसका व्यवहार मौलिक प्रकृति, विशेष अनुभव तथा संस्कृति के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। वह मस्तिष्क और शरीर के बीच क्रिया में विश्वास रखता है। यह अवधारणा मनोशारीरिक अवधारणा कहलाती है। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जा सकता है और उसे समझा जा सकता है। वास्तव में जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता व्यवहार को समझने, उसका विश्लेषण करने, उसे प्रभावित एवं परिवर्तित रखने की योग्यता रखता है।

समाज कार्यकर्ता जहाँ कहीं उचित समझता है सामाजिक मूल्यों का प्रयोग व्यवहार में परिवर्तन अर्थात समायोजन एवं संतुलन लाने के लिए करता है। वह सामाजिक मूल्यों का प्रयोग एक ऐसे आदर्श के रूप में नही करता जिससे सेवार्थी के व्यवहार के विषय में नैतिक रूप से निर्णय किया जाय या उसकी निन्दा की जाय।

सामाजिक कार्यकर्ता मूल्यों का प्रयोग उपचार और शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:--

1. मूल्यों के विकास में सेवार्थी की सहायता करना।
2. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने मूल्यों को पूर्ण रूप से समझ सके।
3. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने मूल्यों के संघर्ष को समाप्त कर सके।
4. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने और समाज के अन्य व्यक्तियों या समूह के मूल्यों के संघर्ष और अन्तर को समझ सके।
5. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने और दूसरों के मूल्यों के संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को दूर कर सके।
6. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अधिक रचनात्मक सामाजिक तथा वैयक्तिक मूल्यों का पता लगाये और उन्हें ग्रहण करे।
7. सेवार्थी की सहायता करना ताकि वह अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार कर सके और अपने मूल्यों के प्रयोग में लचीलापन उत्पन्न कर सके और कठोरता से सुरक्षित रहे।
8. सेवार्थी की सहायता करना कि वह विभिन्न प्रकार के मूल्यों में से उचित मूल्यों का चुनाव कर सके।

यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह वैयक्तिक मूल्यों को बलपूर्वक सेवार्थी के सर मंढ दे। फिर भी यह अनिवार्य और वांछनीय है कि कार्यकर्ता के वैयक्तिक और व्यावसायिक मूल्यों तथा समुदाय के मूल्यों का कार्यकर्ता- सेवार्थी सम्बंध में एक महत्वपूर्ण स्थान हो।

हम जानते हैं कि समाज कार्य मनुष्य की समायोजन या सामंजस्य सम्बंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवहार को समझा और प्रभावित किया जाये। व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाय और उन्हें, यदि ऐसी आवश्यकता हो तो, परिवर्तित करने में सेवार्थी की सहायता की जाय।

समाज कार्य की कोई भी प्रणाली हो, अर्थात वैयक्तिक सेवाकार्य या सामूहिक सेवाकार्य, या सामुदायिक संगठन, प्रत्येक प्रणाली में मानव व्यवहार को समझने और उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त मूल्य व्यवहार को समझने और प्रभावित करने में सहायक होता है| क्योंकि बिना मनुष्य की मौलिक प्रकृति, विशेष अनुभव, संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किये हुये व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है।

4.मनुष्य सदैव विवेकपूर्वक कार्य नहीं करता।

मनुष्य के व्यवहार को विवेकरहित बनाने में उसके पर्यावरण का बड़ा महत्व है। मनुष्य के आस पास की परिस्थितियां उसके व्यक्तित्व में असाधारण भूमिका निभाती है

5. मनुष्य में जन्म के समय न तो नैतिकता होती है और न ही सामाजिक प्रवृत्ति यह सब गुण समाज में रहकर उसके प्रभावों से उत्पन्न होते हैं।

प्रेरक आवश्यकतायें तथा व्यवहार के स्वरूप मनुष्य की आन्तरिक प्रवृत्तियों और उसकी जीवन घटनाओं के बीच परस्पर सम्बंधी क्रिया के परिणाम हैं। यह आन्तरिक प्रवृत्तियां तटस्थ हैं मनुष्य का कोई भी प्रयास स्वंय अनैतिक नही होता। हम स्पष्ट व्यवहार का केवल मूल्यांकन कर सकते हैं यह स्पष्ट व्यवहार अनेक शक्तियों का परिणाम है।

मनुष्य के व्यवहार को समझने और प्रभावित करने में इस मूल्य का भी बडा महत्व है सामाजिक कार्यकर्ता को जिस उदारता और सहनशीलता का दृष्टिकोण रखना चाहिए वह बिना इस मूल्य को स्वीकृत किये नही उत्पन्न हो सकती। विभिन्न प्रकार के असामंजस्यों को समझने और दूर करने के लिए हमें इस मूल्य पर विश्वास रखना आवश्यक है अन्यथा हम भावनात्मक और पक्षपाती दृष्टिकोण से सेवार्थी से सम्बंध स्थापित करने लगेंगे जो समाज कार्य की वैज्ञानिक विधि के विरुद्ध होगा।

आवश्यकतायें वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की होती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का विश्वास है कि व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतोषजनक और समाज के लिए लाभदायक रूप से प्रकट करने के सुअवसर प्राप्त हो। समाज कार्य के अभ्यास में कार्यकर्ता को हर समय यह देखना पड़ता है कि सेवार्थी की आवश्यकताओं को किस प्रकार उच्चतम प्रकार से पूरा किया जाय। साथ ही साथ उसे यह भी देखना पडता है कि सेवार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार न हो जिससे समाज के सामान्य हितों को कोई हानि पहुँचे।

6. **मनुष्यों में महत्वपूर्ण अन्तर भी है और समानतायें भी और इन अन्तरों और समानताओं को समाज की अभिमति और अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।**

सामाजिक कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार के सेवार्थियों से सम्पर्क स्थापित करना होता है। उसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करनी पड़ती है। ऐसा करने में उसे पक्षपात से अपने को सुरक्षित रखना पड़ता है और सेवा प्रदान करते समय प्रत्येक धर्म, जाति और वर्ग के सेवार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करना पड़ता है।

7. **मानवीय प्रेरणायें जटिल और बहुधा अस्पष्ट हैं।**

सामाजिक कार्यकर्ता को अधिकतर व्यवहार की समस्याओं का सामना करना पडता है| बहुधा सेवार्थी का व्यवहार ऐसे प्रेरक से उत्पन्न होता है जो अस्पष्ट होता है। बहुधा सेवार्थी अपनी प्रेरणाओं का ज्ञान नही रखता। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणाओं की जटिलता का ज्ञान आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थियों की प्रेरणाओं का पता लगाने और उन्हें इनका ज्ञान कराने का प्रयास करता है। व्यवहार में सामंजस्यात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है।

8. **पारिवारिक संबंधों का व्यक्तित्व के प्रारम्भिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है।**

परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें व्यक्तियों के बीच परस्पर सम्बंधी क्रिया पायी जाती है। व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में परिवार प्रथम संस्था है। बहुधा सेवार्थी की वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके पारिवारिक पर्यावरण के विषय में जानना आवश्यक होता है। परिवार में ही व्यक्ति की मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए अत्यावश्यक है।

9. **समाज कार्य यथेच्छकारिता और केवल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के जीवित रहने के सिद्धान्त को स्वीकृत नहीं करता।**

समाज कार्य का विश्वास है कि अयोग्य व्यक्तियें की भी वही आवश्यकतांए हैं जो योग्य व्यक्तियों की हैं। समाज कार्य योग्यता और अयोग्यता के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण और उनका गुण दोष निर्धारण नहीं करता। समाज कार्य का विश्वास है कि असफल व्यक्ति मौलिक रूप से अपने सफल साथियों के समान है और उसे अपने पर्यावरण को वास्तविकता के प्रकाश में देखना और उसे अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए।

10. **समाज कार्य योग्यता और अयोग्यता का आधार धन और शक्ति की अधिकता या कमी को नहीं बनाता।** समाज कार्य पूँजीवादी दृष्टिकोण का विरोधी है और मनुष्य का मूल्यांकन उसकी आर्थिक स्तर के आधार पर नहीं करता है | वह व्यक्तित्व के मूल्यांकन में व्यक्ति के पर्यावरण का महत्व स्वीकृत करता और असफलता के लिए सम्पूर्ण रूप से व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं मानता है।

11**. समाजीकरण-प्राप्त व्यक्तिवाद, रूक्ष-व्यक्तिवाद से उच्चतर है।** समाजकार्य व्यक्ति को एक ऐसे पृथक और आत्म-निर्भर अस्तित्व के रूप में नही देखता जो समाज से पृथक हो | बल्कि वह यह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी योग्यतानुसार अपना सम्पूर्ण विकास कर सके | ऐसा विकास जो वैयक्तिक और सामाजिक रूप से रचनात्मक हो। समाजकार्य यह समझता है कि इस सम्भाव्यता की पूर्ति के लिए एक नियोजित सामाजिक संगठन की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य यही हो और जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो।

12. **समुदाय के सदस्यों के कल्याण का अधिकतर उत्तरदायित्व समुदाय पर है।**

यह सिद्धान्त दो कल्पनाओं पर आधारित है:--

1. समुदाय का कोई भी अंग यदि पीड़ित होगा तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण समुदाय पर पडेगा।
2. सम्भव है कि सामाजिक जीवन के अनेक असामंजस्यों के निवारण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की शक्ति से बाहर हो।

अतः सम्पूर्ण समाज की संगठित सुविधाओं का असामंजस्यों के निवारण और प्रतिबन्ध के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

13. **समाज के समस्त वर्ग सामाजिक सेवा से लाभ उठाने का समान अधिकार रखते हैं।** समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह बिना किसी पक्षपात के व्यक्तियों की सहायता करे चाहे वे व्यक्ति किसी भी वर्ग, जाति या राष्ट्रीयता के हों।

14. **स्वास्थ्य, गृह व्यवस्था, पूर्ण सेवायोजन, शिक्षा और अनेक प्रकार के सार्वजनिक सहायता और सामाजिक बीमा के कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य पर है।**

15. **सार्वजनिक सहायता के कार्यक्रमों को आवश्यकता की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए।** नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक अयोग्यताओं का प्रभाव सहायता की मात्रा पर नहीं पडना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है या कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है तो भी उसे सहायता मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि वे कौन से कारक हैं जो उस व्यक्ति को कार्य करने से रोकते हैं।

16. **श्रमिकों का संगठन सामुदायिक जीवन के लिए लाभदायक है।**

श्रमिक वर्ग और समाज कार्य सहमत हैं कि सामाजिक वर्ग और जाति के आधार पर व्यक्तियों को विशेषाधिकार नही मिलने चाहिए। समाज कार्य और श्रमिक संगठन दोनो ही सामाजिक अवदोहन के विरोधी हैं।

17. **समस्त प्रजातियों और प्रजातीय समूहों में सम्पूर्ण समानता और परस्पर प्रतिष्ठा के आधार पर सम्पूर्ण सामाजिक सहयोग होना चाहिए।** यह मूल्य दो कल्पनाओं पर आधारित है।

1.समस्त प्रजातियों की सम्भावित योग्यताएं समान हैं, और

2 . सांस्कृतिक भिन्नता बड़ी मूल्यवान वस्तु है सांस्कृतिक बहुलतावाद जिसका अर्थ यह है कि सांस्कृतिक विभेदों का आदर किया जाये, समाज कार्य के दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है।

18. **स्वतंत्रता और सुरक्षा को एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता।**

यदि किसी व्यक्ति को बिना सुरक्षा के स्वतंत्रता दे दी जाये तो वह ऐसा है कि जैसे उसे भूखा रहने, बेघर रहने, आश्रित रहने या रोगग्रस्त रहने की भी स्वतंत्रता हो। इसी प्रकार बिना किसी स्वतंत्रता के सुरक्षा ऐसी ही है जैसे बन्दीगृह की सुरक्षा जहाँ व्यक्ति सुरक्षित है परन्तु स्वतंत्र नही। समाज कार्य का विश्वास है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा को साथ-साथ चलना चाहिए।

19. **मनुष्य को सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण से देखने की अवधारणा**

समाज कार्य मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण और विकास चाहता है। इसीलिए वह प्रत्येक प्रकार की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता है। समाज कार्य व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित नही करता बल्कि व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करता है।

20. **समाज कार्य सामाजिक समस्याओं के कारणों की बहुलता के सिद्धान्त में विश्वास रखता है**|

इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक समस्याओं का कोई एक कारण नही है बल्कि अनेक कारण हैं अतः समाज कार्य किसी एक सामाजिक विज्ञान पर ही बल नही देता बल्कि अनेक सामाजिक विज्ञानों का प्रयोग करता है। यही सिद्धान्त समाज कार्य की उदारता का मुख्य कारण है।

21. **समाज कार्य सामंजस्य को एक द्विमुखी प्रक्रिया समझता है**।

सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य में इस बात का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से सामंजस्य प्राप्त करने के लिए स्वयं में वांछित परिवर्तन करे। परन्तु दूसरी ओर इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में जो अवांछित कारक हों उन्हे परिवर्तित किया जाये। पर्यावरण का परिवर्तन वैयक्तिक सेवा कार्य की एक प्रमुख चिकित्सा विधि है। इसी प्रकार सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य में भी सामंजस्य की समस्या सुलझाते समय व्यक्ति और पर्यावरण दोनों में ही परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संगठन में विशेषतया पर्यावरण के परिर्वतन पर बल दिया जाता है और इन सब के अतिरिक्त सामाजिक क्रिया में जो समाज कार्य की एक प्रणाली है, विशेष प्रकार से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि समाज कार्य व्यक्ति को सामाजिक शोषण और सामाजिक अन्याय का सहन करने की शिक्षा देता है और व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करता है कि वह जैसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो उसे स्वीकृत करे और उससे सामंजस्य करने की चेष्टा करे। परन्तु यह बात गलत है क्योंकि मौलिक रूप से समाज कार्य की प्रकृति शोषण और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध है और समाज कार्य पूंजीवाद का पक्षधर भी नही है। समाज के कार्य क्षेत्र में समाज कार्य निष्क्रिय प्रेक्षक नही है बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली अस्तित्व है| जो न केवल व्यक्तियों को सामंजस्य प्राप्त करने में सहायता देता है बल्कि उन बाधाओं को हटाने की भी चेष्टा करता है जो व्यक्तियों की आत्मोन्नति में बाधक है। समाज कार्य एक समाजोन्मुख व्यवसाय है और आरम्भ से ही इसकी रूचि सामाजिक उत्थान की ओर रही

है। एक समाजोन्मुख व्यवसाय के लिए यह असम्भव है कि वह पर्यावरण के परिवर्तन को अपनी कार्य सीमा से बाहर समझे।

फ्राइलैण्डर का विचार है कि समाज कार्य के मौलिक मूल्यों का जन्म स्वतः नही हुआ है बल्कि उनकी जडें उन गहरे, उपजाऊ विश्वासों में मिलती हैं जो सभ्यताओं को सींचते हैं। उनके अनुसार अमरीका की प्रजातांत्रिक सभ्यता का आधार नैतिक एवं अध्यात्मिक समानता, वैयक्तिक विकास की स्वतंत्रता, सुअवसरों के स्वतंत्र चुनाव, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा , वैयक्तिक स्वतंत्रता की एक निश्चित मात्रा, भाषण, प्रकटन एवं संदेशवाहन की स्वतंत्रता, पारस्परिक प्रतिष्ठता और सर्वजन के अधिकारों की स्वीकृति पर है। उनका कहना है कि प्रजातंत्र के यह आदर्श अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नही किये जा सके हैं और समाज कार्य इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है।

वास्तव में समाज कार्य और प्रजातंत्र में बहुत कुछ समानता है। प्रजातंत्र के मौलिक आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व हैं और यही समाज कार्य के भी मौलिक आदर्श हैं। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे समाज कार्य के अभ्यास में हर समय इन आदर्शों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है।

सेवार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने जीवन का मार्ग प्रदर्शन अपनी रूचि के अनुसार करे। उसे इस बात की भी स्वतंत्रता होती है कि वह सहायता या सेवा स्वीकृत करे या न करे।

सेवार्थी से समानता का व्यवहार किया जाता है कि चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। उसकी मानवता का आदर करना सामाजिक कार्यकर्ता का परमकर्तव्य है।

समाज कार्य विश्वबन्धुत्व में विश्वास रखता है और विभिन्न संस्कृतियों और सांस्कृतिक समूहों की ओर सहनशीलता और उदारता का दृष्टिकोण रखता है। समाज कार्य का उद्देश्य एक ऐसा विश्वबन्धुत्व स्थापित करना है जिसमें सामाजिक शोषण न हो और जिसमें व्यक्ति का मूल्य उसके आर्थिक स्तर से न लगाया जाए बल्कि उन गुणों से लगाया जाय जो मानवता के आधार है।

13.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य दर्शन में मूल्यों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि मूल्य न केवल समाज में व्यवस्था बनाये रखते हैं बल्कि व्यक्ति के व्यवहारों को भी नियमित करते हैं जिससे समाज में नियंत्रण की स्थिति भी बनी रहती है। चूंकि मूल्य एक सामाजिक लक्ष्य भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आन्तरीकृत करता है इस प्रकार मूल्य समाज कार्य को व्यवसायिक स्वरूप भी प्रदान करते हैं। समाज कार्य का दर्शन सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस तथ्य का आभास भी कराता रहता है कि उन्हें किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना है।

13.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for Practice)

1. दर्शन से क्या अभिप्राय है? हर्बट बिस्नो के अनुसार समाज कार्य दर्शन को स्पष्ट कीजिए।

२. समाज कार्य का दर्शन मानवतीवादी है उक्त तथ्य को स्पष्ट कीजिये |

13.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004

2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010

3. मदन जी0आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली, 2012
4. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007
5. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
6. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ
7. Khinduka S.K., Social Work in India.
8. Chowdhary, D. Paul, Introduction to Social Work.

इकाई-14

समाज कार्य दर्शन: गांधीवादी दर्शन

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य (Objective)

14.1 प्रस्तावना (Preface)

14.2 भूमिका (Introduction)

14.3 समाज कार्य दर्शन: गांधीवादी दर्शन (Social Work Philosophy: Gandhian Philosophy)

14.4 सारांश (Summary)

14.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Question for practice)

14.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrences)

14.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप

1. समाज कार्य दर्शन की गांधीवादी दर्शन से साम्यता के विषय में जान सकेंगे।
2. गांधीजी के सत्याग्रह की कार्यप्रणाली एवं मूल्य व्यवस्था को समझ सकेंगे

14.1 प्रस्तावना (Preface)

समाज कार्य दर्शन का विश्वास मानव गरिमा में है जो मानव का मानव मात्र होने के कारण सम्मान करता है |इस कारण यह सभी प्रकार के जातिगत, प्रजातिगत, धार्मिक एवं लैंगिक विभेदों का निषेध करते हुए कार्य करता है। समाज कार्य मानव गरिमा के साथ-साथ व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता में भी विश्वास करता है। गांधी जी का सामाजिक दर्शन भी मानव मात्र के कल्याण से सम्बन्धित है। गांधी जी ने भी अपने सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रमों द्वारा जातिगत धार्मिक एवं लैंगिक विभेदों का निषेध करते हुये सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य किया।

14.2 भूमिका (Introduction)

समाज कार्य दर्शन व्यक्ति के सर्वोत्तम कल्याण से सम्बन्धित है। समाज कार्य में समाज की सबसे कमजोर व्यक्ति को सहायता प्रदान करना सर्वोच्च लक्ष्य रखा गया है। गांधी जी का सामाजिक दर्शन भी समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित है। अतः समाज कार्य दर्शन एवं गांधीवादी दर्शन दोनों में ही मानवीय मूल्य सर्वोच्च हैं।

14.3 समाज कार्य दर्शन: गांधीवादी दर्शन (Social Work Philosophy : Gandhian philoshophy)

समाज कार्य विषय उपागम के रूप में कुछ विशिष्ट मूल्यों, सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं का उपयोग अपने सेवार्थियों या लाभाग्रहियों को सेवा प्रदान करते समय करता है | जिनमें आधारभूत मूल्य हैं- मानव गरिमा, स्वयं सहायता, श्रम की महत्ता, बन्धुत्व एवं प्रजातान्त्रिक दर्शन या मूल्य।

समाज कार्य के ये मूल्य, दर्शन एवं अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं। बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में जब भारत में समाज कार्य का उदय एक उपागम के रूप में हो रहा था| तब समाज कार्य व्यवसायिकों के द्वारा उपरोक्त मूल्यों एवं दार्शनिक प्रणालियों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। ध्यातव्य है कि बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध ही भारत में महात्मा गांधी के सामाजिक-राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का काल है। अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के संचालन से पूर्व एवं गांधी जी ने कुछ रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों का भी संचालन किया एवं उसमें सक्रिय भागीदारी की। अपने राजनीतिक कार्यक्रमें के दौरान भी गांधी जी सामाजिक पुर्ननिर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करते रहे। गांधी जी के सभी समाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम कुछ विशिष्ट मूल्यों, दर्शन एवं सिद्धान्तों पर आधारित रहे हैं| जिनमें मानव गरिमा, समानता, स्वतन्त्रता एवं आत्मनिर्भरता के मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान जब गांधी जी एक सर्वमान्य राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित हो गये तब उनके साथ देश के विभिन्न भागों से लोग जुडने लगे जो गांधीवादी दर्शन एवं मूल्यों में विश्वास रखते थे। इसी समय गांधी जी ने 'स्वराज' का लक्ष्य रखा, जिसमें सामाजिक- आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से देश के पुर्ननिर्माण करने के प्रयास सम्मिलित थे 'स्वराज' के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के एक कैडर निर्माण हुआ जिन्हें गांधीवादी कार्यकर्ताओं के नाम से जाना गया। इनके द्वारा स्वराज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दी गई। ये कार्यक्रम थे 18 सूत्री कार्यक्रम, 1925 में गांधी जी द्वारा गठित अखिल भारतीय चर्खा संघ, साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता की रोकथाम एवं निवारण, खादी का उपयोग, आधारभूत शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, कुटीर उद्योग आदि। ये रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख अभिचिन्ह बन गये। इन कार्यक्रमों ने जहां एक तरफ भारत की गरीबी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता जैसी गम्भीर आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया वहीं लोगों में अपने अधिकारों की चेतना उत्पन्न की एवं उन्हें राजनीतिक रूप से भी सक्रिय किया।

गांधी जी के सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करने वाले कार्यकर्ता उन्हीं आधारभूत मूल्यों एवं दर्शन का उपयोग अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में करते थे जैसा प्रशिक्षण व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज कार्य की शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाता था| किन्तु गांधीवादी कार्यकर्ताओं से इतर व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज कार्य का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था| जिससे वे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकें या फिर स्वैच्छिक ढंग से कार्य कर सकें। इस कारण व्यवसायिक कार्यकर्ताओं में यह एक सामान्य विश्वास था कि वे अपने विशिष्ट प्रशिक्षण, कार्य करने के ढंग एवं समाज कार्य की पद्धतियों के आधार पर सार्वभौमिक रूप से लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कार्य कर सकते हैं।

यदि व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और गांधीवादी कार्यकर्ताओं की कार्यपद्धतियों को तुलनात्मक रूप से देखें तो उनके कार्य करने के ढंग और अभिप्रेरणाओं में कुछ अन्तर अवश्य दिखाई देता है किन्तु दोनों ही कार्यकर्ता समान उद्देश्यों, दर्शन, मूल्यों और नैतिकता के धरातल पर खडे हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण का अन्तर होते हुए भी गांधीवादी दर्शन और समाज कार्य व्यवसाय के दर्शन और कार्यपद्धतियों में महत्वपूर्ण समानताएं है। जिनकी स्पष्ट

पहचान की जा सकती है। गांधी जी मानव की गरिमा को सबसे अधिक महत्व देते थे| उनके लिए आत्म सम्मान और गरिमा किसी भी राष्ट्र और उसके निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये स्वधीनता की पूर्व शर्त भी है। वहीं समाज कार्य भी व्यक्ति के स्वयं के एवं दूसरे मनुष्यों के प्रति उसके सम्मान को मानवीय एवं व्यवसायिक सम्बन्धों की स्थापना के आवश्यक आधार के रूप में देखता है। समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत कार्यकर्ता अपने दयित्वों का निर्वहन करते समय सेवार्थी को उसकी वास्तविक स्थिति में ही सेवा प्रदान करने की सहमति देता है | उसके लिए अपने सेवार्थी की जाति, धर्म तथा आर्थिक पृष्ठभूमि का औचित्य नहीं है बल्कि वह उसके कष्टों को अवांछनीय मानते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। गांधी जी भी मानव मात्र को महत्वपूर्ण मानते थे| अपने राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों में उन्हे सभी जाति एवं धर्मों के लोगों का सहयोग प्राप्त होता था । उन्होंने भी दरिद्र नारायण की सेवा को ही सच्ची सेवा मानते हुए उनके कष्टों को दूर करने के लिए कार्य किया।

गांधी जी के लिए मानव और मानव के बीच का भेद स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने जाति, धर्म और कार्य की महत्ता के आधार पर होने वाले भेदभावों को कभी मान्यता नहीं दी। गांधी जी के मानव की अवधारणा के विकास के पीछे दो पुस्तकों का प्रमुख योगदान था। जिसमें से एक श्रीमद्भगवत्गीता एवं दूसरी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की 'अन टू दिस लास्ट' थी। इन दोनों पुस्तकों ने 'मनुष्य' के प्रति उनके वैचारिक विकास को अत्यन्त प्रभावित किया। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से उन्होंने यह ग्रहण किया कि मनुष्य का कल्याण सभी के कल्याण में निहित है| एक नाई के कार्य का महत्व एक वकील के कार्य के महत्व के बराबर है | प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य से आजीविका अर्जित करने का अधिकार है। गांधी जी का यह मानना था कि मनुष्य अपरिपक्व होता है और उसको परिपक्व बनाने के लिए उसके भीतर के अंतर्निहित दैवीय गुणों का विकास करना चाहिए। वे प्रायः यह कहा करते थे कि मनुष्य ईश्वर नहीं है किन्तु वह ईश्वर की ज्योति का ही एक अंश है इसलिए वह विवेकशील है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है और वह स्वयं की सहायता करने में भी सक्षम होता है। गांधी जी का यह दृढ विश्वास था कि स्वयं-सहायता ही सहायता का सर्वश्रेष्ठ तरीका है| तब जबकि लोग योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं सहभागिता करते हैं। उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विषय में निर्णय लेने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों और निर्णयों को दूसरों के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। गांधी जी का प्रजातान्त्रिक मूल्यों और कार्यप्रणालियों पर गहरा विश्वास था| उन्होंने अपने विचारों को किसी पर लागू करने या थोपने का प्रयास नहीं किया| बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक पुर्ननिर्माण के कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया| उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं का समन्वय करते हुए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे हुए लोगों तथा महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम चलाये| इससे जहां एक तरफ देश की सामाजिक दशाओं में सुधार हेतु प्रयत्न हुए वहीं राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माहौल भी देश भर तैयार हुआ। गांधी जी ने जहां एक तरफ समाज सुधार का वातावरण पूरे देश में बनाया वहीं व्यक्ति को अपनी निजी दशाओं में सुधार लाकर उसके समायोजन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। गांधी जी के उक्त विचार और कार्यप्रणालियां व्यवसायिक समाज कार्य के आधारभूत मूल्यों और सिद्धान्तों के समान ही है।

व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रजातान्त्रिक मूल्यों और विचारों को मान्यता देते हैं। वे अपने सेवार्थी के आत्मनिर्धारण के अधिकार को महत्व देते हैं| इससे सेवार्थी को सहज रूप से यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह कार्यकर्ता की सेवा को स्वीकार करे या न करे या फिर यह भी कि उसे अपनी समस्या समाधान की प्रक्रिया में स्वयं सहभागिता करने का अधिकार है। व्यवसायिक समाज कार्य व्यक्ति और उसके पर्यावरण की अन्योन्याश्रितता को महत्व प्रदान करता है जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण की देन है। गांधी जी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार पर उसके पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उनका भी मानना था कि व्यक्ति को उसके पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता । किन्तु उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दास मात्र नहीं है बल्कि उसके अन्दर अपनी खराब दशाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति भी है। इस शक्ति की प्राप्ति व्यक्ति अपने

साधनों की पवित्रता के माध्यम से कर सकता है। क्योंकि गांधी जी का यह दृढ विश्वास था कि व्यक्ति को अपने साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधनों की पवित्रता को भी महत्व देना चाहिए हालांकि इससे प्रयासों में बाधाएं अवश्य आती हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में विलम्ब भी हो जाता है किन्तु यही तरीका सर्वश्रेष्ठ है। गांधी जी के इस विधि का प्रयोग दुनिया में बहुत राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के द्वारा किया जा चुका है जिनमें मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक हैं। वहीं वर्तमान में अन्ना हजारे जो कि एक प्रमुख गांधीवादी समाजसेवी हैं, के द्वारा भी व्यवहार में किया जा रहा है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सामाजिक पुर्ननिर्माण के कार्यों में साध्य और साधन की पवित्रता को बनाये रखा। गांधी जी का कार्यक्षेत्र सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन से लेकर सामाजिक पुर्ननिर्माण तक था| इसलिए उन्होंने अपने सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रमों में समाज के अस्पृश्य और दलित वर्गों के उद्धार के लिए भी कार्यक्रम बनाये। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी इन वर्गों के पीडित लोगों को सलाह एवं परामर्शात्मक सेवाएं प्रदान की| किन्तु उनकी कार्य तकनीक एवं विधियां केसवर्क या ग्रुपवर्क के समान नहीं थीं| बल्कि उन्होंने यह कार्य एक व्यापक परिदृश्य में किया जिसकी तुलना सामुदायिक संगठन के स्तर से की जा सकती है और इस रूप में उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक का व्यापक उपयोग किया।

सत्याग्रह: गांधीवादी समाज कार्य का आधार

सत्याग्रह संस्कृत का एक शब्द है, जिसका प्रयोग गांधी जी द्वारा अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किया गया। गांधी जी ने इस अवधारणा का प्रयोग सत्य के प्रति अपने आग्रह के सन्दर्भ में किया था किन्तु व्यवहारिक रूप से वे सत्याग्रह को प्रेम एवं स्नेह का एक नियम मानते थे। इसी क्रम में 'सविनय अवज्ञा' को भी सत्याग्रह का एक विशिष्ट स्वरूप माना जाता है। सत्याग्रह को गांधी जी सामाजिक एवं राजनीतिक बुराईयों से लडने का एक शस्त्र मानते थे| इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का विचार कोई नवीन विचार नहीं है| यह तो निजी एवं घरेलू जीवन का एक विस्तार मात्र है जैसे कि हम अपने पारिवारकि जीवन में करते हैं कि जब भी परिवार में कोई विवाद होता है तो उसे हम आपसी स्नेह एवं समझदारी से हल कर लेते हैं|हम आत्मनियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करते हैं और परिवार के हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की पीडा एवं कष्टों को सहन कर लेते हैं। अपने हितों का त्याग करते हैं और अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। प्रेम और स्नेह का यह नियम सम्पूर्ण विश्व के पारिवारिक व्यवस्था के कल्याण के लिए कार्य करता है। गांधी जी कहते हैं कि प्रेम और स्नेह का यह नियम और कुछ नहीं बल्कि सत्य का ही एक स्वरूप है। सत्य के समान अहिंसा भी सत्याग्रह का एक अभिन्न भाग है| अहिंसा वह है जो किसी भी प्रकार की हिंसा से व्यक्ति को अलग करती है| चाहे वह प्रत्यक्ष हिंसा हो या परोक्ष, शारीरिक हिंसा हो या मानसिक। सत्याग्रह के अंतर्गत मनसा (मन), वाचा(वचन), कर्मणा (कर्म)अर्थात हिंसा के प्रत्येक स्वरूप का निषेध किया गया है, जिससे व्यक्ति अपने विरोधियों एवं शत्रुओं के प्रति भी स्नेह एवं प्रेम के नियमों का पालन कर सके।

सत्याग्रह के विषय में गांधी जी ने कहा है कि एक सत्याग्रही वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास उस सत्य को जानने की क्षमता हो जिसके लिए वह सत्याग्रह का अह्वाहन कर रहा है। सत्याग्रह के माध्यम से प्रेम स्नेह, सद्इच्छा और उत्साह के वातावरण के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। सत्याग्रह के माध्यम से हृदय और मन के परिवर्तन का प्रयत्न करना चाहिए न कि किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ का । गांधी जी ने सत्याग्रह की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी बताई है। जैसे कि सत्याग्रही के हृदय में अपने विरोधी के लिए किसी प्रकार की घृणा न हो, सत्याग्रही को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक किसी भी प्रकार के कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सत्याग्रही को ईश्वर में विश्वास रखने वाला एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए।

सत्याग्रह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने कुछ तकनीकों की भी चर्चा की है जिनका पालन करके सत्याग्रही को अवश्य करना चाहिए। इनमें अनुनय, आत्म-पीड़ा, उपवास, ईश्वर में विश्वास तथा उपवास, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, असहयोग आदि हैं।

यदि गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की कार्यप्रणाली एवं मूल्य व्यवस्था को देखें तो इनमें तथा व्यवसायिक समाज कार्य की कार्यप्रणाली एवं मूल्य व्यवस्था में कुछ समानता अवश्य दिखाई देती है। वस्तुतः व्यवसायकि समाज कार्य भी अपने कार्य प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करता है एक व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को भी सेवा प्रदान करते समय सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का पालन करना पडता है।

14.4 सारांश (Summary)

समाज कार्य का दर्शन कुछ विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है जिनमें मानवाधिकार, प्रजातांत्रिक अधिकार, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता एवं भाईचारा सम्मिलित है। इन मूल्यों का दर्शन गांधी जी द्वारा चलाये गये सभी सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनों में होते हैं। गांधी जी के लिये भी मनुष्य मात्र मनुष्य होने के कारण महत्वपूर्ण है और इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार तथा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति करना आवश्यक है। जिसके लिये गांधी जी के द्वारा न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित आन्दोलन चलाये गये बल्कि सामाजिक संरचना के पुनर्निमाण के लिये भी कार्य किये गये ,जिसके लिये समाज कार्य भी प्रयासरत है।

14.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Questions for practice)

1. समाज कार्य के गांधीवादी दर्शन का उल्लेख कीजिए।
2. गांधीवादी दर्शन की विशिष्टताओं का समाज कार्य के सन्दर्भ में उल्लेख कीजिये।

14.6 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004|
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य: इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010|
3. द्विवेदी राकेश, समाज कार्य व्यावसाय: विकास एवं चुनौतियां, न्यू रायल बुक कम्पनी लखनऊ, 2007|
4. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008|
5. सूदन, सिंह कृपाल समाज कार्य: अभ्यास एवं सिद्धान्त न्यू रायल बुक पब्लिकेशन लखनऊ|
6. Khinduka S.K., Social Work in India.
7. Chowdhary, D. Paul, Introduction to Social Work.